Thursday, 14th March, 1968

चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, गुरुवार, 14 मार्च, 1968/24 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 23, Thursday, March 14, 1968/Phalguna 24, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	
629.	दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों के लेबलों का बदला जाना	Replacement of labels of DMS Bottles	259-60
630.	हरियाना में बूचड़खाने की स्थापना के विरुद्ध प्रदर्शन	Demonstration against setting up of Slaughter House in Haryana . .	260—62
632.	राज्य को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to States . .	262—64
652.	राज्यों को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to States . .	264—69
633.	खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains . .	269—72

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
628.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers. . . .	272-73
631.	अपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Lines . . .	273
634.	केन्द्रीय श्रम नियमों को सरकारी उपक्रमों में लागू करना	Application of Central Labour Laws in Public Undertakings. . .	274
635.	गैर-पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिश	Non-Journalists Wage Board's Recommendation	274
636.	कीटनाशी दवाइयों के लिये अर्थ सहायता	Subsidy on Pesticides. .	274—76

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

855 (Ai) LS—A.

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
637.	कृषि श्रमिकों सम्बन्धी श्रम कानूनों का लागू करना	Enforcement of Labour Laws relating to Agricultural Labour . . .	276-77
638.	मजूरी बोर्डों सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission Wage Boards	277
639.	हरियाणा में मध्यावधि चुनाव	Mid term Elections in Haryana .	277-78
640.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी व्यय	Expenditure on ICAR	278
641.	राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव	Parliamentary Secretary, Rajasthan Government.	278-79
642.	औद्योगिक एवं कृषि बतियां	Industrial-cum-Agricultural Colonies	279
643.	फसल उगाने का तरीका	Cropping Pattern	279-80
644.	मजूरी बोर्ड के पंचाटों को कोयला खानों में लागू करना	Implementation of Wage Board Awards in Coal Mines.	280-81
645.	लोह अयस्क खान श्रमिकों के लिये कल्याण उपकर	Welfare Cess for Iron Ore Mine Workers	281
646.	उच्चतम न्यायालय में चुनाव सम्बन्धी अपीलें	Election Appeals in Supreme Court	282
647.	खुले बाजार में गेहूं तथा चावल का विक्रय	Sale of Wheat and Rice in Open Market	282
648.	तम्बाकू उत्पादकों को सहायता	Assistance to Tobacco Growers. .	282-83
649.	दिल्ली में पार्टियों के लिये राशन मुहैया किया जाना	Ration Supply for holding parties in Delhi.	283
650.	भूमि को मापने की मीट्रिक प्रणाली	Metric System in Land Measurement .	283
651.	1968-69 में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य	Target of Food Production in 1968-69 .	283-84
653.	बड़े उपभोक्ताओं को चीनी के कोटे का नियतन	Allotment of Sugar Quota to Bulk consumers.	284
654.	लाभ सहभाजन बोनस	Profit sharing Bonus . .	284

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
655.	हरियाणा में रोलर फ्लोर मिलों को गेहु की खुली बिक्री	Free sale of wheat for roller flour Mills in Haryana	285
656.	अपीजे शिपिंग लाइन्स	Apeejay Shipping Lines .	285
657.	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें	Sugar Mills in U.P. .	286
अतारांकित प्रश्न संख्या Unstarred Q. No.			
3949.	राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Hill Areas of Rajasthan.	286
3950.	महीरी (महाराष्ट्र) में डाक घर के लिये इमारत	Building for Post Office in Mhiri (Maharashtra)	286–87
3951.	टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills	287
3952.	परमाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला	Nuclear Research Laboratory . .	287–88
3953.	राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan .	288
3954.	चूहों बन्दरों आदि से अनाज की हानि	Damage to Foodgrains by Rats, Monkeys, etc.	288–89
3955.	विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की परियोजना	Deep Sea Fishing Project at Visakhapatnam.	289–90
3956.	उलागान पट्टी के उपडाकपाल द्वारा बचत खाते का दुरुपयोग	Misapproriation of Savings Account by Sub-Post Master at Ulagan Patil.	290–91
3957.	सामुदायिक विकास खण्डों में जीपें	Jeep Cars in Community Development Blocks.	291
3958.	भारत में शाखा डाकघर तथा उप डाकघर	Branch and Sub-Post offices in India .	291–92
3959.	चीफ सैटलमेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश	Chief Settlement Commissioner, U.P.	292–93
3960.	उत्तर प्रदेश में रिजनल सैटलमेंट कमिश्नर और कस्टोडियन के कार्यालयों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Employees in Officers of Regional Settlement Commissioner and Custodian U.P. . .	293

Unstarred Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3961. राजस्थान में नये चावल मिल	New Rice Mills in Rajasthan .	294
3962. राजस्थान में ग्रामपंचायतों में डाकघर	Post Offices in Village Panchayats in Rajasthan	294
3963. महाकाली कोयला खानों का परिसमापन	Liquidation of Mahakali Coal Mines .	295
3964. कर्मचारी भविष्य निधि	Employees' Provident Fund .	295
3965. विमान द्वारा कीटनाशक औषधियाँ छिड़कना	Aerial Spraying Operations .	296
3966. भारत में खेती योग्य भूमि	Cultivable land in India . . .	296-97
3967. प्रधान मंत्री की खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के साथ भेंट	P. M.'s Meeting with Director General, Food and Agriculture Organisation .	297
3968. विरोधी दलों के नेताओं के भाषण	Speeches of Leaders of Opposition Parties	297-98
3969. एपीजे शिपिंग लाइंज	Appejay Shipping Lines . . .	298
3970. चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	298
3971. तलाक के मामले	Divorces	298-99
3972. शाहदरा (दिल्ली) में बूचड़खाना	Slaughter House in Shahdara (Delhi)	299
3973. भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागार	F. C. I. Warehouses . .	299
3974. कृषि-औद्योगिक निगम	Agro-Industrial Corporations . .	299-300
3975. बेकारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme .	300
3976. कमी वाले क्षेत्रों के लिये दिये गये गेहूं तथा सोयाबीन के तेल का बेचा जाना	Sale of Wheat and Soyabean Oil meant for scarcity areas . . .	300-301
3977. केरल राज्य में घेराव की घटनायें	Incidents of Gherao in Kerala State	301
3978. दिल्ली में राशन व्यवस्था पर व्यय	Expenditure on Rationing in Delhi .	301
3979. गुजरात का महा डाकपाल	Post Master General, Gujarat . .	302
एपीजे शिपिंग लाइन्ज	Appejay Shipping Lines . . .	302
एपीजे शिपिंग लाइन्ज	Appejay Shipping Lines . . .	303

अतारांकित प्र० संख्या

U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
3982. नेपाल को खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains into Nepal	303
3984. किसानों द्वारा कृषि वस्तुओं के विपणन के धंधे में से बिचौलियों का हटाया जाना	Elimination of Middlemen in Disposal of Agricultural Commodities by Farmers	303-04
3985. चीनी मिलों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Sugar Mill Workers .	304
3986. पश्चिमी तथा पूर्वी निमाड़ खारगोन क्षेत्र में भाण्डागारों का निर्माण	Construction of Warehouses in Western and Eastern Nimad Khargon Area	304
3987. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	305-06
3988. इंजीनियरी के सामान का स्टाक	Stock of Engineering Stores . .	306-7
3989. भारत में पंजीकृत कारखानों तथा उनके कर्मचारियों की संख्या	Registered Factories and Employees working therein in India . .	307
3990. भविष्य निधि आयुक्त के अधीनस्थ कर्मचारी	Employees under the Commissioner of Provident Fund	307-8
3991. रिक्शा चलाने का व्यवसाय	Rickshaw Pulling	308
3992. पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains in West Bengal	308
3993. आयाकट योजना	Ayacut Scheme	309
3995. अन्नपूर्ण मिल्स, वाराणसी	Annapurana Mills, Varanasi . .	309
3996. काँगड़ा जिला में वन भूमि का नियतन	Allotment of Forest land in Kangra District	309-10
3997. डाक तथा तार विभाग के डाकियों तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Postmen and Class IV Employees of P & T Department	310
3998. क्षारीय मिट्टी वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of land with Alkaline Soil	311
3999. पुतई शाखा डाकघर (बिहार)	Putai Branch Post Office (Bihar) .	310-11
4000. बाराहा गाँव (बिहार) में शाखा डाकघर	Branch Post Office in Village Baraha (Bihar)	311

अतारांकित प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4001.	केरल को रूसी ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of USSR Tractors to Kerala .	311
4002.	केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड	Central Minimum Wage Advisory Board	312
4003.	उड़ीसा में परीक्षात्मक नल कूप	Exploratory Tube-wells in Orissa .	312-13
4004.	उड़ीसा को सहकारिता आन्दोलन के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa for Co-operative Movement . . .	313
4005.	उपभोक्ता मूल्य देशनांक सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Consumer Price Index	313-14
4006.	औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops in Industrial Establishments	314
4007.	संकर बीज का उत्पादन	Hybrid Seed Production . .	314-15
4008.	उर्वरकों की चोरबाजारी	Blackmarketing in Fertilizers . .	315
4010.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees Provident Fund Scheme .	315
4011.	रायराखोल तथा अथमालीक में डाकघर की इमारतें	Postal Buildings at Rairakhol and Athmalik	315-16
4012.	अनाज तथा व्यापारी फसलों के मूल्यों में कमी	Decline in prices of Foodgrains and Commercial Crops. . . .	316
4013.	खरीफ की फसल पर अनाज की वसूली	Levy on Kharif Crop . . .	316-17
4014.	डाक तथा तार विभाग में पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) के पदों के लिये परीक्षा	Examination for Posts of Supervisors in P & T Department . .	317
4015.	विदेशों से भारतीयों का स्वदेश लौटना	Indians returning from Foreign countries	317
4016.	आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य ग्रहण पत्तन	Fishing Harbours in Andhra Pradesh .	318
4017.	गोमांस तथा सूअर के मांस की खपत	Consumption of Beef and Pork .	318
4018.	नल कूपों का वितरण	Distributions of tube-wells . .	318

अताप्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4019.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains by FCI in Rajasthan	318-19
4020.	दण्डकारण्य में आवाजाही शिविर	Transit Camps at Dandakarnya	319
4021.	दण्डकारण्य में कृषि औद्योगिक परियोजनायें	Agro-Industrial projects in Danda karnya	319-20
4022.	प्रबन्धकों तथा मजदूरों का लाभ में हिस्सा	Sharing of Profits by Workers and Managements.	320
4023.	जबलपुर स्थित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये औषधालय	Dispensary for Employees of P & T Department in Jabalpur. . .	320-21
4024.	एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा का भवन	R. M. S. Building at Ernakulam Railway Station.	321
4025.	केरल के एर्णाकुलम जिले में डाकघरों की संख्या	Post Office sin Ernakulam district, Kerala	321
4026.	केरल में अधिवक्ताओं (एडवोकेटों) के लिये भविष्य निधि योजना	Provident Fund Scheme for advocates in Kerala.	321-22
4027.	विलिंगटन द्वीप, कोचीन में रेलवे डाक सेवा के डाकघर और टेलीफोन केन्द्र के लिये भवन	R. M. S. Post Office and Telephone Exchange Building at Willington Island, Cochin.	322
4028.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Food Corporation of India Employees. . . .	322-23
4029.	मध्य प्रदेश में चीनी के मूल्य	Price of Sugar in M. P. . .	323
4030.	खाद्यान्न का खराब हो जाना	Decay of Foodgrains . . .	323
4031.	शीतागारों के लिये मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh for Cold Storages.	323-24
4032.	केन्द्रीय कृषि उत्पादन सलाहकार समिति	Central Agricultural Production Advisory Committee. . . .	324
4033.	मैसूर में राजकीय प्रक्षेत्र	State Farm in Mysore. . . .	324-25
4034.	उत्तर अर्काट में भेड़पालन केन्द्र	Sheep Rearing Centre in North Arcot.	325
4035.	भेड़पालन पर व्यय	Expenditure on Sheep Rearing . .	325

अ.ता प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4036.	ऊन में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in wool. . .	325-26
4037.	सिंचाई साधन रहित क्षेत्रों में खेती	Cultivation in unirrigated areas. .	326
4038.	कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत	Cost production of agricultural commodities.	327
4039.	श्रमिकों के लिये राशन की मात्रा	Ration quantum for Labourers. . .	327
4040.	बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी के कारण वित्तीय हानि	Financial loss due to unemployment and under employment . . .	327-28
4041.	केन्द्रीय तारघर, श्रीगंगानगर	Central Telegraph Office at Sriganganagar	328
4043.	पशु विकास योजना	Intensive Cattle Development Scheme	328-29
4044.	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना	Allotment of Telephone Connections in Delhi.	329
4045.	वनोत्पादों को प्रयोग में लाना तथा मत्स्यपालन	Exploitation of Forest Products and Fishery.	329-30
4046.	राजस्थान में वन्य पशुओं की हत्या.	Killing of Wild life in Rajasthan. .	330
4048.	इण्डियन नेशनल कोआपरेटिव यूनियन को वैदेशिक सहायता	Foreign aid to Indian National Cooperative Union.	330
4049.	ग्रामीण जनता को सहकारी आन्दोलन का लाभ	Benefits of Cooperative Movement to Rural Popultion. . . .	331
4050.	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में दक्ष तथा अदक्ष मजदूर	Skilled and Unskilled workers in Public Sector Industries . . .	331
4051.	उड़ीसा में सहकारी खेती योजनायें	Co-operative Farming Schemes in Orissa.	331-332
4052.	उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in U.P. .	332
4053.	पटनागढ़ (उड़ीसा) टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Patnagarh (Orissa).	332
4054.	मनीपुर के लिये श्रम के बारे में मूल्यांकन समिति	Evaluation Committee on Labour for Manipur	333
4055.	रैपर तम्बाकू	Wrapper Tobacco . .	333
4056.	कलकत्ता में खोंचे वालों का पुनर्वास	Rehabilitation of Hawkers in Calcutta	333-34

अता० प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4057.	कृषि कालेजों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarship for students of Agricultural Colleges	334
4058.	जम्मू तथा काश्मीर को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Jammu and Kashmir	334-35
4059.	सिंहस्थ त्यौहार के लिये मध्य प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of additional foodgrains to Madhya Pradesh for Singhast Festival	335
4060.	दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of foodgrains in Delhi. . .	335-36
4061.	मध्य प्रदेश में कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग . .	Use of pesticides in Madhya Pradesh .	336-37
4062.	मनीपुर के उप-प्रभाग में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in sub-divisions of Manipur.	337
4063.	नीलगिरि पहाड़ियों में डाक तथा तार कर्मचारियों को पर्वत प्रतिकर भत्ता	Hill Compensatory allowance to P & T employees in Nilgiri Hills. . .	337-38
4064.	कोटा में टेलीफोन एक्सचेंज का भवन	Building for Telephone Exchange in Kotah	338
4065.	भारत सेवक समाज के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना	Non-Payment of salaries to employees of Bharat Sewak Samaj . . .	338-39
4066.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj. . . .	339
4067.	छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Minor Irrigation Schemes.	339-40
4068.	अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of secton Officers. . .	340
4069.	अनुभाग अधिकारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Section Officers. .	340-41
4070.	कोयला खानों का बन्द होना	Closing down of coal mines. . . .	341
4071.	भूमिगत खानें	Underground Mines . . .	341-42
4072.	मनीपुर में लौसी पट में सिंचाई	Irrigation of loust Pat in Manipur. .	342
4073.	कोयला खान में काम करने वालों को घटने बढ़ने वाला महंगाई भत्ता	Variable Dearness Allowance to Coal Mine Workers.	342-43
4074.	कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Coal Wage Boards' Recommendations. . . .	343

865 (Ai) LS—B.

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4075. सीरसोल कोयला खान	Searsole Colliery]	343
4076. कृत्रिम चावल	Artificial Rice	344
4077. कोयला खानों में दुर्घटनाएं	Accidents in coal mines	344
4078. कोयला खानों में आदर्श स्थायी आदेश	Model Standing Orders in Coal Mines	344
4079. कोयला खनिकों के लिये जूते और वर्दी	Boots and Uniforms for Coal Miners .	345
4080. कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Coal Mining .	345
4081. कोयले की खानों में खनिकों के लिये अनधिकृत शिविर	Unauthorised miners' Camps in Coal Mines.	345-46
4082. बांकोला कोयला खान	Bankola Colliery . . .	346
4083. देला कंजोरा कोयला खान में ताला बन्दी	Lockout in Dutta Kajora Colliery .	346
4084. अधिवक्ता परिषद् नियम	Bar Council Rules. . . .	347
4086. कृषि श्रमिक	Agricultural Labourers. . .	
4087. इम्फाल और कलकत्ता के बीच सीधी दूरसंचार व्यवस्था	Direct Telecommunication link between Imphal and Calcutta. . . .	347-48
4088. विधि आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of Law Commission. .	348
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	348
संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत रूस के बीच परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी करार के समाचार के प्रति भारत की प्रतिक्रिया	India's reaction to reported agreement on nuclear non-proliferation between USA and USSR . . .	349-50
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	349
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendrapal Singh . .	349-50
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	351-53
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	353
पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill. . . .	353

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	Thirty ninth Report . .	353
शलाका द्वारा सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के बारे में	Re-Ballotting	353
तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 129	353-54
सभा का कार्य	Business of the House . . .	354-55
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	
सोलहवां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	355
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 1967-68—प्रस्तुत	Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh), 1967-68---Presented	355
उत्तर प्रदेश आय-व्ययक, 1968-69—प्रस्तुत	Uttar Pradesh Budget, 1968-69—Presented.	356—58
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	356—58
सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	General Budget—General Discusion .	358—68
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatrya Kunte . . .	358-59
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	359-60
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra . . .	360
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . . .	360-61
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur . . .	361-62
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh . . .	362
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	362—63
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	363
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . . .	363—68
अनुदानों की मांगें (लेखानुदान) 1968-69	Demands for Grants on Account, 1968-69	368—73
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968	374
पुरस्थापित तथा पारित	Introduced and Passed . . .	374-75
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions.	373
तेईसवां प्रतिवेदन	Twenty-third Report. . . .	375-76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	374—
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 16 का संशोधन और अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन) (श्री रामसेवक यादव का)	(1) The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Article 16 and substitution of Article 335) by Shri Ram Sewak Yadav. . .	376
(2) सविधान (संशोधन) विधेयक,. 1968 (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) (श्री त्रिदिव कुमार चौधरी का)	(2) The Constitution (Amendment) Bill, 1968 (Amendment of Articles 75 and 164) by Shri Trdib Chaudhuri.	376
(3) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 3 का संशोधन) (श्री ओ० प्र० त्यागी का)	(3) The Commission of Inquiry (Amendment Bill, 1968 (Amendment of Section 3) by Shri Om Prakash Tyagi.	376-77
संविधान (संशोधन) विधेयक— वापिस लिया गया (अनुच्छेद 156 का प्रतिस्थापन और नये अनुच्छेद 159 का रखा जाना) (श्री प्र० के० देव का)	Constitution (Amendment) Bill—withdrawn (Substitution of Article 156 and insertion of new article 159-A) by Shri P. K. Deo	377—8:
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	377
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	378
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	378
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	378-79
श्री भोला नाथ	Shri Bhola Nath	379
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun . . .	379-80
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . . .	380
श्री सु० कु० तापुडिया	Shri . K. Tapuriah . . .	380-81
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	381

श्री नारायण राव	Shri K. Narayana Rao . .	381–82
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon .	382
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra. .	382
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu . .	382–83
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. S. Chavan	383–84
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 292, 293 आदि का संशोधन)	Indian Penal Code (Amendment) Bill (Amendment of sections 292, 293 etc.)	385
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha.	385
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
पंजाब में संवैधानिक संकट पर गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में चर्चा	Discussion re. Statement of Home Minister on Constitutional crisis in Punjab ·	385—97
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	385-87
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani . . .	387–88
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajuna Datt Sharma . .	388–89
श्री गु० सिंह ढिल्लों	Shri G. S. Dhillon . . .	389–90
श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi . . .	390
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudeva Nair . . .	390-91
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare . . .	391–92
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes. . .	392
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra . . .	392-93
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani . . .	393–94
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . . .	394
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur. . . .	394–95
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	396–97

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

दिनांक 14 मार्च, 1968 । 24 फाल्गुन, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
मुख पृष्ठ	तिसरा सत्र (Third Session) के स्थान पर चौथा सत्र (Fourth Session) पढ़िये

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार 14 मार्च, 1968/24 फाल्गुन, 1889 (शक)

Thursday, March 14, 1968|Phalguna 24, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री मोहन सिंह ओबराय (हजारी बाग)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Replacement of Labels of D.M.S. Bottles

*629. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the cases of replacement of the labels of the D.M.S. bottles of toned milk by those of standardised milk and the sale of those bottles of milk at the rates of standardised milk; and

(b) if so, the action taken in the matter?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के अनाचारों को रोकने के लिए डिपो पर आकस्मिक छापे मारे जाते हैं। जिन बोतलों के संबंध में जनता द्वारा अनधिकृत परिवर्तन की शिकायत की जाती है, उनको जांच के लिए गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। जहां सील में अनधिकृत परिवर्तन प्रमाणित हो जाता है वहां सभी मामलों में डिपों के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं।

Shri O. P. Tyagi: Whether the Government is prepared to make such arrangements to install posters or to keep complaint books at the Milk Distribution Centres on the basis of these facts so that the people may be able to complain on finding such sorts of malpractices?

885(ai)LS—1.

श्री अन्ना साहब शिन्दे : यह सुझाव परीक्षण के योग्य है।

Shri O. P. Tyagi: In this connection how many reports have been received by you and how many persons have been found guilty after examining the facts and what action has been taken against them?

श्री अन्ना साहब शिन्दे: जहां तक सीलों में अनधिकृत परिवर्तन का संबंध है, 1–9–67 से लेकर अब तक तीस डिपो प्रबन्धकों को दोषी पाया गया और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं।

Demonstration against setting up of Slaughter House in Haryana

*630. **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri Y. S. Kushwah:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the people of village Kundali in Haryana and the adjoining areas have decided to stage a demonstration against the setting up of a mechanised slaughter house at a distance of 17 miles from Delhi on the G. T. road; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जानकारी हरियाणा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Ram Avtar Sharma: When the people of this area do not eat meat then why pressure is being applied for seting up a Slaughter House in this areas?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि बूचड़खाने के बारे में एक बड़ी गलतफहमी हो रही है, पहली बात तो यह है कि इस बूचड़खाने का बड़े जानवरों के बध से कोई संबंध नहीं है। जहां तक हरियाणा क्षेत्र का संबंध है, वहां गो बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है ? इस बूचड़खाने का ऐसे जानवरों अथवा बड़े जानवरों के बध से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ ऐसा अफवाह फैल गयी है कि इस बूचड़खाने की स्थापना भैंस अथवा गाय जैसे बड़े जानवरों के बध के लिए की गयी है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके परिणाम स्वरूप वहां एक प्रकार का आन्दोलन चल रहा है। सर्वप्रथम, ऐसा बूचड़खाने के लिए जिसमें भेड़, बकरी, मुर्गी तथा सूअरों का बध किया जाता है भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Shri Ram Avtar Sharma: On 7th March, 68 a statement of Acharya Bhagwan Dev was published. It appears from that, that the Punjab Government has also opposed it and you say that the permission is not required. I am at a loss to know how this slaughter house will be set up when the Panjab Government is opposing it and you say that your permission is not required? When there is agitation against this then why this slaugter house is being set up there and the feelings of the people are being crushed?

श्री अन्ना साहब शिन्दे: जहां तक भारत सरकार का संबंध है इसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, यदि नगर पालिका अथवा नगर निगम के कार्यक्षेत्र में कोई विशेष बूचड़खाना खोला जाय तो उसके लिए नगर पालिका के नियमों के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण की दृष्टि से अनुमति

प्राप्त करना अनिवार्य है। जहां तक इस बूचड़खाने का संबंध है यह पंचायत समिति के कार्यक्षेत्र में आता है, जब हमने हरियाणा सरकार से इस विषय में परामर्श किया तो उनके विधि विभाग ने हमें सूचित किया कि अनुमति केवल पंचायत समिति ही दे सकती है बशर्ते कि संबंधित पंचायत समिति ने जिस नियम के अधीन यह कार्य कर रही है उसके अन्तर्गत उप-नियम बना लिए हों। जहां तक इस पंचायत समिति का संबंध है इसने अभी कोई उप-नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए हरियाना सरकार के विधि संबंधी राय के अनुसार इस प्रकार के बूचड़खाने को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Hon. Minister has stated that the Government of India does not come into picture. May I know whether the Government of India have made any agreement with the Essex Farm and under this whether the foreign exchange worth Rs. 19 lacs have been released or not?

How far it is correct that you applied pressure over the Punjab Government and afterwards over the Haryana Government to persuade and compel the Panchayat Samiti issue licence. Panchayat Samiti has refused to issue licence after duly passing the resolution; is it not the reason that you say that the permission of the Government is not required? Has the Panchayat Samiti not set aside your suggestion and persuation?

श्री अन्नासाहब शिन्दे: यह सत्य है कि माननीय सदस्य ने कुछ तथा अवश्य प्रस्तुत किए हैं। सन् 1963 में यह फर्म एक मांस तैयार करने वाला एकक स्थापित करना चाहती थी और इसने कुछ विदेशी मुद्रा की मांग की थी, हमारे मंत्रालय के खाद्य अनुभाग ने इसकी मांग पर विचार किया और युगोस्लाविया से जो ऋण प्राप्त हुआ था उसमें से 23 लाख रुपये मंजूर कर दिए गये, लेकिन इस फर्म ने इसका उपयोग नहीं किया और उस साख की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब भारत सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं, जो कुछ भी स्थापित किया गया है वह अपने देश में उपलब्ध सामग्री और उपकरणों द्वारा स्थापित किया गया है।

Shri Raghuvir Singh Sastri: My question was whether the Central Government has made any agreement with the Essex Farm or not?

Secondly, I asked whether it is not true that Panchayat Samiti refused to issue licence and after that you stated that there is no necessity of licence? Did you not say earlier that licence should be issued?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नहीं सोचता कि भारत सरकार के साथ कोई करार किया गया है और न ही किसी स्तर पर सरकार ने हरियाणा सरकार अथवा पंचायत समिति से लाईसेंस देने के लिए कहा।

Shri Raghuvir Singh Shastri: I have got the letter.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बड़ी बात नहीं।

श्री जगजीवन राम : आप पत्र मुझे दिखा सकते हैं। मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

Shri Shiv Kumar Shastri: It is not sufficient to say that there will be no slaughter of buffaloes or cows in the Slaughter House. It is natural that those who are not meat-eaters would not even like to see it whether it is the meat of a goat or of sheep or of a pig. Keeping in view the

feelings of the people of that area, will you please think to abrogate it so that trouble may not arise in future?

श्री अन्नासाहब शिन्दे: मैं यह स्पष्ट कर देना चहता हूं कि इस समय इस फैक्ट्री में भेड़ों, बकरियों सूअरों आदि का बध किया जाता है और जहां तक मांस भेजने का संबंध है इसका अधिकांश रक्षा विभाग को दे दिया जाता है और कुछ भाग आम जनता के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। गायों अथवा बड़े जानवरों के बध से इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए, इस विषय में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं।

Shri Abdul Ghani Dar: You have stated that cows will not be slaughtered but other animals will be. When the Panchayatt Samiti and the people of that area do not want it why the Government wants to create trouble there. At present there is President's Rule. Therefore the responsibility falls directly over the Central Government. Any wrong step by the Government will cause anxiety to the people of that area. You shift that factory here or take any where else so that trouble may be subsided.

श्री अन्नासाहब शिन्दे : इस मामले में हरियाणा सरकार सक्षम है और इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर ही है। वह वैध रूप से इस पर विचार कर सकती है।

Shri Shrichand Goel: Haryana is famous for cows and buffaloes. In comparison to cows or buffaloes, the sheep, goats and other animals are less in numbers. Therefore I would like to know the idea behind setting up this Slaughter House. In Haryana, I would also like to know the capacity of this factory. How many animals will be slaughtered daily here?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : पहली बात का उत्तर मैं दे चुका हूं कि भारत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी तथा हरियाणा सरकार इस विषय में सक्षम है। जहां तक इसकी क्षमता का प्रश्न है वह यह है कि इसमें 10 से लेकर 13 सूअर तथा 100 से लेकर 135 तक भेड़ों और बकरियों का बध किया जा सकता है और उनका मांस तैयार किया जा सकता है।

Shri Shinkre: In Goa....

अध्यक्ष महोदय : आप गोवा की बात कर रहे हैं और यहां विषय है हरियाणा का।

Shri Shinkre: It is only an introduction. A decision has been taken to set up a Slaughter House in Goa in the public sector..

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा। अगला प्रश्न लीजिए।

श्री कंवरलाल गुप्त : 632।

श्री रा० बरुआ : 652 भी लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

Supply of foodgrains to States

***632. Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice and wheat promised by the Central Government to be given to various States during the period from the 1st April, 1967 to 31st January, 1968;

(b) the quantity of rice and wheat actually given by them to each State during the above period; and

(c) whether it is a fact that Kerala received very small quantity of rice and if so, the reasons therefor?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) और (ख). 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को चावल और गेहूं की किसी विशिष्ट मात्रा की सप्लाई करने के लिए कोई निश्चित वचन नहीं दिया था। 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 की अवधि में प्रत्येक राज्य को चावल तथा गेहूं की आवंटित और वास्तव में सप्लाई की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 की अवधि में केन्द्रीय भंडार से केरल को सबसे अधिक चावल सप्लाई किया गया था।

Shri Kanwar Lal Gupta: Recently it was in the newspaper that Central Government have made some reduction or want to make some reduction in the quantity of rice and wheat which the Government want to supply to the States. If the Government is making reduction I would like to know on what dates what reduction is being made. Because now there is a good crop, will the hon. Minister give assurance that the States will be supplied as much rice and wheat as they require?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि 652 का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने दीजिये।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि विगत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष खाद्य स्थिति में सुधार है और अच्छी फसल के परिणामस्वरूप तथा रबी की फसल की अच्छी सम्भावनाओं के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की प्राप्ति में सुधार हुआ है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न की सहज उपलब्धि को देखते हुए बंटन में कमी करना स्वाभाविक है। इन आंकड़ों की तुलना उस समय के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है जिस समय विभिन्न राज्यों में सूखा पड़ा हुआ था। माननीय सदस्य को ऐसी स्थिति पर संतोष प्रकट करना चाहिए, हम एक ही आधार पर हमेशा बंटन नहीं कर सकते।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप उसे दूसरे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta: When Shri C. Subramanyam was the Minister for Food, the Government assured Kerala Government that 75,000 tons of rice will be supplied every month and accordingly Government have been supplying rice to Kerala till now but in the midst perhaps due to shortage or other reasons it was reduced. I would like to know, because the food situation has improved and there has been a good crop; will the hon. Minister give firm assurance to the State Governments that in the next year their requirements of rice and wheat will be fully met?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : यहां आश्वासन दिलाने का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर : आपकी आश्वासन देने की बात कुछ जंचती नहीं।

श्री अन्नासाहब शिन्दे : यह राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है कि ...

श्री कंवरलाल गुप्त : वे उत्तर को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें संयुक्त उत्तरदायित्व है। मान लीजिए किसी राज्य में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या उस घाटे की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : जहां तक केरल को चावल भेजने का संबंध है. . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केरल के विषय में तो पूछा ही नहीं है।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सौभाग्य से इस वर्ष की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी है। केन्द्रीय सरकार घाटे के क्षेत्रों तथा राज्यों को गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्न भेज कर वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगी। केवल गेहूं और चावल ही नहीं, वहां मिलो, मक्का तथा अन्य वस्तुओं की मांग भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि सरकार राज्यों की उचित आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से 652 का उत्तर देने के लिए भी कहता हूं।

राज्यों को खाद्यान्न का सम्भरण

+

*652. **श्री रा० बरुआ** :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को खाद्यान्न की उस मात्रा में कमी करने का है जिसकी का उसने उन्हें देने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) और (ख). राज्यों को खाद्यान्नों का आवटन केन्द्र के पास उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करती हुए मासिक आधार पर किया जाता है। केन्द्र के पास विशेषतः आयातों से गत वर्ष की अपेक्षा उपलब्धि कम रही है। खरीफ की अच्छी फसल और रबी की फसल बेहतर होने की संभावना से यह आशा की जाती है कि अधिकांश राज्य गत वर्ष की अपेक्षा अब अपेक्षाकृत कम केन्द्रीय आवंटन से गुजारा कर सकते हैं।

श्री रा० बरुआ : हाल ही के एक प्रतिवेदन से मालूम पड़ता है कि सरकार ने आसाम को चावल भेजना बन्द कर दिया है। यह गेहूं पैदा करने वाला क्षेत्र नहीं है फिर भी इसके गेहूं के आवंटन में कटौती कर दी गयी। नवम्बर, 1967 में यह संभरण 20,000 टन का था, दिसम्बर में घटकर 16,000 टन हो गया तथा जनवरी, 1968 में 12,000 टन रह गया। वास्तव में जितना देना

नियत किया गया था व्यावहारिक रूप से उतना दिया नहीं गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह असंगति क्यों उत्पन्न हुई और सरकार उस क्षेत्र में चावल तथा गेहूं की कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : यह सर्व विदित है कि खरीफ की फसल नवम्बर में प्रारम्भ होती है और सामान्यत: धान तथा अन्य खाद्यान्न नवम्बर के बाद उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कुछ राज्यों के खाद्यान्न के संभरण में कुछ हद तक कटौती की गयी । लेकिन संभरण करते समय विभिन्न राज्यों की कठिनाइयों पर सम्यक रूप से विचार किया गया ।

Shri Beni Shankar Sharma: Hon. Minister is aware that West Bengal is deficit area and it is its responsibility to feed Calcutta. Therefore the question of reducing its supply does not arise. Because of good crop this time, I would like to know whether the West Bengal Government will get full quantity of rice?

श्री जगजीवन राम : हम पश्चिमी बंगाल को प्रतिमास 15,000 टन चावल तथा लगभग 70 से 75 हजार टन तक अन्य खाद्यान्न का सम्भरण करते रहे हैं । इस वर्ष, मेरे विचार से पश्चिमी बंगाल में गत वर्ष की तुलना में धान तथा अन्य चीजों की अधिक अच्छी फसल हुई है। लेकिन में पश्चिमी बंगाल को मक्का अथवा जौ और गेहूं आदि खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में सप्लाई करने का प्रयत्न कर रहा हूं और साथ ही यह ध्यान रखूंगा कि खाद्यान्न की समुचित मात्रा का सम्भरण किया जाए ।

Shri V. N. Jadhav: Mr. Speaker, due to heavy rains in the large area of Maharashtra the rabi crops have been destroyed; under these circumstances whether the Food Minister will increase the quota of foodgrains and make supplies?

श्री जगजीवन राम : जी हां , महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्षा के देर से होने के कारण तथा ओला-वृष्टि के कारण रबी की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा और महाराष्ट्र ने इस दौरान अधिक संभरण की मांग की जिससे वे इस खाद्यान्न को उन इलाकों को भेज सकें जहां मानसून में भेजना दुष्कर होगा। हम इन दो-तीन महीनों के दौरान कुछ अधिक खाद्यान्न भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे वे इस कठिनाई का सामना कर सकें ।

श्री मोहन सिंह ओबराय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक की अवधि के लिए जो बिहार सरकार के लिए कोटा निश्चित किया था, क्या उसका पूर्णरूपेण पालन किया ?

श्री जगजीवन राम : मैं वक्तव्य की ओर उसका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री नायनार : जहां तक केरल के लिए नियत कोटा का संबंध है भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने 75,000 टन चावल भेजने का आश्वासन दिया था ।

हमारे नये खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने केरल के लिए प्रतिमास 70,000 टन चावल की आवश्यकता बताते हुए सदन में आश्वासन दिया था कि इस मात्रा को भेजने का भरसक प्रयत्न किया

जायेगा। पिछले वर्ष जब वे केरल में आए थे तब एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि वे केवल 50,000 टन चावल का संभरण कर सकती हैं। संसद के इस सत्र में माननीय मंत्री ने कहा कि वे केवल 40,000 टन का सम्भरण कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : : प्रश्न कीजिये।

श्री नायनार : सन् 1965 में केन्द्र सरकार ने केरल के लिए 9.8 लाख टन चावल नियत किए थे। सन् 1966 में 7.63 लाख टन चावल दिए गये और सन् 1967 में उनके उत्तर के अनुसार 5,34,000 टन चावल नियत किया गया था लेकिन वास्तव में केवल 3,80,000 टन चावल का ही संभरण किया गया। किन्तु केरल में कांग्रेस के सदस्य अधिक चावलों के लिए मांग कर रहे हैं और यहां......

अध्यक्ष महोदय : : खाद्य संबंधी चर्चा को छोड़ कर अब आप अपना प्रश्न कीजिये।

श्री नायनार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार केरल के चावल के कोटे में वृद्धि करेगी अथवा केरल के कांग्रेसियों का चावल की मात्रा में वृद्धि करने के हेतु सत्याग्रह न करने की सलाह देगी ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार केरल को चावल भेजने के लिये भरसक प्रयत्न करते हैं।

तथापि इस सभा में यह आश्वासन दिया गया है कि यदि हमारे वश के बाहर किसी कारण से किसी समय चावल में कोई कमी हुई, तो उसकी जगह गेहूं सप्लाई किया जायेगा और जहां तक केरल की आवश्यकता का संबंध है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : पहले सूखे वाले वर्षों में चावल उपभोग करने वाले राज्यों से चावल के स्थान पर गेहूं लेने के लिये कहा गया था। चूंकि खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है क्या सरकार का विचार चावल उपयोग करने वाले राज्यों के लिये गेहूं का कोटा कम करने का है ताकि हमें विदेशों से अधिक मात्रा में गेहूं का आयात नहीं करना पड़े ?

श्री अन्नासाहब शिन्दे : जैसा कि मैं कह चुका हूं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तव में उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है, और विभिन्न राज्यों को नियतन में इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

Shri Prakashvir Shastri: Sir, if I am not mistaken, the Agriculture Minister Shri Jagjivan Ram had given an assurance during the last session that expansion or abolition of food zones would be decided after taking into account the ensuing crop prospects. Are Government going to take a final decision in the matter since the current crop has come into the market, which may ensure supplies of foodgrains to States which are facing shortage?

Shri Jagjivan Ram: The rabi crop is still to come and a decision is taken before the rabi crop about the policy in regard thereto after consulting the concerned Chief Ministers. A conference of Chief Ministers has been called on 16th and after discussion with them a decision will be taken in this matter.

Shri Chandrika Prasad: In the Eastern region of U.P. the crop is quite good but in some parts the peas, and gram crops have been damaged. Will you arrange supply of coarse grain to these areas?

Shri Jagjivan Ram: The rabi crop in U.P. has been so good that there will a surplus after meeting the requirements of the State. After all in such a vast country there may be some areas hit by hailstorm and excessive rain.

श्री वासुदेवन नायर : मुझे यह कहना पड़ना है कि केरल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा मूल प्रश्न का उतर वास्तव में भ्रामक है। जबकि सरकार को लगभग $7\frac{1}{2}$ लाख टन चावल भेजना था, वह केवल $3\frac{1}{2}$ लाख टन चावल भेज सकी। फिर भी वह कहती रहती है कि हमने अन्य राज्यों की तुलला में केरल को सबसे अधिक चावल दिया। यह एक 50 प्रतिशत कमी वाला राज्य तथा एक ही राज्य वाला खाद्य क्षेत्र है। भारत सरकार ने गत दस वर्षों में राज्य को बाहर से सप्लाई की गई चावल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 1964 में आश्वासन दिया था कि केरल को प्रति मास 75,000 टन चावल सप्लाई किया जायेगा। अब मंत्री महोदय अच्छी फसल की बात करती हैं और एक सुनहरी तस्वीर खींच रहे हैं। क्या इस समय आशा करें कि केन्द्रीय सरकार केरल को 75,000 टन चावल की सप्लाई के वचन को पूरा करेगी ? मैं एक पक्का आश्वासन चाहता हूं।

श्री जगजीवन राम : मैं इस सभा में कई बार यह स्पष्ट कर चुका हूं कि केरल को 75,000 टन चावल सप्लाई करना सम्भव नहीं होगा।

श्री वासुदेवन नायर : क्यों ?

श्री जगजीवन राम : क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है। अच्छी फसल का अर्थ केवल चावल नहीं अपितु अनाज की फसल है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक केरल को अनाज की सप्लाई का सम्बन्ध है, उसकी पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

श्री को० सूर्यनारायण : क्या भारत सरकार निरन्तर कमी को दूर करने के लिये, विशेष रूप से केरल और पश्चिम बंगाल में, कोई गंभीर कदम उठा रही है ? क्या केन्द्र इसको दूर करने के लिये राज्य सरकारों को विशेष रूप से केरल सरकार को सलाह देगी कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर अनाज पैदा किया जाये।

श्री जगजीवन राम : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि धान की अधिक उपज वाली किस्में बोने तथा अधिक भूमि में धान की खेती करने के लिये केरल में भी सक्रिय कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं। लेकिन इस समय केरल में कृषि उपज के ढांचे को देखते हुए मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि वे उन वस्तुओं के स्थान पर चावल पैदा करें।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : राज्य मंत्री ने कहा कि विचाराधीन अवधि में राज्यों को विशिष्ट मात्रा सप्लाई किये जाने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिये गये थे। हमारी जानकारी इससे भिन्न है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के जो अब इस संसद् के अधीन है, खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निश्चित वक्तव्य दिये गये हैं। कि पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई की जाने वाली मात्रा के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विशिष्ट आश्वासनों के आधार पर वर्तमान कमी लगभग 2 लाख टन है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न कारणों से—मैं कारणों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु यह निश्चित तथ्य है—इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने पर भी अब तक वसूली बहुत कम हुई है, क्या सरकार यह

सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल को चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई में गत वर्षों की इस कमी को पूरा किया जाता है और कम से कम उस राज्य में कानूनी राशन व्यवस्था भंग न हो ?

श्री जगजीवन राम : मैं बता चुका हूं कि हम प्रति मास 15,000 टन चावल के हिसाब से सप्लाई करते रहे हैं, मैंने कहा है कि हम ऐसा करते रहेंगे। जहाँ तक अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई का सम्बन्ध है, मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया है कि हम पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मक्का, जौ तथा अन्य खाद्यान्न दे सकेंगे ।

श्री लोबो प्रभू : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हापुड़ में 50 रु० और 60 रु० प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की अग्रिम बिक्री हो रही है तथा दिल्ली में पड़ौसी राज्यों से पाबन्दियों के हटाये जाने की पूर्वाशा में प्रतिदिन भाव गिर रहे हैं; यदि हाँ, तो क्या इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि 16 तारीख को होने वाली बैठक में खाद्य क्षेत्रों के बारे में दृढ़ निर्णय किया जायेगा क्योंकि किसानों के लिये यह उचित नहीं है कि सरकार की अकर्मण्यता तथा विलम्ब के कारण आतंक अथवा इस प्रकार की अनिश्चितता हो ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि कोई अकर्मण्यता अथवा विलम्ब हुआ है। मैं जानता हूं कि निर्बाध व्यापार के बारे में इस सभा में तथा बाहर कुछ मत हैं। मैं स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। मैं यह कह सकता हूं कि इस समय समूचे देश को एक खाद्य क्षेत्र नहीं माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल आश्वासन नहीं देने के लिये नहीं होता है ।

श्री जी० एस० रेड्डी : जबकि आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सरकार की चावल की पूर्ण आवश्यकता पूर्ण कर रहा है, क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश को माइलो की आवश्यक मात्रा सप्लाई कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आन्ध्र प्रदेश की उचित आवश्यकता पूरी करना संभव होना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai: Is it a fact that the Madhya Pradesh Government and the Joint Committee there has requested for allocation of additional quota for the Simhasha Fair going to be held in Ujjain? During his last visit to Ratlam our Agriculture Minister had given an assurance to some people that the quota of sugar and rice for Madhya Pradesh will be increased. What has been done about it?

Shri Jagjivan Ram: This year Madhya Pradesh has got a bumper crop, both of rice and wheat. As regards rice, we are ourselves procuring it from them, if we have to supply rice to them, these will be procurred from them, Similarly we are going to ask them to provide some wheat also for meeting the requirements of other States. Since a fair is to be held there, they want cheap wheat, we have stated that we will send them some supplies.

Shri Hukam Chand Kachwai: What has been done about sugar?

Shri Jagjivan Ram: Sugar is there in the market.

Shri D. N. Tiwary: There are number of States facing deficit in spite of a bumper crop and their requirements of food are not met solely from within the State and their *per capita* availability of foodgrains is very low. If it is 14 ounces in other places, there it is 11 ounces only. Since there is a bumper crop, are efforts being made to compensate their *per capita* availability of foodgrains so as to enforce a uniform standard on the All India level?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह कहा चुका है कि राज्य सरकारों की उचित माँग पूरा करना संभव होना चाहिए ।

श्री श्रीधर : केन्द्र का केरल के प्रति रवैया सास का बहू के प्रति रवैये के समान है वह चाहती है कि उसका पुत्र मर जाये ताकि कम से कम उस समय बहू के आँखों में आँसू तो आयेंगे । केवल चाहता है कि केरल के लोग मरें ताकि कम से कम उस समय संयुक्त मोर्चे की सरकार की आँखों में आँसू तो आयेंगे । केन्द्र नहीं कह सकता है कि राज्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आज के लिय खाना है तो कल का पता नहीं । किसी भी समझदार सरकार को चाहिए कि आगामी महीनों में विभिन्न राज्यों को चावल की सप्लाई के बारे में अस्थाई रूप से निर्णय कर ले । क्या सरकार ने केरल को आगामी महीनों में चावल की सप्लाई के बारे में कोई अन्तरिम निर्णय किया है और यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

श्री अन्ना साहब शिन्दे : अपने मूल उत्तर में मैं बता चुका हूं कि विभिन्न राज्यों तथा आयात से केन्द्र को जो चावल और खाद्यान्न उपलब्ध होगा, उसका पर्याप्त भाग केरल को जायेगा ।

श्री जी० भ० कृपालानी : क्या सरकार समझती है कि इस क्षेत्रीय प्रणाली से भारत में अधिक एकता आयेगी और क्या इस प्रणाली के समर्थक राज्य कभी इनके समाप्त किये जाने के लिये अपनी सहमति देंगे ?

श्री जगजीवन राम : क्षेत्रीय प्रणाली अनाज की वसूली की एक नीति है ताकि कमी वाले राज्यों को अनाज सप्लाई किया जा सके । न केवल आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्यों ने अपितु कमी वाले कुछ राज्यों ने भी इसका समर्थन किया था क्योंकि उन्हें एक निश्चित मात्रा मिल जाती है । स्थिति में सुधार होने पर इस पर हमेशा पुनर्विचार किया जा सकता है ।

खाद्यान्न की वसूली

633. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से खाद्यान्नों को वसूली और नियतन की माँग के वर्ष 1968-69 के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य की माँग क्या है तथा इसका कितना भाग देश में से खाद्यान्न की वसूली करके पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या आगामी वर्ष में खाद्यान्न आयात सम्बन्धी कार्यक्रम को देखते हुए यह माँग पूरी हो सकेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 विपणन मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है और उस वर्ष के अधिप्राप्ति संबंधी आंकड़ों के देने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता है । उस वर्ष के लिए खाद्यान्नों के आवंटन हेतु माँगें भी किसी भी राज्य से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Prem Chand Verma: What is the cost of procurement in the various parts of the country and what is the maximum and minimum difference between sale-price and purchase price laid down by Government?

Have Government received complaints regarding difference of 30 to 40 paise per kilo in the prices of imported and country wheat?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में यह प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आयातित गेहूं के मूल्य आदि के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। वे दूसरा प्रश्न पूछें।

Shri Prem Chand Verma: Will you kindly give an assurance that like the previous year there will be no scarcity of foodgrains in any of the States and the prices will not be allowed to rise and the demands for foodgrains of States will be met in full?

Shri Jagjivan Ram: The position this year would be definitely satisfactory as compared to the last year. But it cannot be said that the demand would be met fully. Reasonable quantity would, of course, be supplied.

श्री हेम बरुआ : अधिकांश राज्यों में वसूली की प्रगति धीमी रही है। आसाम राज्य ने भी वसूली के लक्ष्य का केवल एक तिहाई ही पूरा किया है। साथ ही सरकार का विचार आंशिक रूप से पी०एल० 480 के अन्तर्गत आयात से और आंशिक रूप से देश में वसूली से अनाज का रक्षित भण्डार बनाने का है। चूंकि अधिकांश राज्यों में वसूली की प्रगति धीमी रही है क्या सरकार पी०एल० 480 के अन्तर्गत विदेशों से आयात से रक्षित भण्डार बनाना ठीक समझती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : समूचे देश में प्रगति की दर सामान्य रूप से बहुत उत्साहवर्धक रही है और फरवरी के अन्त तक हम 20 लाख टन से अधिक वसूल कर चुके हैं। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कुछ स्थानों में, देश में कुछ राज्यों में वसूली ठीक नहीं हुई है और हमने इस ओर सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री वेदब्रत बरुआ : इस वर्ष 1000 लाख टन अन्न उत्पादन की सम्भावना है जो गत वर्ष की उपज से 220 लाख टन अधिक है। इस वर्ष भी 40 लाख टन से 70 लाख टन अन्न आयात किया जायेगा। इतना अन्न आयात करने का क्या कारण है--क्या लोगों में भोजन की आदतों में परिवर्तन अर्थात् अन्न के भण्डार जमा करने की इच्छा ?

श्री जगजीवन राम : इसका उत्तर इस सदन में कई बार दिया जा चुका है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या खाद्य मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह भारत को अन्न के मामले में चार क्षेत्रों से अधिक क्षेत्रों में नहीं बाटेंगे ?

श्री जगजीवन राम : खाद्यान्न के क्षेत्रों से भी किसानों को अपने अन्न का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। हमारी इच्छा यह है कि उसे उचित मूल्य प्राप्त हो।

श्री कार्तिक ओराओं : परिवार नियोजन के उद्देश्य को गलत समझा गया है...

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा विषय ले बैठे हैं। इसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री स्वैल : इस वर्ष की फसल को देखते हुए क्या सरकार यह नीति अपनायेगी कि प्रत्येक राज्य खुले बाजार से अन्न खरीदे ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वसूली का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा हुआ है कि जैसा व उचित समझें करें ।

श्री चें गलराया नायडू : क्या यह सच है कि आयात किया चावल भारत में 1350 रु० प्रति टन पड़ता है। जबकि आंध्र सरकार 700 रु० प्रति टन चावल देती है जिसमें 150 रु० खाद्य निगम के शामिल नहीं किये हैं। क्या केन्द्र की भेदभावपूर्ण नीति के कारण आंध्र सरकार ने अन्य राज्यों को चावल देने से इन्कार कर दिया है ?

श्री जगजीवन राम : आंध्र प्रदेश में चावल का मूल्य वहाँ की राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किया है और उसी मूल्य पर हम उसकी वसूली कर रहे हैं। देशीय चावल का मूल्य आयात किये चावल के मूल्य से कम है ।

Shri Ram Sewak Yadav: Is it a fact that the small farmers are subjected to pressure in the matter of procurement whereas big ones escape by bribing the officials?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वसूली का कार्य राज्य सरकारों का है। यदि कोई शिकायत आपके पास आई है तो मुझे अवगत करायें और मैं उसे सम्बन्धित राज्य सरकार के पास भेज दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कुछ राज्य सरकारें वसूली के कार्य में सुस्त हैं। उनके नाम क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिमी बंगाल तथा केरल में वसूली का कार्य संतोषजनक नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर : केरल में वसूली का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस से अधिक वसूली हो गई है। इस प्रकार राज्य सरकार को बदनाम करना ठीक नहीं है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं उन लक्ष्यों के बारे में कह रहा हूं जो कृषि मूल्य आयोग ने निर्धारित किये थे ।

Shri Balraj Madhok: I want to know which of the States were deficit last time and would become self-sufficient this time? Also whether Government have taken steps to store the procured grain?

Shri Jagjivan Ram: We hope to get 5-6 lakh ton foodgrains from Madhya Pradesh this time. Bengal and Kerala would remain deficit, Andhra is surplus. Maharashtra and Gujarat are both deficit States but their condition has improved then what it was last year. Punjab and Haryana are surplus States but we would still have to give to Himachal Pradesh. U.P. is a marginal deficit State but that State would require lesser foodgrain this time. Delhi would always be deficit, Bihar is better than what it was last year.

We have a storage capacity for 5 million, ton foodgrains and we would achieve it soon.

Shri Randhir Singh: What steps are Government taking to see that the price of foodgrains does not go down much as due to procurement the prices have gone much down?

Shri Jagjivan Ram: The prices have not gone down very much but we have created an agency to see that the prices do not go down very much.

Shri Ramavtar Shastri: Have Government chalked out a plan for the creation of buffer stock and if so what are the details thereof? Also have State Governments made out plans to procure foodgrains? What is the Government of India's reaction to the abandonment of the procurement policy by new Bihar Government which the earlier Government had made?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि अधिक से अधिक वसूली करें।

श्री अरूमुगम : क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में वसूली के मूल्य पड़ौसी राज्यों से कम हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य को अधिक मूल्य देने से इन्कार कर दिया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह तथ्य नहीं है। वसूली के मूल्य राज्य सरकारों से परामर्श करके रखे गये थे।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम आंध्र में किसानों से अच्छे किसम का चावल घटिया किसम के चावलों के भाव में खरीदता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जिन भावों पर भारतीय खाद्य निगम चावल खरीदता है वे राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किये थे।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : वर्ष 1967–68 में कितनी वसूली हुई तथा वर्ष 1968–69 के लिये इससे कितने प्रतिशत अधिक का लक्ष्य रखा है तथा उसके भण्डार का प्रबन्ध किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चालू वर्ष के लिये खरीफ की फसल में 70 लाख टन तथा रबी की फसल में 10 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य कृषि मूल्य आयोग ने रखा था तथा आशा है कि वह पूरा हो जायेगा। फिर भी यह राज्य सरकारों के ऊपर है कि वह कितना कार्य करती हैं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों का आयात

628. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा आयात की गई थी तथा उसका मूल्य कितना है; और

(ख) 1968-69 में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा आयात की जायेगी तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1967–68 तथा 1968–69 के लिये प्राक्कलित रसायनिक खाद का आयात निम्न प्रकार से है :—

(हजार टनों में)

उर्वरक	प्राक्कलित आयात 1967–68 (अप्रैल 67 से मार्च 68 तक)	वर्ष 1968–69 के लिए आयात के अस्थायी आंकड़े
नाईट्रोजन .	900	1045
पी० ओ० 25	360	230
के० ओ० 2	296	200
विदेशी मुद्रा में कीमत . .	28·10 करोड़ डालर	30 करोड़ डालर

अपीजे शिपिंग कम्पनी

631. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर 9167 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कान्टावाला के समक्ष संसद् सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज के विरुद्ध दायर की गई चुनाव-याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिये गये साक्ष्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या 'अपीजे शिपिंग कम्पनी' द्वारा जहाज के कमाण्डरों को भेजे गये परिपत्र के मंत्रालय में प्राप्त हो जाने के पश्चात् कम्पनी अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति ने सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था;

(ग) क्या 'अपीजे शिपिंग कम्पनी' से 1962–63 अथवा इसके पश्चात् कोई स्पष्टी-करण मांगा गया था; और

(घ) यदि हां, तो स्पष्टीकरण का सार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी हां।

(ख) इसके सम्बन्ध में सरकारी रिकार्ड में कोई संकेत नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय श्रम नियमों को सरकारी उपक्रमों में लागू करना

*634. **श्री स० मो० बनर्जी** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कार्मिक संघों की ओर से बार बार यह मांग की गई है कि केन्द्रीय श्रम नियमों को इन उपक्रमों में लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानूनों को लागू करने की बार बार मांग की गई है। यदि हां, तो स्थिति यह है कि सारे केन्द्रीय श्रम कानून ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्य सरकारों ने औद्योगिक संबंधों के बारे में अपने अलग कानून बनाये हैं इन उपक्रमों पर लागू होते हैं। ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के उपक्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं आते राज्य सरकार ही संबंधित सरकार होगी और औद्योगिक संबंधों के मामलों के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिश

*635. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी' के प्रतिनिधि गैर पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में एक बार और बातचीत करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) क्या बैठक की तिथि और स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग). संबंधित पक्षों के बीच 4 और 5 मार्च, 1968 को बातचीत हुई। उन्होंने दोबारा 12 मार्च को बम्बई में बैठक बुलाने का निर्णय किया है।

कीटनाशी दवाइयों के लिये अर्थ सहायता

636. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों में कीटनाशक दवाइयों के वितरण के लिए दी जा रही अर्थ-सहायता बन्द कर देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहायता समाप्त किये जाने पर कीटनाशी दवाइयों के मूल्यों के अत्यधिक बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो कीटनाशी दवाइयों के मूल्यों को बढ़ने जैसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इस समय भारत सरकार किसानों को कुछ विशेष योजनाओं के अतिरिक्त कीटाणुनाशक दवाई (पेस्टीसाइड) खरीदने के लिये अनुदान नहीं देती । इसलिये अनुदान की वापिसी का प्रश्न नहीं उठता । तीसरी योजना तथा 1966–67 के दौरान भारत सरकार ने किटाणुनाशक दवाई (पेस्टीसाइड) की खरीद के लिये 25 प्रतिशत का उपदान दिया, वर्ष 1967–68 से इसे वापिस ले लिया गया है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब किसान पौदों के संरक्षण से प्राप्त लाभ से अनभिज्ञ नहीं हैं और पेस्टीसाइड की खरीद के लिये अनुदान देने से उस सीमा तक योजना सीमित हो जायेगी, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे अनुदान को जारी न रखें ।

वे योजनाएं जिनके लिये अभी भी भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जा निम्नलिखित हैं :—

(1) **चूहों से खाद्यान्न की रक्षा** : इस बात को देखते हुए कि चूहों द्वारा खाद्यान्न की अत्यधिक क्षति हुई है भारत सरकार मूषकघाती दवाइयों पर लागत के लिये पूर्ण अनुदान देकर चहों के उत्पात को रोकने के उपायों के लिये प्रोत्साहन देती है, वर्ष 1966–67 के दौरान इसके लिये 12.9 लाख रुपये नियत किये गये थे तथा वर्ष 1967–68 के लिये 40 लाख रुपये नियत किये गये हैं ।

(2) **संक्रामक रोगों से बचाव** : वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 के दौरान भारत सरकार ने उन क्षेत्रों के लिये किटाणुनाशक दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) पर लागत के लिये पूर्ण अनुदान दिया है जिन क्षेत्रों में फसल को हानि पहुंचाने वाले संघातक जीव अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो गये हैं और जहाँ फसल को क्षति पहुंचाने वाली भयानक संक्रामक बिमारियाँ फैल गयी हैं । इन दो वर्षों में इस कार्य के लिये क्रमशः 30 लाख रुपये तथा 45 लाख 96 हजार 950 रुपये नियत किये गये थे ।

(3) **रोग–निरोधक उपचार** : रोग निरोधी आधार पर अपनाये गये पादप-संरक्षण उपायों की सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिये किटाणुनाशक दवाइयों (पेस्टी-साइड्स) पर जो लागत आती है उसके लिये भारत सरकार 1966–67 से पूर्ण अनुदान दे रही है । वर्ष 1966–67 तथा वर्ष 1967–68 के लिये इस हेतु क्रमशः 16 लाख रुपये तथा 8.7 लाख रुपये नियत किये गये थे ।

855(ai)LS—2.

(4) **कपास, मूंगफली तथा तम्बाकू** : विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजनाओं के अन्तर्गत 1966-67 तथा 1968-69 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कपास, मूंगफली तथा तम्बाकू के सम्बन्ध में किटाणु-नाशक दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया।

कपास के सम्बन्ध में, गहन पादप-संरक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, चुने हुए छोटे क्षेत्रों में किटाणुनाशक दवाइयों की सम्पूर्ण लागत भी भारत सरकार द्वारा चुकायी जा रही है।

फिलहाल इन योजनाओं को बन्द करने का कोई सुझाव नहीं है। फिर भी उपरोक्त (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट योजना के सम्बन्ध में अनुदान देने वाली समुचित प्रणाली परीक्षणाधीन है।

इसके अतिरिक्त, संघ राज्य-क्षत्रों में इनके कृषि विषयक पिछड़ेपन के कारण किटाणु-नाशक दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) की खरीद के लिये अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1967-68 के दौरान खाद्यान्न की फसलों के लिये खरीदी गई किटाणुनाशक दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) के लिये 75 प्रतिशत तथा पौधा-रोपण और बागबानी के लिये प्रयोग में लायी गयी पेस्टीसाइड्स के लिये 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया। 1968-69 से 1970-71 तक 50 प्रतिशत का एकसमान अनुदान जारी रखा जायेगा।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि अब पेस्टीसाइड्स की खरीद के लिये अनुदान नहीं दिया जाता, इसलिये इसको जारी न रखने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी 1967-68 में, 1966-67 के अन्त तक, दिये गये अनुदानों को जारी न रखने के कारण निम्नलिखित थे :—

(1) पादप-संरक्षण उपायों की उपयोगिता की किसानों द्वारा सराहना किये जाने के संदर्भ में अनुदानों का आवश्यकता से अधिक दिया जाना; और

(2) अपने बजटों में अनुदान की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों की अपनी सीमा के कारण कार्यक्रम के आधार में नियंत्रण की सम्भावना।

(ग) और (घ). अनुदान को वापिस लिये जाने के कारण पेस्टीसाइड के विक्रय मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यह आशा की जाती है कि स्पर्धा के कारण कीमतें सामान्य रहेंगी। कीमतों के असामान्य रूप से चढ़ने पर सरकार उसके लिये समुचित उपायों पर विचार करेगी।

कृषि श्रमिकों सम्बन्धी कानूनो का लागू करना

†637. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में कृषि श्रमिकों सम्बन्धी वर्तमान श्रम काननों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वर्तमान कानूनों को सभी राज्यों में कड़ाई से लागू किया जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है ।

विवरण

खेतिहर श्रमिकों के लिये कोई अलग कानून नहीं है और खेतिहर श्रमिकों के सम्बन्ध में कार्यवाही का दायित्व राज्य सरकारों का है । परन्तु खेतिहर श्रमिकों को कुछ श्रम कानूनों से लाभ अवश्य होता है । उदाहरण के लिये खेतिहर श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित करना आवश्यक है और वास्तव में यह मद्रास और महाराष्ट्र को छोड़कर अभी राज्यों द्वारा सारे राज्य के लिये निर्धारित की गई है । मद्रास और महाराष्ट्र के साथ मामला उठाया गया है । राज्य सरकारों द्वारा कानून के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी लागू करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु इन श्रमिकों के अधिक संख्या में होने और कृषि कार्य के स्थान स्थान पर फैले होने के कारण निरीक्षण सुविधाओं से विस्तृत करने की आवश्यकता है । केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है ।

मजूरी बोर्डों सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग

*638. **डा० रानेन सेन:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्डों सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने मजूरी बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा मजूरी बोर्डों की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिये स्थापित समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) आयोग द्वारा अभी तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है ।

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किये जाने और इस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें भेजे जाने के बाद ही यह प्रश्न उठेगा ।

हरियाना में मध्यावधि निर्वाचन

*639. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में मध्यावधि निर्वाचन के अवसर पर अन्य राज्यों से पुलिस तथा 'पीठासीन आफिसर' नियुक्त करने सम्बधी कोई प्रस्थापना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद सम्बन्धी व्यय

640. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बारे में कई ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वास्तविक अनुसन्धान पर अधिक धन व्यय न करके प्रशासन पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है;

(ख) नियमों के अन्तर्गत राजस्व का कितने प्रतिशत अनुसन्धान उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना चाहिये; और

(ग) क्या प्रशासनिक व्यय कम करने और धन को वास्तविक अनुसन्धान कार्य पर व्यय करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में ऐसी कोई शिकायत किसी बाहर की एजेन्सी, संगठन या व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) परिषद् की आय मुख्यतया सभ्यता अनुदानों से है जो कृषि तथा पशु विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा शिक्षा के लिये भारत सरकार से प्राप्त होते हैं और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्स सैस एक्ट 1940 के लाभ से जिसके अधीन भारत से निर्यात होने वाली कुछ कृषि उपज पर कर लगाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और एग्रीकल्चरल प्रोड्स सैस ऐक्ट अनुसन्धान या प्रशासन पर होने वाले खर्च की विशेष प्रतिशतता का निर्देशित नहीं करता।

(ग) कुशल संचालन, प्रशासन तथा अनुसन्धान के समन्वय पर न्यूनतम खर्च किया जाता है। सरकारी कार्यालयों के लिये समय-समय पर निर्धारित विभिन्न अर्थ सम्बन्धी उपायों को अपने खर्च के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा लागू किया जाता है।

Parliamentary Secretary, Rajasthan Government

641. **Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Meetha Lal Meena:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether Shri Jasraj, Parliamentary Secretary, Rajasthan Government, is still in Government service in the Sales-tax Department of Rajasthan;

(b) whether, being still in Government service, his election to the Rajasthan Legislative Assembly is in contravention of the Peoples' Representation Act; and

(c) if so, the action taken by the Election Commission in the matter?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) Neither the Government of India nor the Election Commission have any information in the matter.

(b) and (c). Does not arise.

औद्योगिक एवं कृषि बस्तियां

*642. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई बेरोजगारी को समाप्त करने विशेषकर बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एवं कृषि बस्तियां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी बस्तियां स्थापित करने का काम किस संगठन को सौंपा गया है; और

(घ) 1968–1969 में इस कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जमीर) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

फसल उगाने का तरीका

*643. **श्री बीरेश्वर कलिता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई रूपरेखा बनाई है कि देश में भविष्य में फसलें उगाने का क्या तरीका होना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बात क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में भविष्य में फसलें उगाने के तरीकों के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं ।

(ii) चुने हुए जलगृह क्षेत्रों में फसलों के उगाने के नये तरीकों और सिंचाई साधनों के विकास के लिये एक मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजना बनाई गयी है ।

(ख) सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(1) जनवरी, 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने फसल तैयार करने के तरीकों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। विद्यमान फसल तैयार करने के तरीकों का पुनर्विलोकन किया गया तथा अल्पावधि में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपलब्धि और कृषि विज्ञान तकनीकी में परिवर्तनों को देखते हुए भविष्य में फसल तैयार करने के तरीकों के लिये सिफारिशें की गयीं।

(2) मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(क) फसल पैदा करने के उपयुक्त तरीके निकालने तथा वर्तमान तरीकों की तुलना में उनके हानि-लाभ का मूल्यांकन करना;

(ख) सिंचाई कितने समय बाद, किस तरीके से और कितनी बार की जानी चाहिये, उसका कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा उपलब्ध सिंचाई जल का किस प्रकार से वितरण किया जाय, इन बातों तथा सिंचाई के अन्य विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके सिंचाई के उपयुक्त तरीके खोजना;

(ग) सिंचाई के परिणामस्वरूप तैयार नई फसलों के लिये अपेक्षित उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों तथा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करना; और

(घ) कृषि (जल विभाग) विभाग के आयाकट विकास तथा अग्रिम परियोजना विकास योजना के लिये पूरक कार्यक्रम के आवश्यक प्रथम चरण के रूप में कार्य करना।

इस परियोजना का कार्य विभिन्न राज्यों के नौ केन्द्रों में आरम्भ किया जायेगा। इस योजना पर चौथी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों में लगभग 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

मजूरी बोर्ड के पंचाटों को कोयला खानों में लागू करना

*644. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान मालिकों ने मजूरी बोर्ड के पंचाटों को अब तक लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें लागू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो कोयला खानों की मजूरी की दरें इस समय कितनी हैं तथा पांच वर्ष पहले कितनी थीं; और

(घ) वहां के श्रमिकों को इस समय कौन-कौन सी अन्य सुविधायें प्राप्त हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति 285 कोयला खानों में, जिनमें लगभग 82 प्रतिशत श्रमिक काम करते हैं, शुरू हो गई है।

(ख) शेष कोयला खानों में इन सिफारिशों को अनुनय और परामर्श से लागू कराने के लिये प्रयत्न जारी हैं।

(ग) और (घ). 1962 में मजूरी बोर्ड की नियुक्ति से पूर्व कोयला खानों के श्रमिकों की मजूरी दरें और सेवा-शर्तें मजूमदार पंचाट पर आधारित थीं।

लोह अयस्क खान श्रमिकों के लिये कल्याण उपकर

***645. श्री बाबू राव पटेल :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में 60,000 लौह अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण के लिये कल्याण उपकर के रूप में 1963 से लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये इकट्ठे किये गये हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त धनराशि में से केवल 53 लाख रुपये श्रमिकों के वास्तविक कल्याण पर व्यय किये गये हैं तथा शेष राशि अनुपयुक्त पड़ी है;

(ग) क्या खान श्रमिकों को इसलिये सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि उपर्युक्त धनराशि पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है;

(घ) सरकार का विचार उस काम के लिये यह धनराशि कब तक देने का है जिस काम के लिये इसको इकट्ठा किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जमीर) : (क) 1–10–63 (निधि के आरम्भ में) से 31–3–67 तक एकत्रित उपकर की कुल राशि 168.93 लाख रुपये थी और 1967–68 की अनुमानित आय 65.30 लाख रुपये है।

(ख) 31–3–67 तक व्यय 21.71 लाख रुपये है और 1967–68 में 25.29 लाख खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लौह अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनायें तैयार हो रही है और निधियों को खनिकों के हितार्थ खर्च करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन अपीलें

*646. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन अपीलों को निपटाने के लिये उच्चतम न्यायालय की बैंच में तदर्थ आधार पर कुछ न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) उच्चतम न्यायालय में इस समय कितनी निर्वाचन अपीलें लम्बित हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) 61.

Sale of wheat and rice in open market

***647. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to permit sale of wheat and rice in the open market in other States also as has been done in the case of Delhi; and

(b) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). If and when the State Governments concerned decide to permit sale of wheat and rice in the open market within the statutorily rationed areas in their States the question of the Government of India giving their concurrence to such a step will arise.

तम्बाकू उत्पादकों को सहायता

648. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिये राज सहायता (सबसिडी) तथा सहायता देकर तम्बाकू उत्पादकों की मदद करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने के लिये सरकार की कोई छोटी सिंचाई योजना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक तम्बाकू उत्पादक को जिसके पास तम्बाकू का तीन एकड़ का खेत है सिंचाई के लिये नलकूप लगाने हेतु ब्याज रहित 500 रुपये का दीर्घकालीन ऋण देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) तथा (ख). जी हां। आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को सिंचाई सुविधायें देने के लिये एक योजना स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्की चिनाई के कुओं के निर्माण के व्यय का 25 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है किन्तु यह राशि 1250 रुपये प्रति कुए से अधिक नहीं होती है। लागत की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा संस्थानात्मक एजेन्सियों के माध्यम से ऋण के रूप में दी जाती है।

(ग) इस समय ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

Ration supply for holding parties in Delhi

***649. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that quantity of ration supplied for parties in connection with marriage, etc. in Delhi has been increased;

(b) if so, the date from which the increase has been enforced; and

(c) the quantity of ration so far sanctioned since the issue of orders in this regard and the quantity allocated for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) 7th February, 1968.

(c) 1,297 quintals during the period from 7-2-68 to 20-2-68. No specific quota has been allocated for marriages as such.

भूमि को मापने की मीट्रिक प्रणाली

650. श्री नंजा गौड़र : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भूमि के क्षत्र को मापने के लिए मीट्रिक प्रणाली 10 वर्ष तक लागे न की जांय जिस से भूमि के मूल रिकार्डों में परिवर्तन करने तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) मद्रास सरकार ने अगस्त, 1964 में भारत सरकार को लिखा था और सुझाव दिया था कि स्टेंडर्डस आफ वेट्स एण्ड मैयर्स एक्ट 1956 में इस प्रकार संशोधन किया जाय जिस से उनको यह अनुमति मिल जाये कि वे एफ०पी० एस० प्रणाली को उस समय तक जारी रख सकें जब तक कि भूमि के अभिलेखों में मालगुजारी ठहराने का एक नया सर्वेक्षण शुरु करके—जो सम्भवत: 40 वर्ष की अवधि लगा — मीटर प्रणाली को लागू न कर दें।

(ख) कानूनी तथा तकनीकी दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रस्ताव को अमान्य समझा गया है और भारत सरकार ने भूमि अभिलेखों को धीरे धीरे मीटर प्रणाली में परिणित करने के लिए (जैसा कि कुछ राज्यों द्वारा किया गया है) कुछ ठोस सुझाव दिये हैं।

Target of food production in 1968-69

***651. Shri S. R. Damani:**
Shri Chandra Shekhar Singh:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the target for the next year's food production has not so far been fixed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any estimates for the food crop for 1968-69 have been made by Government?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The target for next year's production of foodgrains has not been fixed so far, although according to the annual phasing drawn up earlier, the programme for 1968-69 was to aim at a production potential of 107 million tonnes of foodrains. The target in terms of production potential would be worked out keeping in view the resources to be actually allocated to the agricultural programme in the State Budgets for 1968-69 and in the light of discussions held by the State-wise Working Groups in November-December, 1967. No estimates of production of foodgrains during 1968-69 have so far been made by the Government.

Allotment of sugar quota to bulk consumers

***653. Shri Mrityunjay Prasad:**
Shri Tulshidas Jadhav:
Shri Valmiki Choudhary:
Shrimati Sucheta Kripalani:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the reasons for withdrawing special permits of sugar to bulk consumers viz. hoteliers, halwais, etc. after partial withdrawal of control from sugar while supplying sugar to other consumers through ration cards; and

(b) whether Government propose to grant sufficient quota of sugar to hoteliers and halwais in the near future?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Allotment of controlled sugar to bulk consumers has been discontinued on account of reduced availability of such sugar after the introduction of the policy of partial decontrol. The controlled sugar is now being allotted for distribution mainly to domestic consumers.

(b). No, Sir.

लाभ सहभाजन बोनस

*654. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला खानों ने 1967 में अपने मजदूरों को लाभ सहभाजन बोनस नहीं दिया है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जिन कोयला खानों ने 31-1-1968 तक 1964 और 1965 के लेखा वर्षों का लाभ सहभाजन बोनस नहीं दिया था उनकी संख्या क्रमश: 70 और 165 है। 1966 के लेखा वर्ष के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) दोषी प्रबन्धकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं और उनके खिलाफ अभियोग चलाये जा रहे हैं ।

हरियाना में रोलर फलोर मिलों को गेहूं की खुली बिक्री

655. श्री स० चं० सामन्त : श्री गजराज सिंह राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा की मंडियों में हजारों टन घुन लगा हुआ देसी गेहूं खराब हो रहा है जिसे न तो राज्य सरकार और न ही भारतीय खाद्य निगम लेने को तैयार है ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि नई फसल जल्दी ही बाजार में आने वाली है क्या इस गहूं को हरियाणा के फ्लोर मिलों को खुल बाजार में बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिस से इस और अधिक खराब होने से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) कुछ घुने हुये गेहूं का स्टाक जो कि व्यापारियों ने भली प्रकार गोदामों में नहीं रखा था, हरियाणा की मंडियों में आ रहा है। भारतीय खाद्य निगम हरियाणा की मंडियों में और निविदा द्वारा गेहूं खरीद रहा है ।

(ख) और (ग) रोलर फलोर मिलों को बाजार से देसी गेहूं खरीदने की अनुमति देने के विषय में राज्य सरकार द्वारा भेजा गया एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

अपीजे शिपिंग लाइन्स

656. श्री मधु लिमये : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायलय के न्यायाधीश कान्टा वाला के समक्ष संसद् सदस्य श्री जार्ज फरनेडीज के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिये गये साक्ष्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अप्रैल, 1962 के बाद अपीज के मामले को महानिदेशक या किसी अन्य उच्च अधिकारी को दोबारा सौंपा गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों को निपटाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी-हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रिकार्ड पर ऐसी कोई बात नहीं है जिस से यह पता चले कि यह मामला पुनः महानिदेशक या अन्य किसी ऊंचे प्राधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया था । जब कोई अधिकारी किसी मामले को अपने स्तर पर निपटा देता है तब यह उसके लिये जरूरी नहीं है कि वह इस बात का उल्लेख कर कि फाइल क्यों नहीं ऊंचे अधिकारी को प्रस्तुत की जा रही ।

(घ) विभिन्न श्रेणी के मामलों को उनकी महत्ता तथा वित्तीय जटिलताँओं के अनुसार निपटाने के लिये यद्यपि कार्य विधि सम्बन्धी स्थायी अनुदेश हैं फिर भी ऐसा कोई निश्चित कार्य विधि नहीं है जोकि प्रत्येक प्रकार के मामलों जैसा कि मौजूदा मामला है पर लागू हो सके ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें ।

657. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी मिलों को आधुनिक ढंग का बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस शर्त के लिये सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Minor Irrigation Schemes in Hill Areas of Rajasthan

3949. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the special facilities which are likely to be provided by the Central Government for the expansion of minor irrigation schemes **in** hill areas of Rajasthan in 1968-69?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): According to the existing procedure, the Government of India gives financial assistance to the States under Major Heads of Development e.g. "Agricultural Production", "Minor Irrigation" for taking up development programmes in the State as a whole. It is left to the State Government concerned to utilise this assistance on the various schemes to be implemented in the State, including hill areas according to the priority assigned by it to each scheme. However, an outlay of Rs. 225 lakhs has been approved by the Planning Commission for the minor irrigation programme in Rajasthan for 1968-69.

अहीरी (महाराष्ट्र) में डाकघर के लिये इमारत

3950. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में चाँदा जिले में अहीरी में डाकघर एक ऐसे गैर-सरकारी इमारत में है, जो टूटी-फूटी अवस्था में है और इसकी आवश्यकताओं के लिये बहुत ही छोटा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस इमारत का उपयोग करने के लिये कोई किराया नहीं दिया जाता ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसकी मरम्मत करने और इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त बनाने के लिये विलम्ब कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अहीरी का डाकघर एक निजी इमारत में कार्य कर रहा है किन्तु यह इमारत न तो अपर्याप्त है और न खस्ता हालत में । फिर भी इसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता है ।

(ख) जी हाँ। यह इमारत बिना किसी किराये के दी गई थी।

(ग) जी हाँ।

टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि

3951. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1967 को टेलीफोन प्रयोक्ताओं पर टेलीफोन बिलों की 5 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ;

(ख) सरकार ने इस बकाया धन राशि को, विशेषकर सरकारी पदाधिकारियों से, वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस वर्ष, राज्यवार ऐसे कितने उदाहरण सामने आये हैं जिनमें टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन के बिल गलत दिये गये थे ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) फिलहाल इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1 जुलाई, 1967 को 31 मार्च, 1967 तक जारी किये गये बिलों सम्बन्धी 5.02 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ख) इस रकम की वसली के लिए नोटिस जारी करना, टेलीफोन का कनैक्शन काट देना, प्रयोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना और आखिकार जहाँ आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं। सरकारी विभागों से बकाया रकम की वसूली के प्रश्न को उपयुक्त स्तर पर सम्बन्धित विभागों के साथ उठाया जाता है।

(ग) ऐसे उदाहरणों के सम्बन्ध में, जिनमें जाँच करने पर टेलीफोन बिल गलत दिये गये हैं सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इस प्रकार की शिकायतों की आवश्यक जाँच की जाती है, गलतियां ठीक की जाती हैं और फिर ऐसी गलतियाँ न होने पायें, इसके लिए ठोस कारवाई की जाती है। इसके लिए लेखा रखने की नई पद्धतियाँ भी अपनाई गई हैं।

परमाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला

3952. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में एक परमाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करने सम्बन्धी परियोजना किस क्रम पर है ;

(ख) इस परियोजना के क्रियान्वयन की सम्भाव्यता की जांच करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भेजे गये दो विशेषज्ञों के नाम तथा उनकी अर्हताएं क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक सरकार ने कितनी राशि व्यय की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए जनवरी, 1968 में हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कार्यकारी परिषद् द्वारा यह परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। कार्यान्विति के कार्यक्रम और कार्यों की सूची शीघ्र तैयार की जाएगी

(ख) डा० सी० एल० कोमार, रडिकशन बाइलोजी के प्रोफेसर, कारनैक यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य और रायल एग्रीकल्चरल कालिज, उपसाला, स्वेडन में भू-विज्ञान के प्रमुख डा० लार्स फैड्रिकसन को इस परियोजना की कार्यान्विति के लिए सम्भाव्यता की जांच करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भेजा गया था। दोनों ने कृषि विज्ञान में डाक्टर की डिग्री प्राप्त की हुई थी और दोनों ने युगोसलाविया में परमाणु अनुसन्धान, प्रयोगशाला के परियोजना प्रबन्धकों के रूप में पहले काम किया किया था।

(ग) अब तक इस परियोजना पर सरकार ने कुछ भी धन व्यय नहीं किया।

Central assistance to Rajasthan

3953. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any provision is being made for developing the desert area in the Rajasthan State on a national scale during the year 1968-69; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A Desert Development Board has been set up to study problems relating to, and formulate suitable programmes for the development of the desert areas in the country. This Board has decided that the following concrete programmes should be considered for execution in 1968-69 in Rajasthan State:

(i) In Bihar district a scheme should be prepared for the renovation of about 10 tanks and the protection of their catchment areas;

(i) In Jaisalmer district, a programme of pasture and fodder development should be taken up on the basis of water available from certain tubewells which might otherwise remain undeveloped in this area;

(iii) In Jodhpur district, soil and water conservation works should be taken up along with a scheme for piped water supply to some villages in Loni tehsil.

Detailed schemes on the above items are now being prepared by the State Government in consultation with the officers of the Desert Development Board.

चूहों, बन्दरों आदि से अनाज की हानि

3954. श्री बाबू राव पटेल : श्री रा० की० अमीन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, चूहों, बन्दरों और जंगली रीछों की संख्या अनुमानतः कितनी है और वे प्रति वर्ष कितनी कीमत का अनाज या फसलें बरबाद करते हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों में चूहों का उत्पात बहुत अधिक है तथा किन- किन राज्यों में बन्दरों का उत्पाद बहुत अधिक है ;

(ग) क्या यह सच है कि लोग धार्मिक कारणों से चूहों के विनास पर आपत्ति करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो चूहों और बन्दरों से अनाज की रक्षा करने के लिए सरकार ने दूसरे क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) चूहे, बन्दरों और जंगली रीछों द्वारा कितना नुकसान हुआ इस संबंध में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अनुमान किया जाता है कि कुल कृषि उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत विभिन्न कीटों, मारक कीटों तथा महामारियों द्वारा प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। इस प्राक्कलन में बन्दरों, चूहों और जंगली रीछों द्वारा की गई हानि भी सम्मिलित है।

(ख) चूहे और बन्दर सारे देश में मिलते हैं। चूहे रेतीले क्षेत्रों के खेतों में बहुत अधिक है जबकि बन्दर धार्मिक स्थानों और जंगलों के आस-पास के कृषि क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में पाय जाते हैं।

(ग) और (घ) चूहों के विनाश पर आपत्ति धार्मिक कारणों से नहीं के बराबर की जाती है और वह भी बहुत ही कम क्षेत्रों में। ये आपत्तियां चूहों के नियन्त्रण के उपायों की क्रियान्विति के मार्ग में कोई विशेष कठिनाई प्रस्तुत नहीं करती। फिर भी, चूहों द्वारा की गई हानि को रोकने के लिए अनेको वैकल्पित साधन प्रचलित हैं जो कि अपनाये जा सकते हैं। इसमें निरोधकों का प्रयोग, स्थानों को चूहों से सुरक्षित बनाने और खाने और पानी के अभाव की परिस्थितियां उत्पन्न करना, और चूहों के रहने के लिए अयोग्य परिस्थितियां उत्पन्न कर देना भी सम्मिलित है।

विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की परियोजना

3955. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का एक केन्द्र स्थापित करने की परियोजना की स्थिति क्या है ;

(ख) किस तारीख तक इसके तैयार हो जाने की आशा है ;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और उसमें भारत का कितना हिस्सा होगा ; और

(घ) इस परियोजा से कितने मछियारों को लाभ पहुंचेगा और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी इस परियोजना से और क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) तथा (ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने की सम्भावना पर खाद्य तथा कृषि संगठन की सलाह से विचार किया जा रहा

है। विशाखापत्तनम और अन्य कई स्थानों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं की स्थापना की उपयुक्तता एवं उनके कार्य-क्षेत्र और रूप रेखा तर अध्ययन किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन और पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के विशेषज्ञों के एक दल ने विशाखापतनम और अन्य बन्दरगाहों का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्टें अस्थायी रूप में हैं और उनको और अधिक अध्ययन किये जाने का विचार है। इस अध्ययन के पूरे होने के बाद ही परियोजना का अन्तिम प्रारूप प्रस्तुत किया जा सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से ही परियोजनाओं का अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा, अतः निश्चित रूप से कहना कि वे कब पूर्ण होंगी सम्भव नहीं है, किन्तु योजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कई महीनों की आवश्यकता होगी। इस मध्य गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम के विकास को देश में योजना के अनुसार किया जा रहा है। जहां तक विशाखापत्तनम का प्रश्न है वहां पर मत्स्य बन्दरगाह की व्यवस्था के लिये योजना बना ली गई है और यह विचाराधीन है। प्रशीतन की सुविधायें प्रदान की गयी हैं और यंत्रों द्वारा मछलियों को पकड़ने के तरीकों का भी विकास किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्रीय संगठन के जलयान विशाखापत्तनम में हैं और मछलियों के प्राकृतिक साधनों की परिगणना और स्थानों का सर्वेक्षण कर रहे हैं।

(ग) विशाखापतनम की परियोजना जो कि अभी अस्थायी रूप से ही बनी है की अनुमानित लागत 200 लाख रुपये है जिससे कि बन्दरगाह का मूल्य तटीय सुविधाएं, जलयान और अन्य उपकरण भी सम्मिलित हैं। कुछ व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अपेक्षित सहायता विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण के रूप में होगी। यह व्यवस्था की गयी है कि इन परियोजनाओं के विभिन्न पक्षों में विनियोग केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के साथ साथ सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा भी किया जायेगा।

(घ) परियोजना के आधार पर अनुमान किया जाता है कि विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र का मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग लगभग 250 मछुवों को नौकरी प्रदान करेगा। यह परियोजना योजना के अस्थायी रूप के अनुसार 8000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन करेगी जिसके द्वारा मछलियों के परिरक्षण, उपयोगीकरण एवं निर्यात के लिये तटीय स्थित उद्योगों की भी स्थापना होगी।

उलागान पट्टी के उपडाकपाल द्वारा बचत खाते का दुरुपयोग

3956. **श्री किरुतिनन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में रामनाथपुरम जिले में उलागान पट्टी के उपडाकपाल ने बचत खाते के 2715 रुपयों का दुरुपयोग किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सम्बद्ध पक्षों को उस धन का भुगतान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। उलागान पट्टी के उपडाकघर के नायब पोस्टमास्टर ने 1966 के दौरान बचत बैंक राशि में 3115 रुपये की जालसाज़ी की थी।

(ख) नायब पोस्टमास्टर अपराधी ठहराया गया और उसे अदालत द्वारा विभिन्न जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर करावास का दण्ड दिया गया। उसे सरकारी सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ). जिन जमाकर्ताओं की रकम की जालसाजी की गई थी, उन सभी के दावों का निपटान कर दिया गया है।

सामुदायिक विकास खण्डों में जीपें

3957. **श्री किरुतिनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास खण्डों को दी गई प्राय: सभी जीपों की हालत अत्यन्त खराब है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई जीपें देने अथवा इस काम के लिये कोई धन नियत करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को ऐसी कितनी जीपें दी जायेंगी तथा उनको कितना धन नियत किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) राज्य सरकारों से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में शाखा डाकघर तथा उप-डाकघर

3958. **श्री किरुतिनन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 के दौरान पूरे भारत में (राज्यवार) कितने-कितने नये शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोले गये हैं ; और

(ख) इन नये डाकघरों को कितना-कितना लाभ या कितनी-कितनी हानि हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) 1967–68 में देश भर में 2565 शाखा डाकघर और 227 उप-डाकघर खोले गये हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	1 अप्रैल 1967 से 29 फरवरी, 1968 तक खोले गये डाकघर	
	शाखा डाक घर	उप डाकघर
आन्ध्र प्रदेश	147	34
आसाम	102	6
मणिपुर	8	—

855(ai)LS—3.

राज्य/संघीय प्रदेश का नाक	1 अप्रैल 1967 से 19 फरवरी, 1968 तक खोले गये डाकघर	
	शाखा डाकघर	उप डाकघर
नागालैण्ड	5	3
उत्तर-पूर्व सीमा एजेंसी	5	—
त्रिपुरा	10	—
बिहार	238	13
गुजरात	344	11
गोआ	6	—
महाराष्ट्र	63	10
जम्मू तथा काश्मीर	5	—
केरल	116	17
मद्रास	138	18
पांडिचेरी	2	1
मैसूर	315	10
मध्य प्रदेश	52	22
उड़ीसा	144	14
पंजाब	49	6
हिमाचल प्रदेश	17	2
हरियाणा	80	4
चंडीगढ़	1	1
राजस्थान	173	16
उत्तर प्रदेश	429	16
पश्चिमी बंगाल	111	20
दिल्ली	5	3
	2565	227

(ख) इनमें हुए लाभ और हानि का पता जून 1968 के आसपास लगेगा ।

चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश

3959. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के चीफ सटलमेंट कमिश्नर के सटलमेंट आर्गेनाइजेशन द्वारा उत्तर प्रदश में राज्य सरकार (कास्टोडियन आगर्गेनाइजशन) के कर्मचारियों की सेवायें किन शर्तों पर प्राप्त की गई थीं ;

(ख) सेटलमेंट आर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों के जिन पर इस विलय का कुप्रभाव पड़ने की संभावना है, हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने कर्मचारियों के हितों पर कुप्रभाव पड़ा है और उनके हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हान) : (क) केन्द्रीय सरकार के सेटलमेंट आर्गेनाइजेशन के साथ राज्य कस्टोडियन आर्गेनाइजेशन का एकीकरण होने पर कस्टोडियन आर्गेनाइजेशन के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की सैटलमेन्ट आर्गेनाइजेशन के पदों में बदली पर आये थे। उन्हें वही वेतन तथा भत्त दिये गये जो उन्हें राज्य सरकार के अधीन स्वीकार्य थे। ऐसे कर्मचारी वर्ग के पद 1-3-1958 को केन्द्रीय सरकार के वेतन क्रम पर लाये गये थे और उन पदों पर लगे कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन-क्रम को रखने के बारे में इच्छा प्रकट कर सकते थे। सैटलमेंट आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों की तुलना में इन कर्मचारियों की वरिष्ठता गृह-मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अनुसार निश्चित की गई थी।

(ग) ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) प्रश्न नही उठता।

उत्तर प्रदेश में रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर और कस्टोडियन के कार्यालयों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

3960. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश रिजनल सेटलमेंट कमिश्नर तथा कस्टोडियन के कार्यालयों में कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची बनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ये सूचियों किन अनुदेशों तथा नियमों के आधार पर तैयार की जाती है ;

(ग) क्या पदोन्नतियां, पदावनतियां तथा छंटनी इन सूचियों को दृष्टि में रखकर की जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों, अनुदेशों तथा नियमों के अन्तर्गत ये सूचियां तैयार नही की गई थीं ; और

(ङ) क्या इस कारण किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इन कर्मचारियों को हुई हानि का मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हान) : (क) और (ख). विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां नियमों के अनुसार तथा समय-समय पर गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर बनाई जाती हैं।

(ग) जी, हां, ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

New rice mills in Rajasthan

3961. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Rajasthan have recently granted permission for the setting up of new rice mills in the private sector in spite of the fact that a new Bill regarding rice mills is under the consideration of Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the names of parties to whom the said permission has been granted for the setting up of rice mills and the dates on which permission was granted?

The Minister of Seate in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). Rajasthan Government have recently granted permission for the setting up of new rice mills in the private sector. The Rice Milling Industry (Regulation) Amendment Bill, 1968 will come into force only when it is enacted by Parliament. The question of regulation of permits in accordance with the Bill therefore does not arise,

(c) A statement is attached [Placed in Library. *See* No. L.T. 454-68]

Post Offices in Village Panchayati in Rajasthan

*3962. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications be** pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are no Post Offices at a number of headquarters of the Village Panchayats under the Panchayat Samiti, Chaksu (Jaipur) in Rajasthan;

(b) if so, the names of such places and the reasons for which post offices have not been opened there; and

(c) the names of Village Panchayats out of the said ones where post offices are proposed to be opened and the time by which post offices would be opened there?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Out of 33 village panchayat headquarters in Chaksu (Jaipur) Panchayat Samiti, Post Offices are functioning in 12 places.

(b) Names of places not having post offices are:

Kumariyas, Katwala, Kareda Khurd, Toontali, Toomali ka Bas, Thali, Sawai Madhosinghpura, Jaiparkashpura, Chhader Kalan, Badoyia, Radoli, Jhanpada Kalan, Ajayrajpura, Tikaria Gujaran, Tikaria Meenan, Ram Nagar, Kheda Raniwas, Roopedi Khurd, Narpatpura, Akodiya and Madoliya Meda.

Post Offices are not opened at the Headquarters of village panchayats as a matter of course. Each case is examined separately and a post office ordered to be opened, subject to the fulfilment of departmental standards regarding population served, distance from the nearest post office and extent of loss etc., besides availability of funds.

(c) It is proposed to open post offices at Ajayarajura, Kumariyas and Toomali Ka Bas during 1968-69.

महाकाली कोयला खानों का परिसमापन

3963. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में चान्दा जिले में महाकाली कोयला खानों का दिवाला निकल गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा की गई भविष्य निधि कर्मचारियों को वापिस दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इसका भुगतान किये जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जिन दावों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त हो गई थी उनको निपटा दिया गया है। सरकारी परिसमापक से, जिसके पास अभिलेख हैं, शेष दावों का अपेक्षित विवरण भेजने के लिए प्रार्थना कर दी गई है। विवरण प्राप्त होने पर उनका निपटारा किया जायेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि

3964. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बल्लारपुर, घुगुस और शास्ती कोयला खानों के मालिकों ने भविष्य निधि की बहुत सी राशि नहीं दी है ;

(ख) ऐसी प्रत्येक कोयला खान द्वारा अपने अंशदान की कितनी राशि नहीं दी गई है तथा 1 दिसम्बर, 1967 को श्रमिकों से कितनी राशि इकट्ठी की गई थी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कोयला खानों से भविष्य निधि अंशदानों (दोनों नियोजकों और कर्मचारियों के हिस्से की) और प्रशासन भार तथा क्षति की निम्नलिखित राशि वसूल करनी बाकी है :—

	रु०
(1) बल्लारपुर	14,54,145
(2) घुगुस	8,14,021
(3) शास्ती	5,63,643

(ग) सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली सम्बन्धी सर्टिफिकेट के मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं।

विमान द्वारा कीट नाशक औषधियां छिड़कना

3965. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विमान द्वारा 2 रुपये प्रति एकड़ की दर पर कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए विमान देने और गैर-सरकारी विमानों द्वारा लिये जाने वाले किराये के खर्च के कारण 2/3 रुपये की अर्थ सहायता देने की योजना त्याग दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं। भारत सरकार के विमानों के लिए 2 रुपए प्रति एकड़ की दर पर कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए विमान देने और गैर सरकारी विमानों द्वारा लिये जाने वाले किराये के खर्च के कारण 2/3 रुपये की अर्थ सहायता देने की योजना खाद्यान्नों, कपास तथा तिलहन की फसलों तक ही सीमित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत में खेती योग्य भूमि

3966. **श्री एस्थोस :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नायनार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) कितनी भूमि में नियमित रूप से खेती की जाती है ; और

(ग) बिना काश्त की भूमि कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र, वास्तव में खेती किए गए क्षेत्र और बिना खेती किए गए क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुमान नवीनतम वर्ष 1964–65 के लिए उपलब्ध दित्ता नीचे दिया गया है :—

1. खेती के योग्य भूमि :	हजार हैक्टर
(क) बोया गया कुल क्षेत्र	137,916
(ख) वर्तमान परती भूमि	11,132
(ग) वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि	9,168
(घ) खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि	17,362
(ङ) मिश्रित वृक्ष, फसलों तथा उपवनों वाली भूमि जो कुल बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है	4,218
जोड़ (क) से (ङ)	1,79,796

2. खेती किया गया क्षेत्र अर्थात् उपरोक्त मद (क) तथा (ख) का जोड़ 1,49,048 ।

3. बिना खेती किया गया क्षेत्र अर्थात उपरोक्त मद (ग) (घ) तथा (ङ) का जोड़ 30,748

खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि के बड़े भाग में बहुत अधिक लागत पर ही खेती की जा सकती है ।

बिना खेती किए गए क्षेत्र का यह अनुमान "बन" तथा खेती के लिए अनुपलब्ध क्षेत्रों वाली भूमि जिसमें भवन, सड़क रेल सड़क बनी हुई है या पानी भरा हुआ है या जिसमें पहाड़, रेगिस्तान आदि हैं शामिल नहीं हैं ।

प्रधान मंत्री की खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के साथ भेंट

3967. श्री पी राममूर्ति : श्री भगवान दास :
श्री अ० क० गोपालन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेक 8 फरवरी, 1968 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने उन के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक ने प्रधान मंत्री से एक सौजन्यपूर्ण विचार-विमर्श किया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विरोधी दलों के नेताओं के भाषण

3968. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सत्तारूढ़ दल ने गुजरात राज्य में मेहसाना निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा के अभ्यर्थियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दायर की गई रिट अर्जियां में विरोधी दलों के नेताओं अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषणों की पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों का उपयोग किया है ;

(ख) क्या सत्तारूढ़ दल के अभ्यर्थियों के लाभार्थ सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है ; और

(ग) क्या आवश्यकता पड़ने पर और मांगने पर सत्तारुढ़ दल के नेताओं द्वारा दिए गए, भाषणों का रिकार्ड विरोधी दलों को भी दिया जाता है ?

विधि उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि मेहसाना सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री कान्ति प्रसाद जयशंकर याज्ञनिक के निर्वाचन पर आपत्ति करने वाली

श्री पुरुषोतम दास रणछोड़ दास पटेल द्वारा फाइल की गई निर्वाचन अर्जी में, पुलिस आफिसरों द्वारा रिपोर्ट किए गए भाषणों की प्रतियां अर्जीदार द्वारा अपनी अर्जी के प्रदर्शनों के रूप में फाइल की गई थीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

एपीजे शिपिंग लाइंज

3969. **श्री मधु लिमये:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोटावाल के समक्ष संसद् सदस्य श्री जार्ज फरनेंडीज के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिये गये साक्ष्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) किन परिस्थितियों में निदेशक (पत्तन तथा डिपों) ने एपीजे का मामला खाद्य निदेशक को वापिस भेज दिया था और इसके बारे में खाद्य महानिदेशक की क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(ग) ऐसे मामलों को निपटाने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय महानिदेशक खाद्य से है क्योंकि खाद्य विभाग में निदेशक, खाद्य का कोई पद न था। फाइल जो कि एक सरकारी दस्तावेज होती है, यह बतलाती है कि निदेशक (पत्तन तथा डिपों) ने महानिदेशक खाद्य को निम्नलिखित सुझाव के साथ इसे प्रस्तुत किया था :—

"हम प्रदेशिक निदेशक (खाद्य) मद्रास से कहें कि वे उप-निदेशों में से एक को कोचीन भेजें महानिदेशक खाद्य ने उस पर इस प्रकार नोट लिखा था :—

"इसे मुझे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है"।

(ग) हालांकि विभिन्न श्रेणी के मामलों को उनकी महत्ता या वित्तीय कठिनाइयों के अनुसार निपटाने हेतु कार्य विधि संबंधी स्थाई अनुदेश हैं तो भी कोई निश्चित कार्य विधि नहीं है जो कि प्रस्तुत मामले जैसे प्रत्येक प्रकार के मामले के लिए लागू हों।

Export of sugar

3970. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of countries to which sugar was exported during the last three years, and the quantity exported to each of these countries; and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). A statement is placed on the Table. (Placed in Library. *See* No. LT.455-68).

Divorces

*3971. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of applications seeking to obtain divorce, received by the Delhi Courts during the period from January, 1954 to December, 1967, yearwise; and

(b) the number of applications out of them declared valid and of those declared invalid, yearwise?

The Deputy Minister of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT. 456-68).

Slaughter House in Shahdara (Delhi)

3972. Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of Shahdara, Delhi have demanded the removal of the slaughter house situated in the thickly populated area of Shahdara;

(b) whether it is also a fact that the said slaughter house is situated near two temples which causes great inconvenience to the worshippers and causes insanitation also;

(c) if so, whether Government propose to issue orders to the Delhi Administration to remove the slaughter house;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) when the said slaughter house and the temples were constructed?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, in due course.

F.C.I. Warehouses

3973. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the capacity of warehouses possessed by the Food Corporation of India for storing foodgrains; and

(b) the amount of expenditure incurred per quintal on storing foodgrains

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) About 1.3 million tonnes as on 31-1-1968.

(b) The cost of storing foodgrains on account of rent of godowns and establishment charges was Rs. 1.40 per quintal approximately for 1966-67.

कृषि-औद्योगिक निगमें

3974. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ राज्यों में कृषि औद्योगिक निगम स्थापित किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इन निगमों के कार्य क्या होंगे ; और

(ग) अब तक यदि कोई विशिष्ठ सफलता प्राप्त हुई है विशेष कर बिहार में; तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अब तक आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार हरियाणा, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्पोरेशनों की स्थापना हो चुकी है। इन कारपोरेशनों के मुख्य कार्य-कलाप निम्नलिखित हैं :-

1. ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिनका सम्बन्ध खाद्य के उत्पादन, परिरक्षण तथा संभरण से हैं।

2. कृषि तथा सम्बद्ध उद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों की सहायता करना ताकि वे अपने कार्यकलापों में नवीनतम विधियों का प्रयोग कर सकें।

3. कृषि मशीनों व औजारों और विधायन डेरी, कक्कुटपालन, मछली पालन तथा कृषि सम्बन्धी अन्य उद्योगों के उपकरणों का वितरण करदा।

4. कृषि विषयक आदानों के कारगर वितरण को शुरू करना या इस कार्य में सहायता प्रदान करना, और

5. कृषकों तथा कृषि उद्योगों के सम्बन्धित व्यक्तियों का तकनीकी मार्गदर्शन करना ताकि उनके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।

(ग) फरवरी, 1968 के अन्त तक बिहार कौर्पोरेशन ने 5408 डिजिल पम्प सैटों, लगभग 100 बिजली के पम्प सैटों, 88 ट्रैक्टरों तथा 6 पावर क्रैशरों के वितरण की व्यवस्था की है। इसने चैकोस्लोवेकिया से आयात होने वाले लगभग 300 ट्रैक्टरों के वितरण के विषय में पहले ही प्रबन्ध कर लिये हैं।

बेकारी बीमा योजना

3975. **श्री यशपाल सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेकारी बीमा योजना के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जीनहीं।

(ख) स्थायी श्रम समिति की इच्छानुसार, जिसने इस विषय पर सितम्बर में हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया, प्रस्तावित योजना को राज्य सरकारों के पास उनके विचार जानने के लिये भेज दिया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों से उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों के विचार जानने के बाद इस मामले को पुनः स्थायी श्रम समिति के सामने रखने का विचार है।

कमी वाले क्षेत्रों के लिये दिये गये गेहूं तथा सोयाबीन के तेल का बेचा जाना

3976. **श्री रामचरण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कमी वाले क्षेत्रों की सहायता के लिये दिये गये गेहूं तथा सोयाबीन के तेल को बेचने के अपराध में उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर के गुलावठी के तेरह व्यापारियों को 3 अगस्त, 1967 को गिरफ्तार किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Incidents of Gherao in Kerala State

3977. Shri Atal Bihari Vajpayee: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently there had been incidents of "Gherao" of the management and employees of the tea plantations in Munnar area of Kerala State:

(b) whether it is also a fact that pressure is being put on the Kanan Devan Hills Produce Company Ltd. to recognise a trade union having minority;

(c) whether it is further a fact that vehicles of the said company were damaged and an employee was badly manhandled; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (d3. Industrial relations in this Undertaking fall within the jurisdiction of the State Government of Kerala.

Expenditure on Rationing in Delhi

3978. Shri S. C. Samanta: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the expenditure being incurred monthly and annually in keeping the rationing machinery going on (i) salaries, (ii) allowances, (iii) rentals, and (iv) other expenses in Delhi;

(b) the percentage of expenditure which is being borne by the Central Government; and

(c) whether the burden of the expenditure so incurred falls wholly on the consumers?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A statement is attached. (Placed in Library. See No. LT 457-68).

(b) The expenditure is met out of the area budget of the Delhi Administration controlled by the Ministry of Home Affairs.

(c) Yes. Sir.

गुजरात का महा-डाकपाल

3979. **श्री द० रा परमार :**
श्री रा० कि० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के महा-डाकपाल (पोष्टमास्टर जनरल) के व्यवहार के संबंध में 30 जनवरी, 1968 के जनसत्ता में छपे इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी नहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि उस दिन के जनसत्ता में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं छपा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एपीजे शिपिंग लाइन्स

3980. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायधीश कान्टावला के समक्ष संसद सदस्य श्री जार्ज फरनेंडीज के विरुद्ध चुनाव याचिका के संबंध में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिये गये साक्ष्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या एपीजे शिपिंग लाइन्स द्वारा अपने जहाज कमान्डरों को भेजे गये परिपत्र के परिणामों तथा इस फर्म को काली सूची में रखने की आवश्यकता तथा संभाव्यता या इस पर अभियोग चलाने के बारे में 1962/63 में विधि मंत्रालय तथा महान्यायवादी या सालिसिटर जनरल की राय मांगी गई थी ;

(ग) क्या इस मामले में जांच के लिये केन्द्रीय अभिकरण का सहायता मांगी गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब पी शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) रिकार्ड से ऐसा न करने के बारे में किन्हीं विशिष्ट कारणों का पता नहीं चलता है। स्पष्टतया उस समय सरकार के हितों की सुरक्षा के लिये खाद्य निगम ने सारी एहतियाती कार्यवाही की थी, इस लिये संभवतः आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

एग्रोजे शिपिंग लाइन्स

3981. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सितम्बर, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्याय धीश कान्टावाला के समक्ष संसद सदस्य श्री जार्ज फरनेंडीज के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका के संबंध में भूतपूर्व खाद्य महानिदेशक द्वारा दिये गये साक्ष्य की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या निदेशक (पत्तन तथा डिपो) ने कोचीन में की गई जांच पड़ताल के परिणामों के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Smuggling of Foodgrains into Nepal

3982. **Shri Gunnand Thakur:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of devaluation of Nepali rupee in areas on Indo-Nepal border, Indian grain is being smuggled into Nepal on a large scale;

(b) whether it is also a fact that smuggling is going on due to comparatively very high food prices prevalent in those areas;

(c) whether it is further a fact that due to imposition of levy in border areas the Indian traders are unable to purchase foodgrains even a thigh prices; and

(d) if so, whether Government propose to withdraw levy from border areas to stop large scale smuggling there so that foodgrains could be imported from Nepal as before and if so, by when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). Under the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit, there can be no restriction on the movement of foodgrains between India and Nepal, The question of any smuggling of foodgrains from India to Nepal does not arise.

(c) and (d). The price at which levy rice is collected has been fixed at a reasonable level and there should be no difficulty on the part of Indian traders to purchase rice at reasonable prices. The question of withdrawing the levy does not therefore arise.

Elimination of middlemen in disposal of agricultural commodities by Farmers

3984. **Shri Shashi Bhushan Bajpayai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any scheme for the protection of farmers from the clutches of Commission Agents after the harvesting of tobacco, cotton and groundnut; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Government of India have taken several measures for preventing the exploitation of the primary producers by the middlemen in the disposal of their produce. These include Regulation of Markets, Grading at producers level and Extension service.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. (Placed in Library. *See* No. LT 458-69).

चीनी मिलों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

3985. **श्री जुगल मंडल :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** 19 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के कर्मचारियों के लिये 1962 के मजूरी बोर्ड के बारे में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां तो मजूरी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । एक विवरण जिसमें राज्य सरकारों से मालूम की गई स्थिति दी गई है सभा की मेज़ पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 459—68]

(ख) प्रबंधक इन पर क्रियान्वित करें इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें प्रयत्न कर रही हैं ।

Construction of Warehouses in Western and Eastern Nimad Khargon area

3986. Shri Shashi Bhushan Bajpai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of additional warehouses proposed to be opened by Government in 1968-69 in order to store foodgrains; and

(b) whether Government propose to construct a warehouse in Western and Eastern Nimad Khargon area for distributing the foodgrains in tribal areas due to absence of rail-road link there during the monsoons?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The Food Corporation of India has already plans for construction of 16 godowns during 1968-69. Further proposals for construction of godowns during 1968-69 are at present under the active consideration both of the Government and the Food Corporation of India.

(b) . No, Sir.

दिल्ली दुग्ध योजना

3987. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के हिसाब किताब से पता चला था कि 31 दिसम्बर, 1965 तक दी गई 5 लाख रुपये की अग्रिम धनराशि का समायोजन नहीं किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि छोट छोट देनदारों से वसूल की जाने वाली 4 लाख रुपये की धन राशि 31 दिसम्बर 1965 तक वसूल की जानी चाहिये थी परन्तु वह वसूल नहीं हुई और इस धन-राशि में 1961-62 की पुरानी धन राशि भी सम्मिलित है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1963 से वर्ष 1965 तक की अवधि के बाकी 37,495 रुपये का कोई हिसाब नहीं रखा गया है ;

(घ) यदि हां तो इन त्रुटियों के संबंध में और दायित्व निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या उल्लिखित धनराशि अब वसूल कर ली गई है और उसका समायोजन कर लिया गया है; और

(ङ) मार्च, 1967 के अन्त तक विविध देनदारों से वसूल की जाने वाली धन राशि कितनी थी और अग्रिम धन राशि के रूप में कितनी धन राशि का समायोजन अभी तक नहीं किया गया है और ये धन-राशियां किस अवधि से संबंधित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) 31-12-1965 को अग्रिम धन के रूप में 4.88 लाख रुपये की रकम बकाया थी ।

(ख) 31-12-1965 को फुटकर देनदारों से वसूल होने वाली 4.39 लाख रुपये की रकम बकाया थी । इस में से 29-2-1968 को 72,920 रुपये की रकम बकाया थी (इस में 9,301 रुपये की वह रकम भी शामिल है जो 1961-62 से बकाया थी) ।

(ग) नवम्बर, 1963 से 1965 की अवधि में दुग्ध केन्द्रों पर होने वाले दूध की बिक्री में 37,495 रुपये की रकम का समायोजन होना था ।

(घ) असंगति का निपटारा किया जा चुका है और जहां आवश्यक समझा गया वसूली की गई है । 29-2-1968 को केवल 6,131 रुपये की रकम की वसूली बकाया थी । इसके निपटारे के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) 31-3-1967 को अग्रिम धन व फुटकर लेनदारों की स्थिति निम्न प्रकार थी:—

अग्रिम धन	4,09,972 रुपये
फुटकर लेनदार	16,53,018 रुपये

उपरोक्त राशियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अग्रिम धन	फुटकर लेनदार
1959-60	—	388
1960-61	—	1,242
1961-62	—	8 686
1962-63	105	29 807
1963-64	94,485	36.842
1964-65	39,715	29 481
1965-66	31,437	61,112
1966-67	2,44,230	14,85,460
	4,09,972	16,53,018

इंजीनियरी के सामान का स्टाक

3988. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग का इंजीनियरी के सामान का स्टाक 1962-63, 1963-64 और 1964-65 के दौरान विभाग की वार्षिक खपत की अपेक्षा चार-पांच गुना अधिक था;

(ख) यदि हां तो उस सामान में से कितना खराब हो गया था कितना काम में लाये जाने योग्य नहीं रहा था तथा इस में से कितना आयातित था;

(ग) 1965-66 और 1966-67 के दौरान कितना सामान खरीदा गया था, उसमें से कितना काम में लाया गया था और शेष कितना बचा था; और

(घ) वार्षिक खपत की तुलना में इतना अधिक सामान रखने का कारण क्या था ?

संसद-कार्य, संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी नहीं ।

वर्ष	खराब	काम में न लाये जाने योग्य सामान	वर्ष के दौरान आयात किया सामान किया
1962-63	0.08	0.36	1,96.58
1963-64	3.02	3.78	4,65.50
1964-65	2.09	3.33	8,14.33

(आंकड़े लाख रुपयों में)

(ग) वर्ष	खरीद	काम में लाया गया	31 मार्च को स्टाक में बाकी सामान
1965-66 . . .	22,49	20,82	14,05
1966-67 . . .	21,60	21,04	14,61

(आंकड़े लाख रुपयों में)

(घ) सालाना खपत की तुलना में स्टाक अधिक नहीं है और संस्थापन-कार्यों /प्रायोजनाओं में चालू रखने और किसी भी समय होने वाली आवश्यक और अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी है ।

भारत में पंजीकृत कारखानों तथा उनके कर्मचारियों की संख्या

3989. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या कितनी है तथा इनमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ख) 1966 में ऐसे कारखानों की संख्या कितनी थी तथा उनमें कितने कर्मचारी थे तथा 1968 में उनकी संख्या कितनी होने का अनुमान है;

(ग) सरकारी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखानों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या मन्दी के कारण 1968 में कर्मचारियों की कोई छटनी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई थी तथा छंटनी किये गये व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : वर्ष 1966 के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की कुल संख्या 64,516 थी और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 46,87,000 थी । 1968 के संबंध में यह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 1966 में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों की संख्या क्रमशः 3,245 और 61,271 थी ।

(घ) और (ङ) छटनी की संख्या यदि कोई है मालूम नहीं है, क्योंकि 1967 के तदनुरूपी आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । मंदी के कारण कितनी छटनी हुई, इस बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । रोजगार दफ्तरों की सुविधाएं रोजगार ढूढ़ने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ छंटनी किये गये कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं ।

भविष्य निधि आयुक्त के अधीनस्थ कर्मचारी

3990. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भविष्य निधि आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कोई मांग-पत्र पेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मांग-पत्र की एक प्रति सभा की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 460—68**]

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इन मांगों पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा विचार किया जा रहा है।

Rickshaw Pulling

3991. **Shri Onkarlal Bohra:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the system of rickshaw pulling by men is prevalent in Calcutta, the biggest city of the country; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to abolish this inhuman system?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Yes.

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का समाहार

3992. **श्री रविराय** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से छपने वाले समाचारपत्र "स्टेट्समैन" के 16 फरवरी, 1968 के अंक में छपी इस आशय की खबर की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल ने अब तक 1,45,000 मीट्रिक टन चावल का समाहार किया है जबकि निर्धारित लक्ष्य 700,000 मीट्रिक टन था तथा समाहार की दर एक सप्ताह में 5,000 मीट्रिक टन से गिर कर इस समय 3,000 मीट्रिक टन रह गई है जब कि खुले बाजार में मूल्य इतने अधिक हैं कि उपभोक्ता वहां नहीं जाते;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्टेट्समैन में प्रकाशित अधिप्राप्ति की साप्ताहिक दर ठीक नहीं है। वास्तविक अधिप्राप्ति बहुत अधिक थी, यद्यपि यह सच है कि फरवरी में अधिप्राप्त मात्रा अपेक्षाकृत कम थी। फरवरी, 1968 में अधिप्राप्ति की दर में गिरावट आने का मुख्य कारण अधिक राजनीतिक स्थिरता और पुलिस का कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहना था जिससे अधिशेष जिलों और सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों की हदबन्दी कम प्रभावशाली ढंग से की जा सकी और खुले बाजार में भावों में बढ़ोतरी हो गयी। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में अधिप्राप्ति की दर में सुधार हुआ है।

आयाकट योजना

3993. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनसागर परियोजना के पहले प्रक्रम के दौरान आयाकट योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित बुलडोजरों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) एग्रीकल्चरल रिफाइनैंन्स कारपोरेशन की सहायता से 8.30 करोड़ रुपये की अनुमानति लागत पर नागार्जुनसागर परियोजना की प्रथम अवस्था में 2.90 लाख, एकड़ भूमि को एकसार करने और विकसित करने सम्बन्धी एक योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ।

(ख) जी हां । भूमि सुधार तथा भूमि विकास कार्य हेतु मशीनरी की खरीद के लिए सन् 1966-67 में 31.50 लाख रुपये और सन् 1967-68 में 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी ।

Annapurna Mills, Varanasi

3995. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proprietor of Annapurna Mills, Varanasi sent a fictitious report to Government in respect of maida, sooji and atta released by the mill during the period from the 28th July, 1967 to 7th August, 1967 without getting them tested by the Chemist;

(b) if so, whether Government have conducted an inquiry into the matter; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister cf State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahed Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Allotment of forest land in Kangra District

3996. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2959 on the 5th December, 1967 regarding allotment of forest land in Kangra district and state:

(a) whether the requisite information has since been collected and if so, the details thereof?

(b) the ground on which allotment of land has been made in different cases;

(c) whether, before alloting land, Government had issued any instructions to the Panchayats to verify the names of persons who already owned houses or land and if not, the reasons therefor; and

(d) when Government received complaints from the Members of Parliament and village people regarding unjustified allotment of land, the number of complaints received and the action taken thereon?

The Minister of State is the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) Yes, Sir The Himachal Pradesh Administration have reported that the numebr of cases of allotment to those having houses but no land is 33 and that no allotments have been made to those having land.

(b) and (c). The Union Territory Administration have reported that allotments are made under Rules 8 and 10 of the Punjab Village Common Land Rules, and, therefore, no further instructions needed to be issued.

(d) Apart from the complaint received from Shri Hukam Chand Kachwai, Member of Parliament, on September 13, 1967, which was forwarded for necessary action to Union Territory Administration, no other complaints are reported to have been received by them.

Agitation by Postmen and Class IV Employees of P&T Department

***3997. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Postmen and Class IV employees of Posts and Telegraphs Department had decided to launch an agitation on the 15th February, 1968;

(b) if so the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No. There was no general threat of agitation from Postmen and Class IV employees on 15-2-1968.

(b) and (c). Do not arise.

क्षारीय मिट्टी वाली भूमि को कृषि योग्य बनाना

3998. **श्री निहाल सिह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों मे क्षारीय मिट्टी वाली भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सरकार ने कोई परीक्षण किये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सर्वेक्षण करने हेतु एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितने एकड़ ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) अनुसन्धान तथा विकास योजनाओं के अन्तर्गत क्षारीय तथा लवणमय भूमि सुधार के लिए राज्य सरकार कई प्रयोग तथा मार्गदर्शी परियोजनायें चला रही हैं ।

(ख) ऐसी भूमिओं के सुधार हेतु सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) सन् 1962-63 से सन् 1966-67 तक के 5 वर्षों के दौरान 1.28 लाख एकड़ क्षारीय तथा लवणमय भूमि का सुधार किया गया है ।

Putai Branch Post Office (Bihar)

***3999. Shri Bhogendra Jha:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Putai Branch Post Office in District Darbhanga, Bihar is functioning for the last about 40 years and 6 Branch Post Offices at Baghat, Mauhehat, Garol, Ramauli, Eathra, Barharba have been opened for the area hitherto catered to by it;

(b) whether it is also a fact that mail to Kathra, Maubehat and Garol Branch Post Offices is sent from Putai Post Office;

(c) whether it is further a fact that people there have been constantly demanding to upgrade Putai Branch Post Office to a sub-post office; and

(d) if so, the steps taken by Government to meet this demand?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Putai Post Office is the Transit Office for conveyance of mails for and from Maubehat B.O. only.

(c) Yes.

(d) The proposal was examined and it was found that the departmental standards regarding the minimum work hours were not satisfied and hence the office was not upgraded.

बाराहा गांव (बिहार) में शाखा डाकघर

4000. **श्री भोगेंद्र झा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में थाना बनी पट्टी में ग्राम बाराहा (राधोपुर) में एक शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) वहां शाखा डाकघर कब खुल जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी हां।

(ख) डाकघर इसलिए नहीं खोला जा सका क्योंकि विभागीय मानकों की पूर्ति नहीं हो सकी और साथ ही प्रत्याशित घाटे को सहन करने के लिए कोई भी इच्छुक पार्टी सामने नहीं आई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल को रूसी ट्रैक्टरों की सप्लाई

4001. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने अधिक उपज वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेती करने वाले कृषकों में वितरण के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है कि इस में निर्मित 250 ट्रैक्टर उस राज्य को दिए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख) प्रारंभ में केरल सरकार ने रूसी ट्रैक्टरों के अपर्याप्त संभरण के विषय में लिखा था और बाद में उन्होंने ऐसे 250 ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए प्रार्थना की थी। यह स्पष्ट नहीं था कि राज्य सरकार कौन से माडल के ट्रैक्टर मांग रही थी, अतः इसके बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। मामले पर विचार किया जा रहा है, परन्तु राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 20 रूसी ट्रैक्टर पहले से ही अलाट कर दिये गये हैं ।

केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड

4002. **श्री श्रदिचन : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 दिसम्बर, 1967 को हुई बैठक में केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 26 दिसम्बर, 1967 को हुई बोर्ड की बैठक के सारे निष्कर्षों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। कुछ निष्कर्ष न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 संशोधन करने के बारे में हैं। इस मामले पर विचार किया जा रहा है। कुछ अन्य निष्कर्षों के मामले को दोबारा बोर्ड के सामने रखना पड़ेगा यह कार्य बोर्ड की आगामी बैठक में किया जायगा ।

उड़ीसा में परीक्षात्मक नल-कूप

4003. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फरवरी, 1968 तक कितने तथा किस-किस स्थान पर परीक्षात्मक नल-कूप लगाये गये हैं;

(ख) क्या 1968-69 में उड़ीसा में, विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, ऐसे और अधिक नल-कूप लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) उड़ीसा में भू-जल समन्वेषण के दौरान समन्वेषी नल-कूप संस्था ने फरवरी, 1968 के अन्त तक 33 समन्वेषी कोर खोदे जिनमें से केवल 20 में ठीक तरह से पानी निलकता है । सफल नल-कूप निम्नलिखित स्थानों पर है :—

स्थान का नाम	जिला
1. मस्ता	बालासोर
2. हल्दीमाडा	,,
3. रेमुना	,,
4. नलगुण्डा	,,
5. पनीकोली	कटक
6. वडागोविन्दपुर	,,
7. पालसा	,,

8.	चान्दबली	बालासोर
9.	अगरपडा	,,
10.	बालासोर	,,
11. तथा 12.	सोर (दो कुएं)	,,
13.	चन्दीपुर	,,
14.	सिंगला	,,
15.	संतोशपुर	,,
16.	कसत्रा कमरदा	,,
17.	सुगो	,,
18	देवली (वासदेवपुर)	,,
19.	निजामपुर	,,
20.	एग्रीकल्चर फार्म	,,

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

उड़ीसा को सहकारिता आन्दोलन के लिये वित्तीय सहायता

4004. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा सरकार को राज्य में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिये कोई ऋण या सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस ऋण या सहायता का कैसे उपयोग किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 461—68]

उपभोक्ता मूल्य देशनांक सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

4005. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता कानपुर बंगलौर और मैसूर के उपभोक्ता मूल्य देशनांकों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ख) उस समिति का प्रतिवेदन कब प्रकाशित हो जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) इस समिति ने श्रम ब्यूरो सीरीज़ (आधार 1960) से कानपुर कलकत्ता और बंगलौर संबंधी उपभोक्ता मल्य सूचकांकों की राज्य सीरीज़ निकालने के

लिए श्रम व्यूरो द्वारा तैयार किये गये सम्बद्धता कारक में संशोधन की सिफ़ारिश की है । इस समिति ने वर्ष 1960 के लिए मैसूर संबंधी सामान्य सूचकांकों में 1935-36 के आधार पर संशोधन करने की सिफ़ारिश की है ।

(ख) समिति की सिफ़ारिशों पर सरकारी निर्णय के शीघ्र बाद ।

औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य की दुकानें

4006. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजकों को अपने-अपने औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों के लिये उचित मूल्य की दूकानें खोलने के लिये बाध्य करने के सम्बन्ध में प्रारूप विधान 1964 में औद्योगिक समझौता संकल्प सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था;

(ख) क्या प्रारूप विधान अभी तक संसद् में पेश नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपेक्षित विधान इसी पत्र में पेश करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) विधान की योजना पर जून, 1965 में और फिर नवम्बर, 1965 में उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया गया और तब तक यह निर्णय किया गया कि विधान बनाने के प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही नहीं करनी चाहिए बल्कि श्रम मंत्रालय द्वारा दोषी नियोजकों से अनुनय किया जाना चाहिए व छः महीने के पश्चात् स्थिति का पुनरीक्षण होना चाहिए । सारी स्थिति का पुनरीक्षण किया गया और अनुनय की पद्धति जारी रखी गई । इसके परिणामस्वरूप सन् 1966 के अन्त तक लगभग 70 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने उचित मूल्य की दूकानें या सरकारी भण्डार खोल दिये थे । फिर भी चूंकि कुछ प्रतिष्ठान अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रहे थे, प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखकर विवाद की एक संशोधित योजना का मसविदा तैयार किया गया । इस योजना के और ब्यौरे पर राज्य सरकारों, नियोजक मंत्रालयों और श्रमिकों तथा नियोजकों के संगठनों की रायें प्राप्त की जा रही हैं । कुछ उत्तरों की अभी तक प्रतीक्षा है ।

(घ) जी नहीं ।

संकर बीज का उत्पादन

4007. **श्री गाडिलिंगम गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संकर बीज का कुल उत्पादन कितना होता है;

(ख) देश में संकर बीज की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या संकर बीज का कुछ आयात किया जाता है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संकर बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस समय संकर बीजों के आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) खरीफ केआगामी मौसम में स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार समस्त राज्यों की संकर बीजों की मांग को पूरा करने के लिए प्रबन्ध किये जा चुके हैं । कभी कमी की कोई सम्भावना नहीं है ।

उर्वरकों की चोरबाजारी

4008. **श्री गार्डिलिगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं कि उर्वरकों की चोरबाजारी हो रही है तथा सरकारी एजेंसियां भी चोरबाजारी कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Employees Provident Fund Scheme

4010. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Employees Provident Fund Scheme was introdued in 1953;

(b) if so, the number of industries where it has been implemented;

(c) the number of labourers who have started giving their contribution so far and the amount collected so far; and

(d) the measures being adopted by Government to extend the scheme further?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) The Employees' Provident Funds Scheme was introduced in 1952.

(b) 112 industries have been covered.

(c) As on the 30th November, 1967, the number of subscribers was 50.96 lakhs and Rs. 1,048.36 crores had been collected as contributions.

(d) Proposals for the extension of the Scheme to some other industries are under consideration. As soon as the case of a particular industry is finalised, the Scheme is extended to that industry.

रायराखोल तथा अथमालीक में डाकघर की इमारतें

4011. **श्री अ० दीपा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में रायराखोल तथा धेनकनाल जिले में अथमालीक के डाकघरों की इमारतें खराब हालत में हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां डाक अधिकारियों के लिये उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या वहां वैकल्पिक उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क) जी हां, इन इमारतों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ।

(ख) डाकघर की इमारत की मरम्मत होने तक रायराखोल डाकघर को जीवन बीमा निगम के क्वार्टरों में अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित किया जा रहा है । अथमालीक डाकघर की इमारत की मरम्मत का काम चल रहा है ।

(ग) तथा (घ). जी नहीं ।

अनाज तथा व्यापारी फसलों के मूल्यों में कमी

4012. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छै महीने पहले प्रमुख अनाजों तथा व्यापारी फसलों के मूल्य कम थे और इस समय इनके मूल्यों की तुलना में वे मूल्य कितने कम या अधिक थे ; और

(ख) आगामी छै महीनों में इनके मूल्यों में क्या परिवर्तन होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) छै महीने पहले अर्थात् अगस्त, 1967 के अन्तिम सप्ताह की तुलना में फरवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताहके प्रमुख अनाजों तथा व्यापारी फसलों के थोक मूल्यों की संख्या प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 462-68]**

(ख) इस समय यह ठीक ठीक बताना कठिन है कि आगामी छै महीनों में खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों के मूल्यों में क्या परिवर्तन होने की सम्भावना है, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

खरीफ की फसल पर अनाज की वसूली

4013. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में खरीफ की उपज पर खाद्यान्न की वसूली का वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये लक्ष्य किस हद तक पूरे नहीं हुए हैं ;

(ग) कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) खरीफ की उपज से हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए रबी की फसल से अनाज की वसूली के लिये वर्तमान पद्धति में क्या सुधार करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) बहुत शीघ्र होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रबी फसल की अधिप्राप्ति के बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा ।

Examinations for Posts of Supervisors in P. & T. Department

***4014. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only English was prescribed as the medium for eaminations held on the 21st, 22nd and 23rd December, 1967 for the posts of Supervisor in the Posts and Telegraphs Department;

(b) whether it is also a fact that no provision was made for writing answers in Hindi in the said examinations;

(c) whether it is also a fact that the question papers were set only in English if so, the reasons for which the question papers were not set in Hindi;

(d) whether Government propose to make Hindi as the medium along with English for the said examinations in future and if not, the reasons therefor; and

(e) the other examinations of Posts and Telegraphs Department for which only English has been prescribed as the medium?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) In the third week of December, 1967, examinations were held for promotion to the cadre af Inspectors of Post Offices|R.M.S. and Head Clerks in the Divisional Offices. The medium for examination was English.

(b). Yes.

(c) In accordance with the past prevailing practice in the P.&T. Department, the question papers were set in English.

(d) Translation and printing of the departmental manuals in Hindi has been taken up and is in progress. The question of introducing Hindi along with English as a medium of examination will be further considered as soon as conditions permit.

(e) Practically all examinations, particularly for class III employees, are conducted at present in the English medium in the P. & T. Department.

Indians returning from foreign countries

4015. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of Indians who have returned to India during the current year from different countries, countrywise;

(b) the number of persons out of them rehabilitated so far; and

(c) the number of Indians who are likely to return to India during the next year?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) It is not possible to indicate their number.

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य-ग्रहण पत्तन

4016. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना में आन्ध्र प्रदेश में नरसापुर, मछलीपत्तनम् और कृष्णापत्तनम में तीन मत्स्य-ग्रहण पत्तन निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) नरसपुर में मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसे मंजूर कर दिया गया है। चतुर्थ योजना की अवधि में कृष्णपत्तनम में मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण करने का विचार था। विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु बन्दरगाहों पर पूंजी लगाने से पहले जिन स्थानों का संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि द्वारा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था उनकी सूची में कृष्णपत्तनम को भी शामिल कर लिया गया है। मछलीपत्तनम के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गोमांस तथा सुअर के मांस की खपत

4017. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से भारत में गोमांस तथा सुअर के मांस की खपत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना से सरकार ने उनके उत्पादन और मांग के बारे में क्या कार्यवाही की है और यदि कोई सफलता मिली है, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

नलकूपों का वितरण

4018. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गांधी शताब्दी के अवसर पर नलकूप और पम्पिंग सेट वितरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). इस समय भारत सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में खाद्यान्नों की वसूली

4019. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में खाद्यान्नों की वसूली का काम संतोषजनक नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित लक्ष्य का अब तक केवल एक तिहाई ही पूरा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब पी० शिन्दे): (क) खरीफ मौसम के शुरू में भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में लगभग 1.55 लाख मीटरी टन बाजरा, ज्वार तथा मकई जैसे मोटे खरीफ अनाजों के खरीदने का अनुमान लगाया था। फसल की हालत तथा राज्य सरकार की अधिप्राप्ति संबंधी नीति को ध्यान में रखकर इस लक्ष्य में संशोधन करके इसे 1.05 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। इस संशोधित लक्ष्य में से लगभग 53 हजार मीटरी टन की खरीद अभी तक निगम कर पाया है जो कि संशोधित लक्ष्य के 50 प्रतिशत से कुछ ही अधिक बैठता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दण्डकारण्य में आवाजाही शिविर

4020. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य के आवाजाही शिविरों में अब भी लगभग 500 परिवार रह रहे हैं ; और

(ख) कब इन परिवारों को बसाये जाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हान) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।]

दण्डकारण्य में कृषि-औद्योगिक परियोजनायें

4021. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में कृषि-औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हान) (क) और (ख). निम्न कृषि उद्योग खण्ड स्थापित कर दिये गये हैं :—

कृषि औजार	1
गेहूं तथा मक्की की पिसाई	2

निम्न युनिटों को स्थापित करने की योजनाएं विचाराधीन हैं :—

मेस्टा बैलिंग (मेस्टारेशे के गट्ठे बनाना)	3
हड्डियों का चूरा	1
तेल निकालना	3

प्रबन्धकों तथा मजदूरों का लाभ में हिस्सा

4022. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को उपक्रमों के प्रबन्ध और लाभ में भागीदार बनाने की योजना पर ठोस कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त योजना लागू कर दी गई है ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में उक्त योजना को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 20 को छोड़कर और इस अधिनियम की धारा 32 में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट सरकारी समवायों और निगमों के अतिरिक्त, शेष सभी समवायों या निगमों के रूप में चलने वाले सरकारी निगमों के रूप में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम पहले ही लागू होता है। कुछ मामलों में, इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ बोनस के स्थान पर अनुग्रह-पूर्वक अदायगी भी की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर 'संयुक्त प्रबंध परिषदों' की योजना भी लागू होती है। यह योजना परामर्श तथा आपसी विचार-विमर्श द्वारा एक ऐसी संयुक्त परिषद में, जिसमें प्रबंधकों और श्रमिकों के समान संख्या के प्रतिनिधि उपस्थित हों, श्रम प्रबन्ध सहयोग की व्यवस्था करती है।

(ख) एक विवरण, जिसमें उन 45 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम दिये गये हैं, जहां संयुक्त प्रबंध परिषदों की योजना शुरू की गई है संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 463–68] सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नामों की सूचना जिन पर लाभ में भागीदार बनने की योजना लागू होती है इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 इस अधिनियम की धारा 32 में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट वर्गों को छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे सभी कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। संयुक्त प्रबंध परिषद् की योजना भी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होती है और ऐसे 87 उपक्रमों में आरम्भ की जा चुकी है।

जबलपुर स्थित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये औषधालय

4023. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उस नये औषधालय में काम ठीक तरह से न होने के बारे में कोई शिकायत मिली है, जो जबलपुर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये हाल ही में खोली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नई खोली गई डाक-तार डिस्पेंसरी की सुविधाओं से लाभ उठाने में डाक-तार कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) कुछ कर्मचारी यह डिस्पेंसरी खोले जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे यह अनुभव करते थे कि इसके खुलने से उन्हें पहले से उपलब्ध सुविधाओं में रुकावट पड़ेगी। पोस्टमास्टर जनरल ने अपने कल्याण अधिकारी को जबलपुर में इसकी जांच के काम पर लगाया था, जिसने कुछ सुझाव दिये हैं। इनमें से एक सुझाव तारघर के अहाते में ही डिस्पेंसरी की एक और शाखा खोलने का है। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा का भवन

4024. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम जंकशन पर रेलवे डाक सेवा के एक नये भवन के निर्माण की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1968–69 में निर्माण-कार्य शुरू हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एर्णाकुलम जंकशन रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे मेल सर्विस की मौजूदा इमारत के विस्तार की एक योजना है।

(ख) जी हां। रेल अधिकारियों ने इस कार्य को अपने 1968–69 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया है बशर्ते कि फंड उपलब्ध हो।

केरल के एर्णाकुलम जिले में डाकघरों की संख्या

4025. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एर्णाकुलम जिले में वर्ष 1968–69 में कितने नये डाकघर खोले जायेंगे ; और

(ख) ये डाकघर किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री, (श्री इंद्र कुमार गुजराल ।) क) विभागीय मानकों की पूर्ति तथा फंड उपलब्ध होने की स्थिति में 1968–69 के दौरान 18 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित डाकघर कहां खोले जाएंगे—इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि स्कीम

4026. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि आरम्भ करने के लिए सरकार को केरल विधिज्ञ परिषद से एक स्कीम प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विलिंगटन द्वीप, कोचीन में रेलवे डाक सेवा के डाक घर और टेलोफोन केन्द्र के लिये भवन

4027. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग ने लगभग दो वर्ष पूर्व कोचीन में विलिंगटन द्वीप में रेलवे डाक सेवा के डाकघर और टेलीफोन केन्द्र के लिये नये भवन का निर्माण किया था ;

(ख) उस पर कितना धन व्यय हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस भवन में बहुत सी दरारें आ गई हैं और क्या डाक व तार विभाग के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच कराने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) डाक तार विभाग द्वारा विलिंगटन द्वीप कोचीन में दो भवनों का निर्माण किया गया। इन दो भवनों में से एक भवन टेलीफोन केन्द्र के लिए था और इसका निर्माण डाक-तार विभाग की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बहुत वर्षों पहले कर लिया था। दूसरा भवन नायब पोस्टमास्टर के क्वार्टर सहित डाकघर तथा रेल डाक व्यवस्था का नया भवन था और इसका निर्माण डाकतार विभाग द्वारा दो वर्ष पहले किया गया था ।

(ख) डाकघर तथा रेल डाक व्यवस्था भवन पर 2.9 लाख रुपया खर्च हुआ।

(ग) नायब पोस्टमास्टर के क्वार्टर तथा डाकघर के मुख्य भवन में कुछ दरारें पड़ गई थीं तथापि ये दरारें खतरनाक ढंग की नहीं हैं ।

(घ) इन दरारों के संभावित कारणों की खोज की जा रही है और इस खोज के परिणाम प्राप्त होने पर इस मामले में, यदि आवश्यक समझा गया तो जांच करने के आदेश दिये जायेंगे।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4028. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने फरवरी, 1968 के पहले सप्ताह में निगम के कार्यालय के सामने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि निगम में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को वापिस भेजा जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केरल में नियुक्त निगम के अधिकतर अधिकारी राज्य सरकार के वे अधिकारी हैं जो निगम में प्रतिनियुक्त पर आये हैं और ऊंचा वेतनमान पा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां। खाद्य निगम के कुछ स्थानान्तरित कर्मचारियों ने जोकि भारतीय खाद्य निगम के केरल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, 5 फरवरी, 1968 को त्रिवेन्द्रम स्थित भारतीय खाद्य

निगम के प्रादेशिक कार्यालय के सामने कार्यालय-समय में शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया था। उनकी अन्य मांगों में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को वापस भेजने की बात भी शामिल थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है लेकिन ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो कि जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन करके बिना किसी प्राधिकार के अपने काम पर उपस्थित नहीं हुये थे।

(ग) जी नहीं। केरल प्रदेश में कार्य कर रहे 1042 कर्मचारियों में से केवल 58 कर्मचारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं। प्रतिनियुक्ति पर आये ये सभी कर्मचारी अपने मूल विभाग में पा रहे वेतन की तरह ही वेतन तथा अपने वेतन का 20 प्रतिशत सामान्य प्रतिनियुक्ति भत्ता यदि नियमानुकूल हो तो पाते हैं।

मध्य प्रदेश में चीनी के मूल्य

4029. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में मध्य प्रदेश के लिये कितनी चीनी नियत की गई थी ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी चीनी सप्लाई की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) चीनी वर्ष 1965–66 और 1966–67 (नवम्बर से अक्तूबर तक) में 3,07,365 मीटरी टन।

(ख) 3,02,441 मीटरी टन।

खाद्यान्न का खराब हो जाना

4030. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय भाण्डागारों में आयातित तथा स्वदेशी खाद्यान्न कितनी मात्रा में खराब हो गये तथा उसका मूल्य कितना था ; और

(ख) जिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हानि हुई है और जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है, उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

शीतागारों के लिये मध्य प्रदेश को ऋण

4031. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बीज के आलुओं के लिए सुविधाएं जुटाने के सम्बन्ध में शीतागार निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के लिये कोई ऋण मंजूर किया है ; और

855(ai)LS—5.

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय कृषि उत्पादन सलाहकार समिति

4032. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के मार्गोपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय कृषि उत्पादन सलाहकार समिति बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन व्यक्ति होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक ऐसी केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई है जिसमें विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं व कृषि विकास में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल हैं । यह समिति जनता का सहयोग प्राप्त करने व कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को कारगर रूप से कार्यरूप देने के बारे में सलाह देगी ।

(ख) समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :--

अध्यक्ष : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री ।

उपाध्यक्ष : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के राज्य मंत्री ।

सदस्य : 3. राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता ।

4. उपमंत्री, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता ।

5. मंत्री, सिंचाई एवं शक्ति ।

6. 13 संसद् सदस्य ।

7. चार प्रगतिशील कृषक ।

8. कृषि प्रशासकों, कृषि अर्थशास्त्रियों तथा कृषि वैज्ञानिकों के 3 प्रतिनिधि ।

9. गैर-सरकारी कृषि संस्थाओं तथा कृषकों के संगठनों के 3 प्रतिनिधि ।

10. कृषि श्रमिकों के 4 प्रतिनिधि ।

मैसूर में राजकीय प्रक्षेत्र

4033. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रूस के सहयोग से मैसूर राज्य में सिंहानू में एक यन्त्रीकृत प्रक्षेत्र स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी भूमि की आवश्यकता है और अब तक कितनी भूमि अर्जित की जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) और (ख) मैसूर राज्य के रायचूर जिले के सिंधानूर नामक तालुका में एक केन्द्रीय राजकीय फार्म की स्थापना का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिए लगभग 7,500 एकड़ का क्षेत्र अर्जित करने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार को इसकी भूमि अर्जित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है । राज्य सरकार से यह पता लगाया जा रहा है कि अभी तक कितनी भूमि अर्जित कर ली गई है । यह फार्म उन पांच राजकीय फार्मों में से एक है जिनके लिये रूस की सरकार ने प्रति फार्म अधिकतम 31 लाख रुपये की राशि के उपकरण बिना किसी मूल्य के देना स्वीकार कर लिया है ।

Sheep Rearing Centre in North Arcot

4034. Shri Ram Charan:
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the news-item published in daily Navbharat Times of the 18th February, 1968, there is not a single sheep in the Government Sheep Rearing Centre, North Arcot, Madras in spite of spending lakhs of rupees and employing hundreds of persons there;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the expenditure so far incurred on the said Centre; and

(d) the number of sheep in other Centres of the said type run by the Central Government and the expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, on receipt.

Expenditure on sheep rearing

4035. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount spent State-wise on the rearing of sheep during the last three Five Year Plans;

(b) the quantity of wool yielded; and

(c) the amount proposed to be allocated during the Fourth Five Year Plan State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected from the State Governments/Union Territories, and will be placed on the Table of the Sabha, on receipt.

Self-sufficiency in wool

4036. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that assurances have been given many times to the effect that India would become self-sufficient in wool by the end of the Third Five Year Plan;

(b) whether it is also a fact that India still depends on the foreign countries for good quality of wool; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c). Wool produced in India is primarily of carpet type. This wool is not quite suitable for apparel purposes. In view of this, finer types of wool is required to be imported to some extent to meet the requirements of woollen textile industry. Efforts are, however, being made to produce fine wool in the country by cross-breeding local sheep with imported fine wool breeds of Merino type. Arrangement for importing 1460 Rambouillet sheep from U.S.A. are being made and these are expected to be received shortly. To sort out finer wools from mixed clips, a programme of wool grading and marketing has been taken up, in Rajasthan State. This programme is being extended to other wool producing States in the Northern and Western regions with the assistance of UNDP. To study the problems of sheep and wool development, a Central Sheep & Wool Research Institute has been set up at Malpura in Rajasthan with sub-stations in Kulu District of Himachal Pradesh and Kodaikanal in Madras State. A proposal has also been made to the Government of Australia under the Colombo Plan for establishment of a large sheep breeding farm of fine wool Australian sheep.

Cultivation in unirrigated areas

4037. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that only 20 to 25 per cent of the total cultivable land has been irrigated;

(b) whether it is also a fact that Government's agricultural production schemes have been formulated with a view to increase production in the irrigated areas only and that the unirrigated areas are being neglected; and

(c) if not, the measures which are being adopted by Government to increase agricultural production in those unirrigated areas where irrigation facilities are non-existent?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir. Gross irrigated area is slightly less than 1/5th of the total cropped area, in the country.

(b) and (c). Two development programmes under the new Agricultural Strategy *viz.* High Yielding Varieties Programme and Multiple Cropping Programme have been designed for securing rapid increases in foodgrains production in the high potential irrigated areas. All the other agricultural production programmes *e.g.*, those concerning irrigation, soil conservation and land development, increased use of fertilizers and manures, use of improved seeds, extension of plant protection measures etc. are being implemented to benefit both the irrigated as well as rainfed areas. Some of these measures, particularly those relating to minor irrigation, soil conservation and land development are largely implemented in unirrigated areas.

Cost production of Agriculture Commodities

4038. Shri Deorao Patil: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have appointed any committee to examine the cost of production of agricultural commodities like foodgrains, cotton etc.;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount earmarked therefor for the coming financial year?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde): (a), (b) and (c). The Department of Agriculture have set up a Standing Technical Committee for the purpose of providing neecssary guidance in organising the collection of data on indices of input costs and also in organising the cost of production surveys on an integrated basis. The Committee includes experts in various disciplines such as economics, statistics, etc. and has Chairman, Agricultural Prices Commission, as its Chairman.

A token provision of Rs. 5 lakhs has been made in the Budget for the year 1968-69 for implementing schemes for studying the cost of production of principal crops in the country as recommended by the Committee.

Ration quantum for Labourers

4039. Shri Deorao Patil: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the same quantity of ration is given to those who do physical and mental work in the cities where statutory rationing is in force;

(b) whether Government have issued any directive that more foodgrains in ration be supplied to persons belonging to labour class; and

(c) if not, the reason therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Develoment and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde): (a) In the statutorily rationed areas of West Bengal, Maharashtra and Delhi, supplementary rations are issued to heavy manual workers. In the rationed areas of Andhra Pradesh, all persons getting monthly emoluments upto Rs. 200 per mensum are issued supplementary rations. In the case of Madras State, no such supplementary ration is issued.

(b) and (c). The Government of India have not issued any directive in this regard. This is a matter which is decided by the State Governments in their own discretion.

बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी के कारण वित्तीय हानि

4040. **श्री लोबो प्रभु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 15 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी से देश की होने वाली वित्तीय हानि का कोई अनुमान लगाने का उनके मंत्रालय का विचार है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने किसी भी समय योजना आयोग से अनुरोध किया था कि योजना को बेरोजगारी की दृष्टि में रख कर तैयार किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में योजना की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भ० झा० आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया फिर भी इस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नियोजन क्षेत्रों के अध्ययनों के परिणाम तथा देश के नियोजन कार्यालयों से प्राप्त बेरोजगारी के आंकड़े योजना आयोग को नियमित रूप से दिखाए जाते हैं। इसके अलावा योजना आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से जो विकास कार्यक्रम तैयार करता है, उसमें अधिक नियोजन अवसर जुटाने की आवश्यकता, उपलब्ध साधन और निवेश सम्बन्धी प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है।

अनुमान है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप 3,10,50,000 नियोजन अवसर जुटाए गए जब कि इसी अवधि में देश की श्रमशक्ति 3,30,00,000 की की वृद्धि हुई।

केन्द्रीय तार घर, श्री गंगानगर

4041. **डा० कर्णीसिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे कस्बों तथा नगरों में स्थापित किये गये तारघरों तथा टेलीफोन केन्द्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है;

(ख) क्या श्री गंगानगर के केन्द्रीय तारघर में पर्याप्त स्थान न होने तथा वहां पर अन्य सामान्य सुविधाओं के सर्वथा अभाव के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान के छोटे शहरों के कई टेलीफोन केन्द्रों में लगे हुए उपकरण पुराने होने के कारण स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था भी प्रायः अव्यवस्थित रहती है और यदि हां, तो उसे ठीक अवस्था में लाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, संसद्-कार्य तथा संचार (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। श्री गंगानगर का विभागीय तारघर सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारत में है, जिसके अधिकारियों ने आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस इमारत के नवीकरण के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। अतः विभागीय तारघर को अन्य स्थान पर ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी नहीं, फिर भी जब कभी गड़बड़ी होती है इस संबंध में तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

Intensive Cattle Development Scheme

4043. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the work proposed to be carried on at Meerut under the Intensive cattle Development Scheme during the current year;

(b) the amount likely to be spent on the cattle development, supply of fodder, breeding and loans at cheap interest, separately; and

(c) whether it has been made obligatory for the beneficieries of Intensive Cattle Development Scheme to supply milk to the Delhi Milk Scheme?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde): (a) The following

(i) Construction of buildings for the existing 21 Stockman centres, 6 Artificial Insemination Laboratories and 1 (two bull) Centre.
(ii) Opening of 11 new stockman dispensaries/Artificial insemination Centres, 4 Veterinary Hospitals and 1 Mobile Hospital.
(iii) Distribution of fodder seeds to cover 2,000 acres under fodder cultivation.
(iv) Organisation of 200 fodder demonstration plots at the cultivators' own fields.

	(Rs. in lakhs)
(b) Cattle Development	2.85
Supply of fodder (seeds only)	0:52
Breeding	3.23
Loans	1.46
Total	8.06

(c) It is obligatory on the part of the farmers to whom loans are being advanced for purchase of much animals, to supply milk to Delhi Milk Scheme.

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

4044. श्री म० ला० सोन्धी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पद छोड़ने के शीघ्र पश्चात दिल्ली में व्यवसायिकों की तुलना में राजनीतिज्ञों तथा नगरपालिका सदस्यों को आसानी से टेलीफोन मिल जाते हैं;

(ख) क्या टेलीफोन दिये जाने के लिये भूतपूर्व राजनीतिज्ञों को कोई सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क), (ख) तथा (ग). राजनीतिज्ञों को राजनीतिज्ञ होने के कारण ही टेलीफोन देने में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। वे केवल सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में उस वर्ग के अन्य व्यक्तियों के समान ही टेलीफोन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी भूतपूर्व संसद्-सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों आदि को उनके सदस्य न रहने पर भी सार्वजनिक जीवन में उनके स्थान और स्थिति को दृष्टि में रखते हुए स्थायी कनक्शन दिये गए हैं।

वनोत्पादों को प्रयोग में लाना तथा मत्स्यपालन

4045. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (नारडिक) देशों को वनोत्पादों को प्रयोग में लाने तथा मत्स्यपालन के विकास के क्षेत्र में भारत को सहयोग देने को प्रार्थना की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) वन उत्पादों से लाभ उठाना तथा मत्स्यपालन विकास ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में नार्वे के देशों से सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) स्वीडन की सरकार ने वन विज्ञान उपकरणों को उपहार रूप में देने की पेशकश की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया । स्वीडन की सरकार ने मछली विकास के लिए 2 अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण शर्तों की पेशकश की थी । इस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया था और आशा है पोत शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे । ट्रालरों के क्रय के लिए भी पेशकश की गई थी । परन्तु निर्णय किया गया है कि ट्रालरों के निर्माण हेतु देसी सामग्री का प्रयोग किया जाये ।

मत्स्यपालन विकास विषयक इन्डो-नार्वेजन परियोजना (जिसके केन्द्र, एर्नाकुलम कन्नानौर मण्डपम व कारवार में स्थित हैं) का आपसी विचार विमर्श के पश्चात् एक संशोधित करार के अन्तर्गत 3 वर्षों की और अवधि के लिए नवीकरण किया गया था ।

राजस्थान में वन्य पशुओं की हत्या

4046. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में वन्य पशुओं का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है तथा उनको मारा जा रहा है जिसके फलस्वरूप केवल राजस्थान में ही पाये जाने वाले दुर्लभ जातियों के मृगों और चिंकारों का जीवसंहार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे): (क) भारत सरकार को राजस्थान में वन्य जीवों के शिकार करने एवं मारे जाने के विषय में जानकारी नहीं है ।

(ख) "वन्य पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा" राज्य विषय है और राज्य सरकारों ने पहले ही अधिनियम बना लिये हैं जिनके अन्तर्गत वन्य जीवों के संहार को वन क्षेत्रों में नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है ।

Foreign Aid to Indian National Cooperative Union

4048. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that the Indian National Cooperative Union has been getting aid from time to time for various purposes :

(b) if so, the amount of aid received during the last three years alongwith the names of the aid-giving countries ; and

(c) whether the said aid is being increased gradually.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir. The Union is, however, called National Cooperative Union of India and not the Indian National Cooperative Union.

(b) The Union recieved Rs. 44,691.99 from the Cooperative League of the U.S.A. through their Regional Officer in New Delhi in 1964-65 only and from the Asia Foundation Rs. 4,614 and Rs. 15,000 in 1965-66 and 1966-67 respectively.

(c) The Union has not received any aid from the Cooperative League of U.S.A. since 1965-66 and from Asia Foundation from the commencement of the year 1967-68. During the period, no foreign aid has been received by the Union from any other foreign agency.

Benefits of Cooperative Movement to rural population

4049. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) The extent to which the rural population has been benefited by the Cooperative Movement ;

(b) the extent to which the landless labour has been benefited from Coop'erative Farming ; and

(c) the schemes proposed to be formulated by Government for the benefit of the landless labour and to meet their loan and capital requirements ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The Cooperative movement is playing a significant role in the rural areas in the matter of provision of credit, marketing and processing of agricultural produce, supply of agricultural inputs, distribution of consumer goods, and in dairy, poultry, finisheries and labour contract socieities. The cooperatives covered 35 percent of the rural population and provided about Rs. 450 crores as credit for agricultural production in 1966-67. They also marketed agricultural produce worth Rs. 335 crores, distributed agricultural inputs worth Rs. 165 crores and consumer articles worth Rs. 245 crores in the same year.

(b) and (c). In settling Government waste lands, State Governments normally give preference to cooperative farming socieities, composed predominently of landless labourers. During the Third Plan period, 1840 cooperative farming socieites were organised on government waste lands. Financial assistance to farming socieites is given in the shape of share capital and loans for godowns and cattlesheds. Landless labourers can also benefit from labour contract and construction cooperatives and other cooperatives like dairy, poultry and fishermen's cooperatives, which are also assisted by Government.

Skilled and Unskilled Workers in Public Sector Industries.

4050. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of skilled and unskilled workers in various centrally run industrial establishments in Ranchi and Barauni and the number of employees belonging to Bihar ;

(b) whether preference is given on the basis of equal qualifications to the talent available in Bihar in respect of new appointments in centrally run establishments located in Bihar ;

(c) whether it is a fact that discrimination is made against Bihar in the matter of such appointments by the Centre ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) Information, in the form required is not readily available. However, in the Barauni Refinery 1678 out of 2175 regular employees and a bulk of the muster roll employees are from Bihar. In the Heavy Engineering Corporation at Ranchi out of 13,823 Class III and IV employees, 10742 are from Bihar.

(b) According to existing policy of Government, recruitment to Class III and IV posts are made locally as far as possible. Recruitment to posts other than those of Class II and Class IV or equivalent grades is made through all India advertisements.

(c) No.

(d) Does not arise.

उड़ीसा में सहकारी खेती योजनायें

4051. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को उस राज्य में सहकारी खेती की योजनाओं को पूरा करने के लिए एक सलाहकार तालिका स्थापित करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सहकारी खेती की योजनाओं को प्रोत्साहन देने में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) : जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य सहकारी परिषद् द्वारा 23 जनवरी, 1961 को नियुक्त सहकारी खेती सम्बन्धी स्थायी समिति के अतिरिक्त 18 अप्रैल, 1961 को राज्य सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया था। बाद में यह बोर्ड समाप्त कर दिया गया था किन्तु इस स्थायी समिति को चालू रखा गया है ।

(ग) अब तक उड़ीसा में 138 सहकारी खेती समितियां स्थापित की गई हैं। उनकी सदस्य संख्या 3974 है तथा उनके पास 11,054 एकड़ भूमि है ।

उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

4052. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छोटी सिंचाई योजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश में तीसरी योजना अवधि में हाथ में लेने का विचार था ;

(ख) किन किन योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया था ;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर कार्य आरम्भ किया गया था तथा आपातकाल तथा अन्य कारणों से काम बन्द कर दिया गया था ; और

(घ) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर कार्य आरम्भ किया गया था और बाद में बन्द कर दिया गया था।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख) लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व स्वयं राज्य सरकारों का है। फिर भी, राज्य सरकारों को उनके लघु सिंचाई कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सहायता ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की गई।

यद्यपि भारत सरकार लघु सिंचाई कार्यों की क्रियान्विति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, फिर भी, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की एक अधीनस्थ क्षेत्र संस्था समन्वेषी नलकूप संस्था विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल के समन्वेषण के कार्य को करती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में, इस संगठन ने उत्तर प्रदेश में समन्वेषण के लिए 9 स्थानों पर खुदाई की, जिसमें से 8 स्थानों पर उत्पादन नलकूप बनाये गये। इसके अतिरिक्त इस संगठन ने डिपोजिट वर्क आधार पर राज्य सरकार की ओर से 105 उत्पादन नलकूपों की खुदाई की जिसमें से 98 सफल सिद्ध हुए ।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं होते ।

पटनागढ़ (उड़ीसा) टेलीफोन एक्सचेंज

4053. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बोलनगीर जिले में पटनागढ़ में 50 लाइनों वाला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर सरकार 1965 से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 50 लाइनों के एक स्वचल टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए अपेक्षित प्राक्कलनों की मंजूरी दी जा चुकी है ।

मणिपुर के लिये श्रम के बारे में मूल्यांकन समिति

4054. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मनीपुर के लिये श्रम संबंधी मूल्यांकन समिति का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त समिति में समाचारपत्रों के मालिकों का एक प्रतिनिधि शामिल किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति में सरकार, नियोजकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं ।

(ग) जी नहीं ।

"रैपर" तम्बाकू

4055. **श्री ब० कृ० दासचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में दिनहाटा सबडिवीजन में 20,000 एकड़ में "रैपर" तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक अस्थायी योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं । तम्बाकू विकास के क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनहाटा क्षेत्र में रैपर तम्बाकू की काश्त को किसानों के खेतों में बढ़ाने के लिये केन्द्रीय खाद्य, एवं कृषि मंत्रालय को एक योजना प्रस्तुत की है । प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत रैपर तम्बाकू का उत्पादन पहले वर्ष में 20 एकड़, दूसरे वर्ष में 30 एकड़ और तीसरे वर्ष में 40 एकड़ भूमि में करने का प्रस्ताव है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को उर्वरक खरीदने के लिये ऋण देना और पम्प सैट्स उधार देना भी स्वीकार कर लिया है ।

(ख) यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है

कलकत्ता में खोंचे वालों का पुनर्वास

4056. **श्री ब० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोंचेवालों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कलकत्ता में उनके लिये सामान बेचने के स्थान की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास के लिये कौन से अन्य उपाय करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० र० चव्हान): (क) और (ख) बंगाल सरकार ने शरणार्थी खोंचे वालों को व्यापार आदि का अवसर प्रदान करने के लिये 384 स्टाल कलकत्ता में बना दिये हैं। शरणार्थी खोंचे वालों को स्थान देने के लिये उल्तादांगा में लगभग 4.77 लाख रूपये की लागत से एक मार्केट का निर्माण किया जा रहा है।

कृषि कालेजों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

4057. **श्री राजदेव सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कुछ कृषि कालेजों को अपने विद्यार्थियों तथा अन्य कालेजों से निकाले गये विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां देने के लिये मान्यता प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कृषि कालेजों की संख्या कितनी कितनी है ; और

(घ) क्या कोई अन्य विशेषाधिकार तथा सुविधायें केवल मान्यता प्राप्त कालेजों को ही दी जाती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् केवल उन कृषि, विद्यार्थियों को मान्यता प्रदान करती है जो भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्तियों के लिये निश्चित न्यूनतम स्तरों पर पूरे उतरते हों। निम्न स्तर के महाविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते, इन छात्रवृत्तियों से (जो केवल योग्य छात्रों के लिये हैं) लाभ नहीं उठा सकते।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालयों की सूचियां संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 464—68]

(घ) विकास कार्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता शिक्षा के उचित स्तर बनाये रखने से संबंधित हैं।

Supply of foodgrains to Jammu and Kashmir

4058. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the value of foodgrains and other foodstuffs supplied to Jammu and Kashmir during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67;

(b) the amount paid by the Government of Jammu and Kashmir to the Central Government during the above period as the cost of foodgrains and foodstuffs;

(c) the balance yet to be paid; and

(d) the value of foodgrains which Government propose to supply to the State Government during 1968-69?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a)	1964-65	Rs. 269.09 lakhs.
	1965-66	Rs. 921.77 ,,
	1966-67	Rs. 1252.16 ,,
(b)	1964-65	Rs. 215.30 ,,
	1965-66	Rs. 673.59 ,,
	1966-67	Rs. 546.61 ,,

(c) Balance due as at the end of December, 1967, in respect of supplies made upto 1966-67 is Rs. 753.52 lakhs.

(d) The allotments to the States are made on a month to month basis depending on their needs and the availability of stock with the Government of India. It is, therefore, not possible to indicate the quantity of the value of the supplies that are likely to be made to the State during 1968-69.

Supply of additional foodgrains to Madhya Pradesh for Singhast Festival

4059. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government and the Singhast Committee have asked the Central Government for the supply of additional quantities of sugar, rice, wheat or flour for the Singhast festival;

(b) if so, the quantities of each asked for and the action taken by Government in the matter;

(c) the quantities of above commodities which were supplied at the time of last Singhast festival; and

(d) whether it is also a fact that the Madhya Pradesh Government have expressed their inability to make available foodgrains for the large number of pilgrims?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The following desh Government did ask the Central Government for supply of additional quantities of wheat/flour and sugar for the Singhast festival.

(b) 10,000 tonnes of wheat/flour and 500 tonnes of sugar were asked for The Central Government have agreed to supply 5,000 tonnes of imported wheat during April, 1968. It has not been found possible to give any special quota of sugar for the festival.

(c) No records are available of Central Government having supplied any foodgrains or sugar during last festival.

(d) Yes, Sir.

दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्य

4060. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कानूनी राशन व्यवस्था समाप्त किये जाने के बाद से खाद्यान्नों के मूल्य कम हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों में कितनी कमी हुई;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि खाद्यान्नों के भाव एक विशेष स्तर पर स्थिर रहें, कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) चावल, गेहूं और बाजरे के थोक भावों में गिरावट आयी है जबकि चने के भावों में 21–2–1968 को चल रहे भावों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के भावों में यह गिरावट एक रुपया और 10 रुपये प्रति क्विटल के बीच है।

(ग) केन्द्रीय भण्डारों से एक ही दर पर खाद्यान्न देने से मूल्य-स्तर को स्थिर करने में सहायता मिलती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग

4061. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस रबी सीजन में मध्य प्रदेश राज्य में कीटनाशी दवाइयां छिड़कने के लिये राज्य सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और राज्य सरकार ने इस कार्य पर कुल कितनी धन-राशि व्यय की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हाँ। कीड़ों तथा रोगों की महामारी को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कीटनाशक औषधियों की खरीद के लिये 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में 20 लाख रुपये की राशि नियतन की गई है। इसके अतिरिक्त रोग निरोधक आधार पर चूहों के नियंत्रण तथा पौध रक्षण उपायों को अपनाने की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिये कृन्तकनाशक औषधियों के लिये 3.60 लाख रुपये तथा कीटनाशक औषधियों के लिये 0.92 लाख रुपये की नियतन भी किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को कीटनाशक औषधियों की खरीद के लिये 37.50 लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे खाद्यान्न, कपास तथा तिलहन की फसलों में—फसल-कीटों तथा रोगों के नियन्त्रण के लिये भारत सरकार की हवाई जहाज से छिड़काव सम्बन्धी सहायता का उपयोग कर सकती हैं। यदि भारत सरकार के वायुयानों का प्रयोग किया जाता है तो 2 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता दिया हुआ एक खर्च देना होता है और यदि छिड़काव गैर-सरकारी वायुयानों द्वारा किया जाता है तो खर्च का दो-

तिहाई भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश में रबी कार्यों के दौरान 2.60 लाख एकड़ भूमि में यह कार्य किया गया।

पौद रक्षा कार्यक्रम के लिये भारत सरकार प्लान खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देकर राज्य सरकारों की सहायता करती है।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी कार्यों में कीटनाशक औषधियों के छिड़काव पर राज्य सरकार द्वारा कुल 82.95 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

मनीपुर के उप-प्रभाग में टेलीफोन सुविधाएं

4062. **श्री मेघचन्द्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के कुछ उप-प्रभागों में टेलीफोन की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ सब-डिवीजनल मुख्यालयों के साथ टलीफोन सम्पर्क नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मनीपुर के सब सब-डिवीजनों में टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). मनीपुर राज्य के तीन उपमंडल मुख्यालयों उखरूल, तमेनलोंग और जिरीबाम में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई। दो नये ट्रंक मार्गों इम्फाल–उखरूल और सिल्चर–इम्फाल के लिये प्रायोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनके पूरा होने से उखरूल और जिरीबाम में इस सुविधा की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। तमेनलोंग के लिये लाइन की व्यवस्था इस समय संभव नहीं है। एक मामले में सड़क के न बनने और उस क्षेत्र में स्थानीय गड़बड़ी के कारण काम करने में कठिनाइयों के कारण स्वीकृत प्रायोजनाओं को पूरा करने में देरी होने की संभावना है।

नीलगिरि पहाड़ियों में डाक तथा तार कर्मचारियों को पर्वत प्रतिकर भत्ता

4063. **श्री नंजा गौंडर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार कर्मचारियों को मद्रास राज्य के नीलगिरि पहाड़ियों में दिये जाने वाला पर्वत प्रतिकर तथा शीत भत्ता शिमला तथा दार्जिलिंग में दिये जाने वाले भत्ते की तुलना में कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) (ख) तथा (ग). सभी पहाड़ी स्थानों पर पर्वत प्रतिकर भत्ता भारत सरकार के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत दिया जाता है जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इन आदेशों के अन्तर्गत पहाड़ी स्थानों को उनकी ऊंचाई के आधार पर दो वर्गों में रखा गया है :—

(i) ऐसे स्थान जो समुद्र तल से 1000 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित हैं;

(ii) ऐसे स्थान जो समुद्र तल से 1500 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं।

इसी प्रकार शीत भत्ता देने के लिये पहाड़ी स्थानों को दो वर्गों में रखा गया है अर्थात् ऐसे स्थान जिनकी ऊंचाई 1300 और 1499 मीटर के बीच है या ऐसे स्थान जो समुद्र तल से 1500 मीटर या इससे अधिक की ऊँचाई पर हैं। इन स्थानों पर पर्वत भत्ते के अतिरिक्त शीत भत्ता 6 महीनों के लिये (अक्तूबर से मार्च तक) या 4 महीनों के लिये (नवम्बर के मध्य से मार्च के मध्य तक) क्रमश: उनके कर्क-रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित होने के आधार पर दिया जाता है। नीलगिरी और शिमला तथा दार्जिलिंग में दिये जाने वाले भत्ते की दरों में अन्तर इन स्थानों की ऊंचाई और स्थिति के ही कारण है।

Building for Telephone Exchange in Kotah

4064. Shri Onkar Lal Berwa: Will ehe Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a decision has been taken for the construction of a building for Telephone Exchange in Kotah, Rajasthan.

(b) if so, the expenditure involved thereon; and

(c) when the building is likely to be completed?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) The preliminary estimate for the building has been sanctioned at a cost of Rs. 25,85,500.

(c) The building is likely to be completed during 1970-71.

भारत सेवक समाज के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना

4065. **श्री कृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत सेवक समाज के कर्मचारियों को एक वर्ष से उनका वेतन नहीं दिया गया है और भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय ने अपनी शाखाओं को अनुदान की राशि नहीं दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में भारत सेवक समाज को कहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपराज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क), (ख) व (ग). भारत सेवक समाज ने सूचित किया है कि सरकारी अनुदान बन्द किये जाने के फलस्वरूप पिछले वर्ष से उसके बहुत से कर्मचारियों को उनके वेतन नहीं दिये गये हैं। सरकार ने इस बारे में समाज को कुछ नहीं कहा है।

स्वैच्छिक संस्था होने के कारण यह समाज को ही देखना है कि उसे अपनी कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यकताओं के निर्धारण तथा वेतन की लागत पूरी करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

भारत सेवक समाज

4066. श्री कृष्णन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज कब बनाया गया था और अब इसके राज्यवार कितने कार्यालय हैं; और

(ख) यह किस उद्देश्य के लिये बनाया गया था और क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) भारत सेवक समाज 1952 में स्थापित किया गया था। समाज द्वारा उपलब्ध किया गया उसके राज्य कार्यालयों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 465-68]

(ख) समाज के संविधान में निम्न उद्देश्य दिये गये हैं :—

(1) भारत के नागरिकों के लिये स्वैच्छिक सेवा के मार्ग खोजना तथा विकसित करना, ताकि (क) राष्ट्रीय निर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके और देश के आर्थिक सामर्थ्य का निर्माण किया जा सके, (ख) समुदाय के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके और उसके उपेक्षित वर्गों की दरिद्रता तथा कठिनाइयों को दूर किया जा सके;

(2) लोगों के फालतू समय, शक्ति तथा साधनों को प्राप्त करना और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में लगाना;

(3) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना।

व्यापक सामाजार्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के परिणामों का परिमाण स्थिर करना तथा अंकन करना हमेशा सरल नहीं होता है। यद्यपि समाज ने कुछ काम किया ही होगा, फिर भी इस प्रश्न की जाँच की जा रही है कि समाज के माध्यम से लगाये गये धन के अनुरूप कितनी उपलब्धि हुई है।

Central Assistance for Minor Irrigation Schemes

4067. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount sanctioned for Minor Irrigation Schemes to each State during 1967-68;

(b) the amount allotted for tubewells, lift irrigation, irrigation wells and pumping sets;

(c) the demands put forward by each State for this purpose; and

(d) the percentage of demand acceded to by Government in respect of each State?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). According to the existing procedure, the Central financial assistance is released to the State Governments towards the close of each financial year The assistance, is made available under the various major heads of development such as 'Agricultural Production', 'Minor Irrigation' and not schemewise. It is for the State Governments to allot funds for various schemes under a particular Head of Development. With effect from 1-4-1967 Minor Irrigation schemes are eligible for central assistance to the extent of 60 per cent loan and 15 per cent grant.

The statement attached shows the outlays proposed by the various States in their annual plans for 1967-68 for minor irrigation (including tubewells, lift irrigation, irrigation wells, pumping sets) and the Central assistance proposed each State. [Placed in Library. See No. L.T. 466-68].

अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

4068. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग और कृषि विभाग द्वारा अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की नवीनतम वरिष्ठता सूची कब जारी की गई थी ; और

(ख) क्या उनका विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कि नवीनतम वरिष्ठता सूचियां प्रतिवर्ष जारी की जायें, कोई कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) खाद्य विभाग के अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की नवीनतम वरिष्ठता की सूचियां क्रमश: 22-1-68 और 9-1-68 को जारी की गई थी, जहां तक कृषि विभाग का सम्बन्ध है, अनुभाग अधिकारियों की एक वरिष्ठता सूची 1-10-64 को जारी की गई थी। 1-10-1967 के अनुसार अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की वरिष्ठता की सूचियां तैयार की जा रही हैं ।

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि वरिष्ठता की सूचियां, प्रतिवर्ष जारी की जावें । वर्तमान सूची में जब अनेकों संशोधन करने आवश्यक हो जायें तो उसे परिशोधित सूची द्वारा संशोधित कर दिया जाता है । ऐसी अवस्था में संशोधित सूचियां पूर्व जारी की गयी सूची की तिथि और संशोधित सूची को जारी करने की तिथि की अवधि का ध्यान किये बिना भी जारी कर दी जाती हैं ।

अनुभाग अधिकारियों का स्थायीकरण

4069. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अनुभाग अधिकारियों की संख्या कितनी है जो कृषि विभाग में इस पद पर 1 जनवरी, 1967 को तीन वर्षों से अधिक, पांच वर्षों से अधिक और आठ वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे ;

(ख) 1967 में कितने अस्थायी अनुभाग अधिकारियों को स्थायी किया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार कम से कम ऐसे अधिकारियों को स्थायी करने का है जो 1 जनवरी, 1967 को उस पद पर पांच वर्ष से अधिक समय से काम कर चुके थे ;

(घ) क्या यह सच है कि अन्य प्राधिकारों में काम करने वाले उसी पदाली के कुछ अनुभाग अधिकारियों को, जो 1962 में विकेन्द्रीकरण से पहले उनसे कनिष्ठ थे, स्थायी किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस विषमता से कृषि विभाग के अस्थायी अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नति के पहलुओं आदि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नसाहब शिन्दे):(क) जानकारी निम्न प्रकार है :—

(1) तीन वर्षों से अधिक	39
(2) पांच वर्षों से अधिक	33
(3) आठ वर्षों से अधिक	20

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों में से 2 अनुभाग अधिकारियों को 1967 में स्थायी किया गया था ।

(ग) स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही स्थायीकरण किया जाता है । अतः निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि अधिकारियों को किस तारीख से स्थायी किया जा सकता है ;

(घ) विभिन्न संवर्गों के स्थायीकरण आदि के विषय में कोई तुलनात्मक रिकार्ड नहीं रखा जाता ;

(ङ) संवर्ग अलग होने की स्थिति में भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं होता ।

कोयला खानों का बन्द होना

4070. **श्री वामानी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की मांग कम हो जाने तथा मजूरी पंचाटों के फलस्वरूप खनन की लागत में वृद्धि हो जाने से हाल ही में कुछ कोयला खानें बन्द हो गई हैं ; और

(ख) खानों के बन्द हो जाने अथवा उत्पादन कम हो जाने से कितने मजदूरों पर कुप्रभाव पड़ा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भूमिगत खानें

4071. **श्री वामानी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत खानों में कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले दंगों तथा अनुशासन तथा नियोजकों द्वारा उनमें कोई रुचि न लिये जाने के मामलों को निपटाने के लिये कोई व्यवस्था है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जहां पुलिस अधिकारियों ने भूमि के नीचे खानों में हुए दंगों को दबाने में हस्तक्षेप करने से इस कारण इन्कार कर दिया था कि पुलिस को भूमि के नीचे कोई अधिकार नहीं है ;

(ग) क्या खानों में कानून तथा शांति बनाये रखने के मामलों से निपटने के लिये सरकार का एक पृथक् खान पुलिस दल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) चूंकि 'सार्वजनिक व्यवस्था' का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है, ऐसे सभी मामलों पर कार्रवाई करने का दायित्व राज्य पुलिस अधिकारियों का है ।

(ख) एक मामले में यह सूचित किया गया था कि राज्य पुलिस अधिकारियों ने इस तर्क पर कि उन्हें जमीन के नीचे जहां श्रमिक काम रोको हड़ताल पर गये हों, परिरुद्ध व्यक्ति को छुड़ाने का कोई अधिकार नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में लौसी पट में सिंचाई

4072. **श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर में लौसी पट क्षेत्र में, सिंचाई योजना आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी है ; और

(ख) उपर्युक्त पट क्षेत्र में सिंचाई करने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं तथा इस काम पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला खान में काम करने वालों को घटने-बढ़ने वाला महंगाई भत्ता

4073. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इस समय कोयला खान का एक मजदूर घटने-बढ़ने वाला कुल कितना मंहगाई भत्ता लेता है ; और

(ख) कौन कौन सी कोयला खानें उसे क्रियान्वित कर रही हैं और कौन-कौन-सी कोयला खानों ने उसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) किसी विशेष दिन श्रमिकों को प्राप्त होने वाले मंहगाई भत्ते की रकम का हिसाब इस सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार लगाया जायेगा । इन सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है :—

> "166 के सूचकांक में बढ़े हुए प्रत्येक अंक के लिए, जिसके साथ कि बोर्ड का मजूरी-विन्यास सम्बद्ध है , मंहगाई भत्ता 3 पैसा प्रतिदिन होगा । सूचकांक का हिसाब लगाने की पद्धति छः महीनों के औसत पर आधारित होगी, अर्थात् प्रत्येक वर्ष जनवरी से

जून और जुलाई से दिसम्बर और प्रथम अक्तूबर व प्रथम अप्रैल को क्रमानुसार समंजन किया जायेगा, जैसा कि आजकल होता है। यदि औसत में भिन्न अंक हो तो दूसरा उच्चतर पूर्णांक लिया जायेगा ।"

(ख) उन कोयला खानों के नाम, जो घटने बढ़ने वाले मंहगाई भत्ते की नयी दरों से अदायगी कर रही हैं, संलग्न विवरण में दे दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 467-68] शेष कोयला खाने घटने बढ़ने वाले मंहगाई भत्ते की अदायगी इस समय नई दरों से नहीं कर रही हैं ।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना

4074. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये "क्रियान्विति समिति" स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थापित की जायेगी और अब तक इस कार्य में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीरसोल कोयला खान

4075. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीरसोल खान के मजदूरों को वर्तमान बकाया देय राशि, मासिक तथा साप्ताहिक मजूरी तथा बोनस इत्यादि का भुगतान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस समय सीरसोल खान के मजदूरों को देय बकाया राशि कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). श्रमिकों की निम्न मजूरी की अदायगी करनी बाकी है :—

3—2—1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की साप्ताहिक मजूरी, फरवरी, 1968 की मासिक मजूरी, दिसम्बर, 1967 का तिमाही बोनस और सन् 1966 का लाभ साझा बोनस ।

लाभ साझा बोनस की गैर-अदायगी के लिये अभियोजन चलाया जा रहा है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी विभिन्न बकाया मजूरियों की राशि का हिसाब लगा रही है और उसकी वसूली के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

कृत्रिम चावल

4076. **श्री रा० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उपलब्ध टैपिओका के प्रयोग से कृत्रिम चावल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

4077. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से जनवरी, 1968 तक की अवधि में कोयला खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उन कोयला खानों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) इस के क्या कारण थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 468-67] ।

कोयला खानों में आदर्श स्थायी आदेश

4078. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन सी कोयला खानों ने अपने स्थायी आदेशों का पुनरीक्षण किया है और उन्हें मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा वर्ष 1967 में परिचालित आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप बना लिया है ; और

(ख) कौन कौन सी कोयला खानों ने अपने स्थायी आदेशों को "आदर्श स्थायी आदेशों" के अनुरूप नहीं बनाया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कोयला खनन उद्योग संबंधी स्थायी आदर्श आदेश सितम्बर, 1966 में परिचालित किये गये। 30 नवम्बर, 1967 तक कुल 749 कोयला खानों में से केवल 276 ने अपने स्थायी आदेशों को स्थायी आदर्श आदेशों के अनुसार बना दिया था और शेष 473 ने ऐसा नहीं किया । दो वर्षों के अन्तर्गत कोयला खानों के नामों के संबंध में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कोयला खनिकों के लिये जूते और वर्दी

4079. श्री जि० मो० बिस्वास : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कोयला खनिकों के नाम और संख्या कितनी है जिन्होंने कोयला खानों में नियोजित श्रमिकों को जूते और वर्दियां दी हैं ; और

(ख) प्रत्येक खान में कितने श्रमिकों को जूते और वर्दियां प्राप्त हुई हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) :

(i) **जूतों की सप्लाई**

अक्टूबर 1967 से कोयला खनिकों के लिये बचाव जूते सप्लाई करना अनिवार्य कर दिया गया । कोयला खनिकों को तब से दिये गये जूतों से संबंधित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। अक्टूबर, 1967 से पहले प्रबन्धक मजूमदार कोयला पंचाट के अधीन जूते रियायती दर पर दिया करते थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्टूबर, 1967 से पहले कोयला श्रमिकों को 183,677 जोड़े जूते दिये जा चुके थे।

(ii) **वर्दी की सप्लाई**

कोयला खनिकों को वर्दियों की सप्लाई अनिवार्य नहीं है । मजूमदार कोयला पंचाट के अधीन वर्दियां लागत के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर दी जा रही थीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 95760 कोयला खनिकों को वर्दी का एक-एक सेट और 56708 श्रमिकों को वर्दी के दो-दो सेट दिये गये। कोयला खनिकों को वर्दी देने के प्रश्न पर के सभी पहलुओं पर इस समय एक त्रिदलीय समिति विचार कर रही है ।

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति

4080. **श्री जि० मो० विस्वास :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की ग्यारहवीं बैठक कब बुलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यसूची क्या होगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). न तो तारीख और न ही विषय-सूची अन्तिम रूप से निश्चित हुई है ।

कोयले की खानों में खनिकों के लिये अनधिकृत शिविर

4081. श्री जि० मो० बिस्वास : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की खानों में अनधिकृत शिविर स्थापित किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता के अधीन स्थापित मूल्यांकन समिति ने खनिकों के होस्टलों के कार्यसंचालन के बारे में एक संहिता तैयार की है । संहिता में न केवल अधिकृत होस्टलों की मान्यता की प्रक्रिया निर्दिष्ट है अपितु इस में होस्टलों द्वारा रखे जाने वाले स्टैंडर्ड भी निर्धारित हैं। संहिता के लागू होने के साथ ऐसे अनधिकृत होस्टलों को मान्यता देना सम्भव होगा, जिनका स्टैंडर्ड निर्धारित स्टैंडर्ड के

अनुसार हो। इस समय इन होस्टलों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए रिकार्ड आफिस की सुविधाएं लागू नहीं दी जा रही हैं।

बांकोला कोयला खान

4082. श्री जगेश्वर यादव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित न्यायाधिकरण के द्वारा 28 दिसम्बर, 1967 को दिये गये उस पंचाट को बांकोला कोयला खान के प्रबन्धकों ने क्रियान्वित किया है जिस में 15 कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किये जाने तथा उन की मजदूरी की बकाया आधी राशि का भुगतान किये जाने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). बांकोला कोयला खान के प्रबन्धकों ने न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और उच्च न्यायालय ने निर्णय को क्रियान्वित करने से रोक दिया है ।

देत्ता-कजोरा कोयला खान में ताला बन्दी

4083. श्री जगेश्वर यादव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 2 फरवरी, 1968 को देत्ता-कजोरा कोयला खान की तालाबन्दी को अवैध घोषित किया है ;

(ख) कोयला कारखाने में कितने समय तक अवैध रूप से तालाबन्दी रही है;

(ग) तालाबन्दी से पूर्व कर्मचारियों को, उस अवधि की बकाया मजदूरी शामिल कर कुल कितनी धनराशि देय थी ;

(घ) कर्मचारियों को बकाया धनराशि न दिये जाने के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) तालाबन्दी समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) 8 जुलाई, 1967 से ।

(ग) 19485.75 रु०।

(घ) मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 19485.75 रु० के लिए प्राधिकारी के पास दावों के प्रार्थना पत्र दायर किए गए हैं।

(ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत तालाबन्दी निषिद्ध होने के बावजूद भी यह जारी है । अतः प्रबन्धकों के विरुद्ध अभियोजन लाया जा रहा है ।

विधिज्ञ परिषद् नियम

4084. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के लागू किए जाने के बाद "विधिज्ञ परिषद् नियम" में कोई मूल परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों, विशेषकर मुवक्किलों के अपने वकील चनने के अधिकार, फीस, वकालत के पेशे में प्रवेश तथा विधिक कार्यवाही के प्रकाशन के बारे में किए गए परिवर्तनों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वकालत के पेश में सुधार करने के प्रयोजन से जो विधि में सुधार से बिल्कुल भिन्न है विभिन्न "विधिज्ञ परिषद् नियमों" का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विधि आयोग या किसी अन्य स्वतंत्र निकाय के माध्यम से वकालत के पेश के बारे में कोई जांच करने का है ?

विधि उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनस सलीम) : (क) संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 के अधीन स्थापित विधिज्ञ परिषदों के स्थान पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषदों की स्थापना की गई है। एक भारत की विधिज्ञ परिषद् भी स्थापित की गई है। विधिज्ञ परिषदों ने पूर्वतर विधिज्ञ परिषद् नियमों में सारवान परिवर्तन किए हैं।

(ख) परिवर्तन अनेक हैं।। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे हैं जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन और ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के व्यवसाय के अधिकारों पर निर्बन्धनों से सम्बन्धित हैं। मुवक्किल के अपना वकील चुनने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विधिवत् परिषदों ने फीस के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये हैं। जहां तक विधि व्यवसाय में प्रवेश का सम्बन्ध है, नियमों में यह उपबन्ध किया गया है कि इस व्यवसाय में प्रवेश करने वालों को भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विधि-उपाधि प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त तथा परीक्षा पास करनी चाहिए। विधिज्ञ परिषदें न्यायालयों की विधिक कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई नियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। विधि व्यवसाय के संगठन और कार्यकरण की चर्चा विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन सुधार पर अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में की है।

Agricultural Labourers

4086. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have enacted no Legislation so far to safeguard the interest of agricultural labourers;

(b) whether Government propose to enact a legislation for the agricultural labourers on the pattern of the one enacted for industrial workers; and

(c) if so, when?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) There is no separate central labour Act for agricultural labourers as such. Under the Minimum Wages Act, 1948, employment in agriculture is a scheduled em-

ployment and appropriate Governments have power to fix minimum rates of wages and regulate conditions of service in the matter of hours of work, weekly day of rest and overtime in respect of agricultural employees.

(b) and (c). Further action in this direction will have to await the recommendations of the National Commission on Labour one of whose terms of reference is to study and report *inter alia* on measures for improving conditions of rural labour and other categories of unorganised labour.

इम्फाल और कलकत्ता के बीच सीधी दूरसंचार व्यवस्था

4087. **श्री मेघ चन्द्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के मनीपुर पत्रकार संघ ने इम्फाल और कलकत्ता के बीच सीधी दूरसंचार संबंध स्थापित करने और सूक्ष्म-तरंग व्यवस्था का इम्फाल तक विस्तार करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी हां। मनीपुर पत्रकार संघ की ओर से 22 फरवरी, 1968 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कलकत्ता के लिए ट्रंक काल की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने और सूक्ष्म-तरंग संबंध को इम्फाल तक बढ़ाने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) इम्फाल और कलकत्ता के बीच कालों की संख्या बहुत कम रहती है और इस आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच सीधी ट्रंक लाइन का औचित्य नहीं है । गोहाटी में होने वाली परिवहन की देरी को कम से कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस समय चल रहे संस्थापन-कार्यों से इम्फाल और गोहाटी के बीच परिपथों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है जोरहट से दीमापुर कोहीमा और इम्फाल के लिए सूक्ष्म-तरंग संबंध को विस्तार देने के लिए विस्तृत इंजीनियरी के काम को डाक तार विभाग ने हाथ में ले लिया है । इससे विश्वस्त तार परिपथों की व्यवस्था की जा सकेगी ।

विधि आयोग का पुनर्गठन

4088. **श्री दामानी :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विधि आयोग की रचना क्या होगी ; और

(ग) क्या उसके निर्देश पद तथा कार्यों का भी पुनरीक्षण किया जा रहा है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और एक संयुक्त सचिव तथा सदस्य ।

(ग) जी नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य के बीच परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी करार के समाचार के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी करार के समाचार के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : 7 मार्च, 1968 को संयुक्त राज्य अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन ने अठारह देशों की निरस्त्रीकरण समिति में सुरक्षा संबंधी आश्वासनों के बारे में एक संकल्प का मसविदा पेश किया । इसको वे सुरक्षा परिषद् में भी पेश करने को तैयार हैं । इस मसविदे के मजमून को सभापटल पर रख दिया गया है । इस मसविदे के समर्थन में प्रस्तावक इकतरफा घोषणायें करने के इच्छुक है कि यदि परमाणु विहिन अस्त्र राज्यों पर, जो कि इस संधि में शामिल हों, परमाणु अस्त्रों से आक्रमण होता है अथवा उसे परमाणु अस्त्रों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न होता है, तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद् से उस राज्य की सहायता की मांग की जायेगी । उपरोक्त देश संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के अधीन तब तक पृथक पृथक तथा सामूहिक आत्म-रक्षा के अधिकार की भी पुष्टि करते रहेंगे जब तक सुरक्षा परिषद् कार्यवाही नहीं करती ।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी संधि के मसविदे के बारे में अठारह देशों की निरस्त्रीकरण समिति महासभा को अपना प्रतिवेदन भेजेगी । संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा रूस ने संधि के मसविदे में प्रक्रिया संबंधी कुछ मामूली संशोधन किये हैं । संधि के मसविदे को सुरक्षा आश्वासनों के संकल्प के मसविदे के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में अग्रेतर चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसा विचार है कि इस मामले पर विचार करने के लिए महासभा के अगले महीने किसी समय बुलाये जाने की संभावना है ।

मैं अपनी स्थिति से संबंधित कुछ मुख्य बातें माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं । परमाणु अस्त्रों वाले राज्यों ने परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों के साथ मिल कर शांति स्थापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने की दिशा में जो पग उठाये हैं हम उनका स्वागत करते हैं । मानवता की आशा संयुक्त राष्ट्र संघ से बंधी है । संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अन्तर्गत सदस्य राज्यों पर विशेषकर सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों पर विश्व में शांति बनाये रखने का बहुत दायित्व है । इस प्रकार के प्रयासों से परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकना संभव होगा । इस दृष्टि से सुरक्षा गारंटी को परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिये पूर्व शर्त नहीं माना जा सकता ।

इस संबंध में हम एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं । अठारह राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण आयोग से यह आशा करना ठीक ही है कि वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायेगा । वर्तमान संधि से

निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब तक परमाणु अस्त्रों वाले देश अपने परमाणु अस्त्रों में वृद्धि करते रहेंगे तब तक हम विश्व शांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे जब तक सभी राज्य आत्म संयम से काम नहीं लेते तब तक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने संबधी अन्तर्राष्ट्रीय करार से कोई लाभ नहीं होगा। भारत ने अनेक बार यह घोषणा की है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है और कि वह परमाण शक्ति का विकास केवल शांतिपूर्ण कार्य के लिये ही कर रहा है। यह स्थिति सुरक्षा सहित सभी राष्ट्रीय पहलुओं पर आधारित है।

श्री मती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि यदि सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत यह संकल्प पा हो जाता है तो भारत सरकार की इस बारे में ठीक क्या स्थिति होगी क्योंकि सुरक्षा परिषद् का निर्णय सदस्यों पर अनिवार्य नहीं है ? 1966 में श्री त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण समिति में यह कहा है कि भारत की स्थिति कट्टर नहीं है।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यदि संधि में परिवर्तन कर दिया जाता है और हम महसूस करते हैं कि यह हमारे हित में है तो हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे। परन्तु हमने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि संधि पर वर्तमान रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं। माननीय उप-मंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा गारंटी को परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्व शर्त नहीं माना जा सकता। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I would like to know whether Government has prepared its own draft if she does not agree with the draft treaty sponsored by U.S.A. and U.S.S.R? I would also like to know whether co-sponsors of the treaty are willing to give guarantee that there will be no danger to the non-nuclear countries from them? I would also like to learn the Government's attitude towards the amendment presented by Rumania?

Shrimati Indira Gandhi: Rumania and U.A.R. have similar views and their views are good.

Shri Rabi Ray (Puri): May I know whether Government have prepared their own draft?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम कोई मसविदा नहीं पेश कर रहे हैं।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : क्या सरकार इस संधि को परमाणु अस्त्रविहीन देशों को ब्लैकमेल करने का एक मंत्र समझती है और क्या सरकार अफ्रीका-एशिया तथा लेटिन अमरीका के देशों को अपने साथ करेंगी जिससे कि सभी परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाई जा सके, इस ब्लैक मेल को रोका जा सके तथा परमाणु अस्त्रों के भण्डार को नष्ट किया जा सके।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना प्रशंसनीय है परन्तु यह वास्तविकता से परे है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 21 अक्तूबर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1573 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 445/68]

(दो) उक्त अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में जारी किये गये अध्यादेश

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(2) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(क) कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या III) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 7 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या viii) जो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 8 फरवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) उक्त अध्यादेशों द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले दो विवरणों की एक-एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 446/68]

संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाये गये नियम

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाये गये निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक तार विभाग (हायर सेलक्शन ग्रेड मोनिटर्ज) भर्ती नियम, 1967 जो

दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 71 में प्रकाशित हुये थे (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

(दो) मैकेनिक्स (टेलीफोन, टेलीग्राफ, कैरियर तथा वायरलैस) भर्ती नियम, 1968 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 73 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गई । देखिए संख्या एल० टी० 447/68]

कोयला खानों (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 2 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 448/68]

मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): I beg to lay a copy of the Delhi Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. F.3(39)/66-67-Transport in Delhi Gazette dated the 19th October, 1967, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939 on the Table of the House.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2091/67]

कोयला खान श्रमिक कल्याण संघ का 1965—66 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन और कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(6) वर्ष 1965-66 के लिए कोयला खान श्रमिक कल्याण संघ के क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(7) कोयला खान भविष्य निधि तथा तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान बोनस (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 17 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 314 में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 449/68]

रबड़ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 2 मार्च 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 395 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये। संख्या एल० टी० 450/68]

सरकारी बचत पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 29 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 411 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 451/68]

राज्य सभा में संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने अपनी 13 मार्च 1968 को बैठक में पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1968 पारित कर दिया है ।

पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बाया (नन्दयाल) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में (कृषि विभाग) के केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्था बम्बई के बारे में प्राक्कलन समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

शलाका द्वारा सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित रखने के बारे में

RE: BALLOTING

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं निवेदन करता हूं कि मतदान की इस प्रणाली को समाप्त किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए । इस मामले पर नियम समिति में चर्चा की जा सकती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 129.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 19 फरवरी, 1968 को अमरीका से खाद्यान्नों के आयात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 129 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह पूछा गया था कि क्या पी०एल० 480 के अन्तर्गत तम्बाकू भी आयात किया जाता है । इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों के समक्ष ठीक स्थिति रखना चाहता हूं ।

भारत अमरीका से पी०एल० 480 के अन्तर्गत स्पर्ड विरजिनिया तम्बाकू की कुछ मात्रा कई वर्षों तक मंगाता रहा है। मई 1966 में हुए करार में 2660 लाख डालर के मूल्य का उक्त किस्म के 850 मीट्रिक टन तम्बाकू के आयात की व्यवस्था है। जून 1967 तक 700 मीट्रिक टन तम्बाकू आयात किया जा चुका था और शेष 150 मीट्रिक टन अब और जन 1968 के बीच आयात किया जायेगा।

इस तम्बाकू के आयात कुछ किस्म के सिगार तथा सिग्रेटों के निर्माण में ब्लैंडिंग के प्रयोजन हेतु किया जा रहा है

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान् : 18 मार्च 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा

1. आज की कार्य सूची में जिन मदों पर चर्चा नहीं हो सकी उन पर चर्चा।
2. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1968 (विचार तथा पास करना)
3. जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक 1968 (विचार तथा पास करना)
4. वर्ष 1968–69 के लिये अनुदानों की मांगे (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।
5. वर्ष 1967–68 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।
6. वर्ष 1968–69 के लिए लेखानुदानों की मांगे (हरियाणा) पर चर्चा तथा मतदान।
7. वर्ष 1967–68 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (हरियाणा) पर चर्चा तथा मतदान।
8. पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।
9. पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना
10. वर्ष 1968–69 के लिए लेखानुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल पर चर्चा तथा मतदान।
11. वर्ष 1967–68 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान।
12. उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन प्राप्त करने वाले संकल्प पर चर्चा।

13. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में (विचार तथा चर्चा)

14. वर्ष 1968–69 के लिए लेखानुदानों की मांगे (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा तथा मतदान ।

15. वर्ष 1967–68 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (उत्तर प्रदेश) पर चर्चा तथा मतदान ।

16. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव ।

17. सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) जारी रखना विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, (विचार तथा पास करना)

अध्यक्ष महोदय : अगले तीन अथवा चार दिनों में हम पुनः दलों के प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं, यदि इस में कोई परिवर्तन करना है अथवा सुझाव देने हैं तो उस बैठक में दिये जा सकते हैं ।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सोलहवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो 13 मार्च 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो 13 मार्च 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 1967–68

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1967-68

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1967–68 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण पेश करता हूं ।

855(ai)LS—7.

उत्तर प्रदेश आय-व्ययक, 1968–69
UTTAR PRADESH BUDGET, 1968-69

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सदन को मालूम है कि राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 1968 की अपनी घोषणा द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्य-भार ग्रहण कर लिया है। राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजी गयी रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। यद्यपि सरकार को आशा है कि राज्य में जल्दी ही सामान्य सांवैधानिक व्यवस्था फिर स्थापित करना सम्भव होगा, फिर भी अभी राज्य के विधान मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा किया जा सकेगा। इसलिए राज्य सरकार का 1968–69 का बजट संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करना जरूरी हो गया है, ताकि राज्य सरकार का, अप्रैल से जुलाई 1968 तक का खर्च पूरा करने के लिए लेखानुदान (वोट आन एकाउण्ट) प्राप्त किया जा सके।

2. संसद् के सम्मुख राज्य का बजट प्रस्तुत करने के सीमित उद्देश्य का विचार करते हुए मैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक या अन्य गतिविधियों का ब्योरा देना नहीं चाहता, केवल कुछ मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। लगातार दो वर्ष सूखा पड़ने के कारण राज्य की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ता रहा है। इसलिए चालू वर्ष में खासकर, अधिक उपज वाले बीज बोने के कार्यक्रम द्वारा खेती की उपज बढ़ाने पर अधिक से अधिक जोर दिया गया। खरीफ और रबी दोनों मौसमों में कुल मिला कर लगभग 50 लाख एकड़ भूमि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलें बोयी गयीं। अगले वर्ष का लक्ष्य 70 लाख एकड़ है। जहां जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां-वहां तीसरी फसल का क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है। अनुमान है कि इस वर्ष सिंचाई की बड़ी और दरमियानी प्रायोजनाओं पर 13.25 करोड़ रुपया और छोटी प्रायोजनाओं पर 4.25 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिससे सिंचाई की बड़ी और दरमियानी प्रायोजनाओं से 63,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में और छोटी प्रायोजनाओं से 1.53 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। अगले वर्ष सिंचाई की दरमियानी और बड़ी प्रायोजनाओं से 98,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में और छोटी प्रायोजनाओं से 1.06 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। गैर-सरकारी सिंचाई कार्यों को प्रोत्साहन देने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस वर्ष दिसम्बर, 1967 के अन्त तक 8 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने की क्षमता पैदा की गयी, जबकि पिछले वर्ष 6.88 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने की क्षमता प्राप्त की गयी थी। इस वर्ष फरवरी, 1968 के अन्त तक जितने गैर-सरकारी नलकूपों और पम्प सेटों को बिजली से चलने का प्रबन्ध किया गया उनकी संख्या लगभग 20,000 है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 11,700 थी।

3. अब मैं बजट के विषय को लेता हूं। इस वर्ष राजस्व से 331.78 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है, जबकि बजट में 324.82 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। 6.96 करोड़ रुपये की इस वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्रीय करों में से राज्य को अधिक हिस्सा प्राप्त होना और केन्द्र से अधिक अनुदान मिलना है। बजट तैयार करते समय, राजस्व से किये जाने वाले व्यय का अनुमान 324.27 करोड़ रुपया लगाया गया था, जबकि अब 330.74 करोड़ रुपये का अनुमान है। 6.47 करोड़ रुपये की यह सारी वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों और सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए इस वर्ष अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किये जाने के कारण हुई है। जहां तक पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध है राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक

को अधिक अंशदान दिये जाने के कारण, राज्य की आयोजना में सम्मिलित योजनाओं के लिए 36.08 करोड़ रुपये की मूल व्यवस्था में 2.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। ऋणों के रूप में भी अधिक रकम खर्च होगी, जिसका मुख्य कारण यह है कि नलकूपों और पम्प-सेटों को बिजली से चलाने का प्रबन्ध करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड के लिए 6 करोड़ रुपये तक की और किसानों को रासायनिक खाद तथा बीज खरीदने के लिए अग्रिम देने के लिए 9 करोड़ रुपये तक की अधिक सहायता की व्यवस्था की गयी है। इन परिवर्तनों और अन्य परिवर्तनों का यह परिणाम हुआ है कि वर्ष के शुरू में काफी अधिक रोकड़ बाकी होने के बावजूद भुगतान करने के लिए राज्य की प्रारक्षित निधि से 7.90 करोड़ रुपया निकालना होगा।

4. इस वर्ष की 331.78 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति की तुलना में, अगले वर्ष 355.64 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है। 23.86 करोड़ रुपये की इस वृद्धि का कारण यह है कि कई मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि होने का अनुमान है जिनमें अधिक महत्वपूर्ण मदें हैं—बिक्री-कर 5.16 करोड़ रुपये, ब्याज सम्बन्धी प्राप्तियां 5.69 करोड़ रुपये, सिंचाई सम्बन्धी प्राप्तियां 1.79 करोड़ रुपये और केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1.76 करोड़ रुपया। अगले वर्ष राजस्व से पूरे किये जाने वाले व्यय का अनुमान 354.87 करोड़ रुपया है। इसकी तुलना में इस वर्ष का अनुमान 330.74 करोड़ रुपये था। 24.13 करोड़ रुपये की इस वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज और शोधन-निधि सम्बन्धी प्रभार (सिंकिंग फण्ड चार्जेज), महंगाई भत्ते में इस वर्ष की गयी वृद्धियों और आयोजना सम्बन्धी व्यय के लिए पहले से अधिक व्यवस्था किया जाना है। इस प्रकार, राजस्व-खाते में अगले वर्ष थोड़ा सा अर्थात् 77 लाख रुपये का अधिशेष दिखायी देता है, जबकि इस वर्ष का अधिशेष 1.04 करोड़ रुपये का था।

5. अगले वर्ष के बजट में, पूंजीगत व्यय के लिए 44.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें राज्य की आयोजना के लिए 38.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। ऋण देने के लिए 71.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 46.69 करोड़ रुपया राज्य बिजली बोर्ड के लिए और 16.93 करोड़ रुपया किसानों को तकावी और रासायनिक खाद तथा बीज खरीदने के लिए ऋण देने के लिए है। 115.57 करोड़ रुपये का कुल भुगतान, केन्द्र और दूसरों से 56.27 करोड़ रुपये की वास्तविक (नेट) अतिरिक्त रकम उधार लेकर, ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों के 33.63 करोड़ रुपये से और ऋण-जमा सम्बन्धी अन्य विविध शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली 24.93 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से किया जायगा, जिससे पूंजी खाते में 74 लाख रुपये का थोड़ा सा घाटा रह जायगा, जिसे 77 लाख रुपये के राजस्व-अधिशेष द्वारा पूरा किया जायगा।

6. अनुमान है कि इस वर्ष राज्य की आयोजना पर 150.96 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से 87.50 करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सहायता द्वारा और 3.50 करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था बिजली बोर्ड द्वारा अपने ही साधनों से की जायगी। अगले वर्ष के बजट में राज्य की आयोजना के खर्च के लिए 143.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें केन्द्रीय सहायता की रकम 75.60 करोड़ रुपया और राज्य के बिजली बोर्ड के अपने साधनों की रकम 7.35 करोड़ रुपया होगी। इसके

[श्री मोरारजी देसाई]

अलावा, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अगले वर्ष, इस वर्ष की 10.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में, 11.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है; इस प्रकार अगले वर्ष आयोजना सम्बन्धी कुल व्यवस्था 154.79 करोड़ रुपये की है, जबकि पिछले वर्ष 161.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। यहां मैं यह भी बता दूं कि हालांकि अगले साल कृषि प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के लिए 6.48 करोड़ रुपये की कम व्यवस्था की गयी है, लेकिन सहकारी क्षेत्र के देहाती ऋण को कार्यक्रम का विस्तार होने के कारण और अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण को देखते हुए, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूमि बंधक बैंक (लैण्ड मार्टगेज बैंक) अगले वर्ष अपने काम का विस्तार है। 41 जिलों तक कर देगा, जबकि इस वर्ष वह 25 जिलों में ही काम कर रहा है। फिर भी, यदि राज्य सरकार को आवश्यकता जान पड़े तो उसे, अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए और अधिक साधन जुटाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के बाद, खर्च में वृद्धि करने के प्रश्न पर, विचार करने की स्वतंत्रता होगी।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): I want some information from the hon. Finance Minister in regard to the Budget of Uttar Pradesh.

अध्यक्ष महोदय : जब बजट को सभा के समक्ष रखा जायेगा उस समय आप जो भी जानकारी चाहें ले सकते हैं।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—contd.

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : क्या वित्त मंत्री उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वित्त मंत्री 2.30 अथवा 2.45 पर उत्तर देंगे। कुछ दलों का समय अभी शेष है।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : मैं कुछ मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]]

जहाँ तक करों का सम्बन्ध है डाकदरों में वृद्धि से गरीब लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा। पोस्टकार्ड की दर में जो वृद्धि की गई है वह अनावश्यक है। यह हम पर इसलिए लादी जा रही है क्योंकि डाक व तार घर अपने व्यय में मितव्ययता करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अतः डाक दरों में वृद्धि करने के बजाये डाक व तार विभाग में किफायत की जानी चाहिए।

डाक द्वारा भेजे जाने वाले समाचारपत्रों के शुल्क में जो वृद्धि की गई है उससे लोकतंत्रीय प्रक्रिया तथा अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे स्थानीय लोगों को हानि होगी। अतः इस शुल्क पर उक्त पहलू से विचार किया जाना चाहिए।

तम्बाकू पर कर लगाने से गरीब किसान पर अधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि घर में वे तम्बाकू ही पीते हैं।

वित्त मंत्री ने बजट में दिखाये गये घाटे को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं दिया है। यदि उनका विचार अतिरिक्त नोट छाप कर इस घाटे को पूरा करने का है तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यदि उनका विचार नवम्बर में और कर लगाने का है तो इससे गरीब कर दाताओं पर और बोझ बढ़ेगा।

कल वित्त मंत्री ने बताया था कि सरकारी व्यय में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि व्यय में कुछ प्रतिशत कमी हुई है। वास्तव में यह कमी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि राजस्व में काफी वृद्धि हो गई है। मेरे विचार में सरकारी नौकरों की सभी श्रेणियों में छंटनी किये जाने की पर्याप्त गुंजायश है, जो कर्मचारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते उनकी छंटनी करना आवश्यक है। उत्पादकता की कसौटी लागू की जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के पास पूरे समय का काम है। सेवा निवृत्ति की आयु कम की जा सकती है और रिक्त स्थानों को न भर कर व्यय में कमी की जा सकती है। रोजगार में प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की कमी की योजना बनाई जानी चाहिए।

कल मैंने यह पूछा था कि जीवन बीमा निगम के धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया था। इस धन को भवन आदि बनाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार लोग कर देने पर भी तैयार होंगे।

बड़े दुःख की बात है कि देश के हजारों गाँवों में आज भी पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। क्या यह देखना सरकार का काम नहीं है कि प्रत्येक गाँव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। यदि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही हैं तो केन्द्रीय सरकार को सीधे यह कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसी आशा थी कि बजट में जनसाधारण को कुछ राहत दी जायेगी परन्तु दुर्भाग्यवश उनपर अनेक कर लगा दिये गये हैं। बच्चों के प्रयोग की वस्तुओं जैसे कि चाकलेट और मिठाई आदि पर भी कर लगा दिया गया है। पोस्टकार्ड के दामों की वृद्धि से भी गरीब लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा।

गत वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने आश्वसान दिया था कि घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा नहीं लिया जायेगा। परन्तु इस वर्ष उन्होंने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार रोका जा सकता है आयकर की बकाया राशि जो कि 1965 में 376 करोड़ रुपये थी अब 550 करोड़ रुपये हो गई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को छोड़ उनके सामाजिक नियंत्रण की बात कही जा रही है। हम माँग करते हैं कि ऐसे वित्त मंत्री को जोकि अपने साधन जुटाने में असफल रहा है और जो घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा गरीब लोगों पर कर लगाकर देश को चलाता है उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए।

[श्री स० मो० बनर्जी]

रायबरेली में जूतों के निर्माण के लिए कारखाना लगाया जा रहा है । वहाँ से जूते निर्यात किये जायेंगे । परन्तु यह कारखाना प्रधान मंत्री को प्रसन्न करने के लिए ही खोला जा रहा है । इस कारखाने पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे जबकि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन को अपने हाथ में लेकर जूतों के निर्यात का काम किया जा सकता था ।

मैं माँग करता हूं कि पोस्टकार्ड के मूल्य में कोई वृद्धि न की जाये । मिठाई पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए तथा उन सभी करों को वापिस लिया जाना चाहिए जिनके कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की आशंका है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : वित्त मंत्री ने बजट बनाते समय समाज के छोटे वर्गों की कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । सरकार ने जो रियायतें दी है वे बड़े बड़े लोगों को दी हैं । इस बजट से कोई आशा नहीं बंधती । हमारे बजट का मुख्य व्यय प्रतिरक्षा पर सिविल प्रशासन पर होता है । इस बजट में व्यय के पद्धति में सुधार का कोई संकेत नहीं है । देश में विकास कार्यों के लिये बहुत कम व्यवस्था की गई है । हमें विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर करना पड़ता है ।

प्रतिरक्षा पर व्यय के बारे में हमें यथार्थवादी रवैया अपनाना होगा । हम अणु बम नहीं बना रहे । हमें इस बारे में वस्तुस्थिति का अध्ययन करके नीति निर्धारित करनी चाहिये । हमें प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय के ठीक ढंग से प्रयोग में लाये जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये और इसमें यथासंभव बचत की जानी चाहिये, परन्तु देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र में सरकार को 41 करोड़ की हानि हुई है । इस बारे में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि इस संबन्ध में धन का कैसे उपयोग किया जा सकता है । सरकारी उपक्रमों में बड़े बड़े अधिकारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती रहती है परन्तु जब मजदूर अपनी मजदूरी में बृद्धि की मांग करते हैं तो उन्हें कोरा जबाब दे दिया जाता है । उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है ।

हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये । इन से हमारे देश का भविष्य संबंधित है । बजट में इसके महत्व की ओर ध्यान नही दिया गया है । सरकार को समूचे देश में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कार्यक्रम बनाना चाहिये । राज्यों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुदान दिये जाने चाहिये । इस संबंध में पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

उड़ीसा सरकार की सिचाई संबंधी योजना के लिये केन्द्रीय सरकार को धन की उचित व्यवस्था करनी चाहिये । उड़ीसा में उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है । केन्द्रीय को उड़ीसा के प्रति उदारनीति अपनानी चाहिये ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): Sir, I welcome the budget proposals. The new taxation proposals will not in any way hit the poor sections of our society.

I feel more funds should have been provided for sports. It is a very important item of our life. We attained freedom after 200 years of British rule. The country's condition in 1947 was very deplorable. There were countless problems before us. Our leaders proved equal to the task and put the country on the path of progress. They embarked on planned development. I am sorry to say that U.P. state has been neglected in this regard.

We should accept the Kutch Tribunals award and essert international pressure on Pakistan to implement the Tashkent Agreement.

I request the Central Government to provide funds for small irrigation schemes in eastern U.P., so that these backward area could be also developed.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled at fourteen of the clock after Lunch

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): Sir, there is nothing new in this Budget. He has again presented a deficit budget. The deficit is to the tune of 290 crore rupees. This burden will have to be borne by the poor people of this country.

India is predominantly an agricultural country. The hon. Minister has said that bumper crop is expected this year. He has not outlined the distribution policy of Government in this regard. The provision of Rs. 53 crores for agriculture is very inadequate. We should take steps to ensure sufficient production of foodgrains. We should not depend on rains or the vagaries of weather.

Ours is a poor country. The postal rates are proposed to be increased. It is not proper. This will put additional burden on the poor. It is very strange that big companies are being given concessions. The huge sums of unaccounted money, which is with the big businessmen, is not being touched. That money should be recovered. Crores of rupees are being paid to princes as privy purses. Had certain steps been taken in this direction the deficit financing could have been avoided. The hon. Minister has not kept his promise of avoiding deficit financing.

This Government is exploiting the poor masses in the name of Socialism. It is most unfortunate. Public Schools are a symbol of Western pattern. The poor students cannot afford to go to those Schools. A famous economist has pointed out that in India the big business and high officials join hands in encouraging corrupt practices. It proves a stumbling block in the path of country's progress. The Government funds are misused. All this should be checked. If proper steps are taken this deficit financing could be avoided.

This budget envisages an increase of eleven percent in our national income, but it is not clear as to where this increase will take place. Will it improve the lot of common man? The poor people should be provided all facilities.

[Shri Gunanand Thakur]

This budget provides concessions to big business. The poor have been ignored. I feel the small schemes of irrigation and development should be given priority. Bihar State can be a surplus State, if adequate facilities are provided there.

The Dearness Allowance of Central Government employees has been increased many a time. I request that State employees should also be given some relief. They are equally affected by high cost of living.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण): आज देश की अर्थ व्यवस्था बहुत खराब हालत में है। सरकार को मजबूर हो कर घाटे का बजट बनाना पड़ा है। इस से मंत्री महोदय को कठिनाइयों का अनुमान लगया जा सकता है। सरकारी व्यय में खर्चे में कमी करना सरकार उचित नहीं समझती है। परन्तु इस मद में व्यय में वृद्धि होती जा रही है।

गत वर्षों में कांग्रेस सरकार बड़े बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियायतें देती रही है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में इस से गैर-सरकारी क्षेत्र का ही विस्तार हुआ है। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चौधरी के उपायों द्वारा सरकार को हानि हुई है।

सरकार धनकर की बात करती है। बड़े बड़े व्यपार गृह अपना धन न्यासों में परिवर्तित कर देते हैं और सरकार कर से वंचित हो जाती है। इस बारे में न्यास अधिनियम के संशोधन से बड़े बड़े लोगों को ही लाभ हुआ है। इस बारे में जांच होनी चाहिये।

हमें विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता पर निर्भर नहीं करना चाहिये। पश्चिमी देशों के इसमें अपने निहित स्वार्थ हैं। आज पूंजीवादी देशों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह वियतनाम के वीर लोगों के मुकाबले का कारण है। ब्रिटेन को पौंड का अवमूल्यन करना पड़ा है। वे अल्पविकसित देशों में अपनी लूट को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

सरकार को स्टाक एक्सचेंज में पूंजी लगाने की प्रवृति समाप्त कर देनी चाहिये। इस धन को उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिये। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में स्थिति के सुधार के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों को संघर्ष करना होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): It is no doubt necessary to give certain concessions to the corporate sector in order to revive the capital market and to check recession. The measures that the Finance Minister has announced for this purpose will, therefore, be welcome. But the question is whether in extending these concessions to the corporate sector, it was at all necessary to impose certain indirect taxes which would adversely hit the common man.

So far as deficit financing is concerned, there is no doubt that it leads to inflation. But we should not take the rigid attitude that it should never be resorted to. If care is taken to see that it does not cross a certain limit and it is applied as a cure to the malady, it may not lead to harmful results.

There is likely to be a deficit of Rs. 22 crores in the revenue budget of the Posts and Telegraphs Department this year. This has been cited as the basis for increase in postal rates.

There is sufficient scope of economy in the wasteful expenditure pertaining to postal services, but increase in the postal rates is not justified. The rates of post-cards and inland letters should not be increased as they are used by common man.

The hon'ble Minister has increased the excise duty on all types of un-manufactured tobacco. Different kinds of tobacco is used in bidi and cigar. The tobacco used in bidi and eatable tobacco should be exempt from this additional excise duty.

It looks as if a cold war is going on between Private and Public Sectors. This is not a proper approach. We should agree that private and public sectors are part and parcel of one National Sector. Both these sectors should get equal opportunities to develop and the cold war should come to an end.

I am not one of those who believe that Nationalisation is the only cure for all the ills. In fact it would be better if Government factories are run efficiently and production is increased. It would be appreciated if a managerial cadre is developed for this purpose as the extension of Public Sector will be meaningless without it.

It is also necessary that while nationalising any industry there should not be any political consideration. The proposal to stop donations by the companies to the political parties and to abolish privy purses of the ex-rulers seemed to be motivated by political considerations. I had also introduced a similar motion in Rajya Sabha but the Finance Minister Shri T. T. Krishnamchari replied that it cannot be done and it is not necessary. Now Government is of the view that donations by the companies to the political considerations should be stopped. Is it not a political consideration. Now because ex-rulers have started giving something to other political parties, Government is threatening to stop privy purses.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : भारत सरकार ने कच्छ निर्णय के सम्बन्ध में इसलिये यह दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि हमने इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने का पाकिस्तान को वचन दिया हुआ था, और इस प्रकार निर्णय को स्वीकार करने के लिये हम बाध्य हैं। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तान ने युद्ध कर के वे सारे अधिकार खो दिये हैं जिन से वह यह आशा कर सकता था कि भारत को न्यायाधिकरण का निर्णय अवश्य स्वीकार करना चाहिये। यह सब को पता है कि कच्छ सीमा विवाद के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के पूर्वार्ध में समझौता हुआ था और उस के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर रहा है। इसलिये यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात् कच्छ का सीमा विवाद सम्बन्धी समझौता समाप्त हो जाता है।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने गत 20 वर्षों के शासन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई

[श्री मोरारजी देसाई]

है । परन्तु क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि आज वही स्थिति है जो वर्ष 1946 में थी ? यह कहा गया है कि बिजली के सम्बध में भी हम ने कोई प्रगति नहीं की है । वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 1946 में हम शायद ही किसी गांव में बिजली लगी हुई देखते थे जब कि आज लगभग 62,000 नगरों और गांवों में बिजली लगी हुई है । मैं बताना चाहता हूं कि यह कार्य बिना कुछ किये सम्भव नहीं था। परन्तु विरोधी पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । वे सोचते हैं कि जब तक कांग्रेस सरकार को अपदस्थ नहीं किया जाता तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता । परन्तु ऐसा सोचने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । यह कहा गया है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था करके मैं ने अपना वचन भंग किया है । मैंने यह कहा था कि सभी परिस्थितियों में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था को न अपनाना आवश्यक नहीं है । खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कुछ रुपया देना आवश्यक है । मैंने यह भी कहा था कि अनुत्पादक उद्देश्यों के लिये निजी ऋणों पर कुछ पाबन्दी लगाना आवश्यक होगा । मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अतिरिक्त सरकार द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था न करने से रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंक कृषि और उद्योग की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार से पूरा कर सकेंगे । यह बात मैं ने कही थी; यह ठीक है कि मैं घाटे की अर्थ व्यवस्था को पसन्द नहीं करता परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जो आवश्यक कार्य हों, वे भी न किये जायें । मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 12 महीनों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी थी ।

यह सुझाव दिया गया था कि योजना के अतिरिक्त तथा गैर-विकास कार्यों पर खर्च कम कर दिया जाये और प्रतिरक्षा पर भी खर्च कम कर दिया जाये । यह भी कहा गया कि बेकारी पर भी खर्च कम किया जाये। अब गैर-योजना खर्च का जहां तक सम्बन्ध है, योजना के अतिरिक्त सारा खर्च इस में सम्मिलित है जिस में प्रतिरक्षा, पुलिस, शिक्षा आदि पर होने वाले आ जाते हैं। इस खर्च को कैसे कम किया जा सकता है ? चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि पर किया गया खर्च भी योजना से अतिरिक्त खर्च है । इसके इलावा केवल प्रशासनिक खर्च रह जाता है । इस सम्बन्ध में हम ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की है और वे हमें इस सम्बन्ध में सुझाव देंगे । फिर भी प्रशासनिक खर्च कम करने का एक ही तरीका है और कर्मचारियों को छंटनी करने का है । परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शायद इस प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं होगा । इस कार्य को धीरे धीरे किया जा सकता है ।

यह कहना अनुचित है कि हमने मितव्ययता की कोई कार्यवाही नहीं की है । हमने वर्ष 1965–66 में 62 करोड़ रुपये तथा 1966-67 में 90 करोड़ रुपये की मितव्ययता की है। वर्ष 1967–68 में भी खर्च में कमी हुई है । प्रशासनिक खर्च में कर्मचारियों को दिये जाने वाला महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है जो अब 338 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गया है ।

यह कहना अनुचित है कि योजना आयोग के कर्मचारियों में वृद्धि हुई है बल्कि वहां पर कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है । वास्तव में घाटे की अर्थव्यवस्था

इसलिये करनी पड़ी क्योंकि न तो हम खर्च में इस प्रकार की कमी करना चाहते हैं जिस से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े और न ही हम इस प्रकार के कर लगा सकते हैं जिन से स्थिति और भी खराब हो जाये । जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी होगी और विशेषकर ऐसे समय में जब मूल्यों में कमी हो रही है। हमने खर्च को बढ़ने दिया परन्तु राजस्व में काफी कमी हो गयी है और इसके कई कारण है फिर यदि कुछ विदेशी ऋणों का उपयोग नहीं हुआ तो उस से राजस्व की स्थिति और भी खराब हो गई है । इस प्रकार हमें लगभग 300 करोड़ रुपये के घाटे को स्वीकार करना पड़ा है परन्तु इस से मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है । अब खुले बाजार में मूल्य वसूली मूल्यों से अधिक है । वसूली मूल्य भी अधिक है; कम नहीं हैं । यदि ये मूल्य वसूली मूल्यों से भी कम हो जाते हैं तो निश्चय ही सारा अनाज खरीद लिया जायेगा । इस समय हमारे पास 56 लाख मीट्रिक टन अनाज भण्डार में रखने के लिये स्थान उपलब्ध है । यह सच है कि इस क्षमता का उचित ढंग से वितरण नहीं हुआ है । इसलिये कुछ क्षेत्रों में हमें भण्डार बनाने की और क्षमता बनानी होगी । इसी बात को ध्यान में रख कर हम 30 लाख टन का बफर स्टाक बनाने की योजना बना रहे हैं ।

खाद्य नीति पर चर्चा करते हुए यह कहा गया था कि खाद्य ज़ोन समाप्त कर दिये जाने चाहियें । इस सम्बन्ध में निरन्तर विचार किया जा रहा है । हम समाज के हित में जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

यह सुझाव दिया गया है कि राशन को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहिये । यह कहा गया है कि जो लोग आय-कर नहीं देते उनके लिये राशन की व्यवस्था की जानी चाहिये । ऐसे लोगों की संख्या 25 लाख है जबकि इस देश की कुल जनसंख्या 50 करोड़ है । यदि इनके परिवारों को गिना जाये तो यह संख्या 70 या 80 लाख होगी । एक तर्क यह भी दिया गया था कि इस देश के 27 करोड़ लोगों की आय तीन आने है । यदि इन सब के लिये राशन की व्यवस्था की जाती है तो इस कार्य के लिये 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक राज सहायता की आवश्यकता है । इसका बोझा कौन सहन करेगा ? फिर यह भी कहा गया है कि वसूली बिल्कुल न की जाये । परन्तु वसूली के बिना कैसे काम चल सकता है । अतः यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है । कृषि के मामले में यह कहा गया है कि आरम्भ से ही हमने कृषि की उपेक्षा की है । यह बात ठीक नहीं है । पिछली तीन योजनाओं तथा गत दो वर्षों में हमने कृषि और कृषि के विकास के सम्बन्ध में 4602 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । यह कृषि-सहकारिता, सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण पर किया गया परिव्यय है । बिजली पर किये गये खर्च से भी देहाती जनता को काफ़ी लाभ हुआ है । इन योजनाओं में इस सम्बन्ध में 1500 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे । इसलिये यह कहना कि कृषि की उपेक्षा हुई है अनुचित बात है ।

यह भी कहा गया है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात बन्द कर दिया जाये । हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं करते । हमने चार या पांच वर्ष पहले खाद्यान्न के आयात बन्द करने का प्रयत्न किया था परन्तु मौसम खराब होने के कारण हमें फिर आयात करना पड़ा । अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होने का हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । फिर भी यदि पिछले दो वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न आयात न किया होता तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता । इस वर्ष हम बफ़र स्टाक बनाने के लिये आयात कर रहे हैं ।

[श्री मोरारजी देसाई]

हम ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात ही नहीं किया बल्कि 180 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके अनाज खरीदा भी है । इन सब बातों को ध्यान में रख कर कोई धारणा बनानी चाहिये । हम यथाशीघ्र अनाज के मामले में आत्म-निर्भर होना चाहते हैं । हमें आशा है कि तीन वर्षों के भीतर ही या अधिक से अधिक चार वर्षों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेंगे बल्कि हम फालतू अनाज उत्पन्न कर सकेंगे ।

आय-कर की बकाया धनराशि के बारे में भी काफ़ी आलोचना की गयी है । मार्च 1967 के अन्त तक 547 करोड़ रुपये का आय-कर बकाया था जो जनवरी 1968 के अन्त तक घट कर 380 करोड़ रुपये रह गया । इनमें से 100 करोड़ रुपये की धनराशि किन्हीं कारणों से वसूल नहीं हो सकी । कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन में सम्बन्धित व्यक्ति दीवालिया हो गये हैं । कुछ धनराशि के बारे में विवाद है । कुछ मामलों में अपीलें की गयी हैं जो विचाराधीन हैं । इस प्रकार 380 करोड़ रुपये की धनराशि में से 27 3 करोड़ रुपये वसूल करने के बारे में कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और मुझे विश्वास है कि इन की वसूली बहुत जल्दी हो जायेगी । विरोधी पक्ष को हमारे स्पष्टीकरण को भी सुनना चाहिये जो हम प्रति वर्ष देते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भी काफ़ी आलोचना की गयी है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने आशा के अनुरूप लाभ नहीं अर्जित किया और इन उपक्रमों के प्रबन्ध में सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश है । सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के कार्य के सम्बन्ध में जांच की जा रही है और निष्कर्षों का पता लगते ही उन्हें सभा के समक्ष रख दिया जायेगा ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में विवाद खड़ा करना देश के हित में नहीं है ।

बोकारो का प्रश्न भी उठाया गया है । बोकारो योजना तीन वर्ष पहले स्वीकार की गई थी और अब इसे गत वर्ष से क्रियान्वित किया जा रहा है। गत वर्ष इस पर 65 करोड़ रु० व्यय किया गया था । अब हमें यह देखना है कि यह पैसा बेकार ही न जाये और इसका काम यथाशीघ्र पूरा हो । हम यह नहीं कह सकते हैं कि बोकारो पर आज कुछ भी व्यय नहीं होगा । मैं अपने माननीय मित्रों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन की योजनाओं का आरम्भ किया जाना अलाभ-प्रद था ।

यह ठीक है कि हमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी । किन्तु उद्योगों के विकास के बिना कृषि का विकास होना कठिन है । यदि हम अपने देश में उर्वरक बनाना चाहते हैं, यदि बिजली का प्रसार बहुत तेज़ी से करना है तो हमें इन सब चीज़ों का निर्माण करना होगा । इसके लिये हमें देश में ही अपेक्षित धातुओं का उत्पादन करना होगा । विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम है ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : क्या माननीय वित्त मंत्री को पता है कि वर्तमान इस्पात संयंत्रों की 50 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है ?

श्री मोरारजी देसाई : केवल दो या तीन वर्षों से ही इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति है । किन्तु सामान्य रूप से उद्योगों में 50 प्रतिशत क्षमता बेकार नहीं है । क्या मेरे माननीय मित्र को पता है कि हमें आज भी कुछ मात्रा में इस्पात आयात करना पड़ता है ?

श्री जी० मा० कृपालानी : हम निर्यात भी कर रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई: हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं । यदि हम आत्मनिर्भर हो जायें तब भी हमें निर्यात और आयात करना होगा । प्रत्येक वस्तु में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं और न ही ऐसा होना वांछनीय है ।

श्री पीलू मोडी (गोधरा): जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात सन्यन्त्र केवल आधी क्षमता पर चल रहे हैं, फिर उसी वर्ष में एक इस्पात सन्यन्त्र पर 109 करोड़ रु० व्यय करना कहां तक उचित थे ?

श्री मोरारजी देसाई : विनियोजन के 4 या 5 वर्ष पश्चात् अतिरिक्त इस्पात उपलब्ध होगा । चूंकि यह एक विकासशील अर्थ व्यवस्था है, इसलिये खपत बढ़ती जायेगी ।

यह भी कहा गया है कि हम निजी क्षेत्र को अधिक सुविधांएं दे रहे हैं । यदि हमने अपनी अर्थ व्यवस्था को सुधारना है, मन्दी को दूर करना है और उत्पादन को बढ़ाना है तो इन रियायतों का देना अत्यावश्यक है ।

यह भी कहा जाता है कि केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं या यह कि हमें जिस तरीके से राज्य की सहायता करनी चाहिये नहीं कर रहे हैं । हमने एक वित्त आयोग नियुक्त किया है, और मुझे आशा है कि वह आयोग सभी तथ्य हम रे सामने रखेगा जिससे यह सारा विवाद समाप्त हो जायेगा । केन्द्र क्या है ? केन्द्र का अर्थ है सारा भारतवर्ष और सारे राज्य का अर्थ है सारा भारतवर्ष; हम तो इसी आदर्श में विश्वास करते रहे हैं । यदि कोई यह आरोप लगाता है कि कांग्रेसी राज्यों को अधिक लाभ पहुंच रहा है तो मैं चाहता हूं कि इसका हमें एक भी उदाहरण दिया जाये, हम उसके लिये बड़े से बड़ा दण्ड स्वीकार करने को तैयार हैं । कुछ राज्य बैंक में अपनी जमा राशि से अधिक निकालते हैं जिससे उनका अपना अहित होता है । अन्य किसी कारण की अपेक्षा इससे अर्थ व्यवस्था को अधिक हानि पहुंचती है । राज्यों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता देने की बात कही गई है । राज्य स्वायत्तशासी हैं और उनके कर्मचारी केवल उनका ही काम करते हैं; अतः उन्हें भुगतान करना राज्यों का ही दायित्व है । यदि हम उन्हें भुगतान करेंगे तो यह एक अच्छा चिन्ह न होगा ।

अब मैं करों के मामले को लेता हूं । डाक तथा तार विभाग पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहा है । इसको पूरा करने के दो तरीके हैं । एक तो यह कि खर्च में कटौती की जाये और दूसरा यह कि दरों में उचित समायोजना करके घाटे को पूरा किया जाये । हमारी नीति इन उपक्रमों से लाभ अर्जित करने की नहीं है । हम तो केवल ये चाहते हैं कि ये उपक्रम अपने पैरों पर खड़े हों। मैं यह नहीं कहता कि डाक तथा तार विभाग उतनी कुशलता से चल रहा है जितनी कुशलता से चलना चाहिये । किन्तु यह किसका दोष है ? मजदूरों को काम न करने के लिये कौन उकसाती हैं ? आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र अपने चिकित्सीय व्यय में कमी करके मेरी सहायता करेंगे । दरों में वृद्धि केवल घाटे पूरा करने के लिये की गई है और इससे भी सारा घाटा पूरा नहीं होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Is the hon. Minister prepared to appoint a Parliamentary Committee to go into the whole jamut of things?

श्री मोरारजी देसाई : सरकार का कार्य कार्य पालिका से चला करता है, संसदीय समितियों से नहीं । अब प्रश्न यह है कि क्या डाक तथा तार की दरों में की गई वृद्धि निर्धन लोगा के अहित में है । आज भारत में 75 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस का रिकार्ड है ।

श्री मोरारजी देसाई : प्रौढ़ शिक्षा फैलाना केवल सरकार का काम नहीं है । क्या माननीय सदस्य किसानों की सहायता करने के लिये गये हैं क्या उन्होंने किसानों को कभी समझाया है कि नई मशीनों का प्रयोग करो ? खैर तथ्य यह है कि 75 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं । उनमें से कितने लोग पढ़ लिखेंगे ! बहुत कम और सामान्यतः अनपढ़ लोग ही निर्धन हुआ करते हैं । अतः इस वृद्धि का भार केवल धनी लोगों पर ही पड़ेगा और मुख्य रूप से व्यापारियों पर । डाक तथा तार की दरों में यह वृद्धि केवल आय बढ़ाने के उद्देश्य से ही नहीं अपितु कार्य कुशलता को ध्यान में रख कर भी की गई है । इसके बिना डाक सेवा का सभी लोगों तक विस्तार करना सम्भव न होगा ।

यह तर्क दिया जाता है कि मैंने चाकलेट और पेपरमेंट पर शुल्क लगाया है जिसे बच्चे खाते हैं । किसके बच्चे ? अमीर लोगों के बच्चे गरीबों के नहीं । छोटे दुकानदारों द्वारा बनाई गई मीठी चीजों पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

यह कहना सही नहीं है कि निजी क्षेत्र में उद्योगों को रखने का कोई फायदा नहीं है । यद्यपि उनका उद्देश्य मुनाफा अर्जित करना है फिर भी वे लोगों को रोजगार देते हैं। इससे सरकार को भी पैसा मिलता है । आज जो व्यक्ति 20 लाख कमाता है उसमें से लगभग 17 लाख रु० सरकार को प्राप्त होता है । रेफ्रीजिरेटरों पर लगाया गया कर इन्हीं लोगों पर पड़ता है गरीबों पर नहीं ।

सिग्रेट और सिगार पर पहले से ही भारी कर लगा हुआ है जबकि बीड़ी पर इतना नहीं है । अतः बीड़ी पीने वालों को प्रत्येक 100 बीड़ी पर 1 पैसा अधिक कर देना होगा ।

अनुदानों की मांगें

(लेखानुदान) 1968–69

Demands for Grants on Account 1968-69

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत बजट (सामान्य) के बारे में 1968–69 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय . .	7,78,000
2	विदेशी व्यापार . . .	13,89,33,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,38,04,000
4	रक्षा मंत्रालय . .	14,71,000
5	रक्षा सेवाएं—सक्रिय	1,52,50,67,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	रक्षा उत्पादन समेत स्थल सेना .	1,18,11,57,000
	नौ सेना .	6,36,93,000
	वायु सेना .	28,02,17,000
6	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय . . .	4,70,83,000
7	शिक्षा मंत्रालय . . .	16,27,000
8	शिक्षा . .	9,51,69,000
9	पुरातत्व . . .	22,89,000
10	भारतीय सर्वेक्षण	89,74,000
11	वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् को अनुदान .	3,18,42,000
12	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	59,14,000
13	वैदेशिक कार्य . .	2,98,86,000
14	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	3,34,22,000
15	वित्त मंत्रालय . . .	46,44,000
16	सीमा-शुल्क . . .	1,15,33,000
17	केन्द्रीय उत्पादन शल्क . .	2,69,65,000
18	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर . .	2,15,80,000
19	स्टाम्प	89,71,000
20	लेखा-परीक्षा .	3,75,83,000
21	मुद्रा और सिक्का ढलाई	2,53,96,000
22	टकसाल . .	65,91,000
23	कोलार की सोने की खानें .	90,94,000
24	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	1,65,75,000
25	अफीम . .	2,50,07,000
26	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	6,80,83,000
27	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	55,96,48,000
28	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	4,70,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशी
		रुपये
29	विभाजन पूर्व की अदायगियां	44,000
30	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	27,01,000
31	कृषि	1,72,79,000
32	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	2,42,87,000
33	वन	27,76,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य स्वाव्यय	4,15,95,000
35	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय	6,82,000
36	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	3,84,14,000
37	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,47,000
38	गृह मंत्रालय	24,81,000
39	मंत्रिमण्डल	11,17,000
40	न्याय प्रशासन	42,000
41	पुलिस	7,58,84,000
42	जनगणना	21,91,000
43	अंक-संकलन	58,97,000
44	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	44,000
45	क्षेत्रीय और राजनैतिक पेंशनें	3,13,000
46	दिल्ली	6,22,58,000
47	चण्डीगढ़	99,64,000
48	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,19,38,000
49	आदिम जाति क्षेत्र	4,11,30,000
50	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	9,39,000
51	लक्षदीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप समूह	17,98,000
52	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,79,08,000
53	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय	13,21,000
54	उद्योग	73,24,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
55	नमक	10,02,000
56	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	18,97,000
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	3,49,000
58	प्रसारण	1,69,16,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	1,01,02,000
60	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	5,92,000
61	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	37,61,000
62	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,43,09,000
63	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय . . .	13,62,000
64	खान सुरक्षा के महानिदेशक	8,87,000
65	श्रम और नियोजन . .	2,53,10,000
66	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	2,14,71,000
67	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का राजस्व व्यय	3,03,000
68	विधि मंत्रालय	11,47,000
69	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	27,22,000
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . .	4,80,000
71	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	14,21,000
72	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय .	6,63,000
73	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,83,48,000
74	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	2,91,97,000
75	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय . .	3,25,000
76	ऋतु विज्ञान	62,50,000
77	उड्डयन	2,02,17,000
78	परिवहन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	36,55,000
79	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय . .	22,46,000
80	सड़कें	2,55,68,000
81	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	39,73,000
82	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	23,23,000

855(ai)LS—8.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
83	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	64,84,000
84	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय . .	18,61,000
85	लोक निर्माण कार्य	6,56,64,000
86	लेखन सामग्री और छपाई . . .	2,24,43,000
87	पूर्ति और निपटान	69,75,000
88	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	31,87,000
89	परमाणु शक्ति विभाग	5,04,000
90	परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	2,80,51,000
91	संचार विभाग .	2,33,000
92	समुद्रपारीय संचार सेवा . .	45,90,000
93	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय) . . .	34.31,31,000
94	डाक और तार विभाग—सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की वापसी . . .	4,72,03,000
95	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	5,75,000
96	संसद् विषयक विभाग	1,10,000
97	समाज कल्याण विभाग . . .	3,10,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय . .	66,97,000
99	योजना आयोग	26,50,000
100	लोक सभा	26,63,000
101	राज्य-सभा	9,80,000
102	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	49,000
103	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	11,49,000
104	रक्षा मंत्रालय संबंधी पूंजी परिव्यय . .	21,75,83,000
105	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	11,05,000
106	इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस पर पूंजी परिव्यय .	7,87,000
107	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय . .	3,26,59,000
108	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	13,14,000
109	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय . .	19,04,000
110	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	80,08,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
112	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	8,62,64,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम .	86,53,57,000
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद . . .	1,44,70,64,000
115	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,49,19,000
116	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,63,43,000
117	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	3,94,59,000
118	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	12,53,000
119	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,72,32,000
120	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,33,79,000
121	बहु प्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	2,97,29,000
122	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	2,62,69,000
123	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	1,05,46,000
124	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	3,02,85,000
125	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	23,37,76,000
126	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	1,34,51,000
127	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	97,63,000
128	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	6,88,46,000
129	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	35,83,000
130	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	46,61,000
131	दिल्ली पूंजी परिव्यय	1,75,17,000
132	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	1,24,17,000
133	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,95,000
134	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	7,95,83,000
135	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) .	10,25,25,000
136	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	95,84,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

छपने में कुछ गलती हुई है। विधेयक के पृष्ठ 9 पर दो शून्य और 10 पर एक शून्य नहीं छपे हैं। अतः मैं निवदन करता हूं कि ये शुद्धियां कर ली जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(उप-प्रधान मंत्री द्वारा शोधित रूप में)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के कुछ भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित तिधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1,

The motion was adopted

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Under the rules the hon. Deputy Prime Minister cannot make amend the amount in the Bill

श्री मोरारजी देसाई : यह जो 19 करोड़ 8 लाख की कुल राशि है वह 19 अरब 8 करोड़ होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल राशि सही है ?

श्री मोरारजी देसाई : जी हां।

Shri Kanwar Lal Gupta: When the total of one head is wrong, the grand total might also be wrong.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Shri Morarji Desai: It is only a printing error.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : कुछ समय पहले वित्त मंत्री, अनुदानों की कुछ मांगें पढ़ने में जो मुझे कठिनाई हो रही थी, उसके बारे में कह रहे थे। परन्तु अब प्रत्यक्ष हो गया है कि वह भी गलती कर सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात से सहमत हूं कि मुद्रकों ने जल्दी की है परन्तु अन्तर केवल इतना ही है कि मैंने गलती पकड़ ली है जब कि उन्होंने नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तेइसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के

तेइसवें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेइसवें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

अनुच्छेद 16 का संशोधन और अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 16 and Substitution of Article 335)

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Ram Sewak Yadav: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Aemendment of Articles 75 and 164)

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आग संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968

धारा तीन का संशोधन

COMMISSIONS OF ENQUIRY (AMENDMENT) BILL 1968 AMENDMENT OF SEC. 3

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri O. P. Tyagi: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक---जारी

अनुच्छेद 156 **का प्रतिस्थापन और नये अनुच्छेद** 159-क **का रखा जाना**

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

Substitution of Article 156 and- insertion of New Article 159A

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री प्र० के० देव द्वारा 1 मार्च, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : पिछली बार मैं प्रान्तीय संविधान समिति की सिफारिशों का उल्लेख कर रहा था जिसके सभापति सरदार पटेल थे । उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को भी दुर्व्यवहार करने के कारण पद से हटाया जा सकता है । इस सिफारिश के आधार पर संविधान बनाने वाले लोगों ने संविधान के मसौदे में राज्यपाल को भी 'संविधान का उल्लंघन' करने पर राष्ट्रपति की तरह हटाये जाने के लिये एक उपबन्ध रखा था । इसके लिये यह तर्क दिया गया था कि यदि राज्यपाल भी अपने मंत्रियों की मंत्रणा पर कार्य करने वाला एक संवैधानिक प्रमुख है तो उसे राष्ट्रपति की दया पर नहीं छोड़ देना चाहिये क्योंकि ऐसे राज्यपाल को कोई स्वतंत्रता नहीं होगी और उस के द्वारा कोई शरारत नहीं कर सकता है । परन्तु इस उपबन्ध को स्वीकार नहीं किया गया । इसका कारण यह था कि डा० अम्बेडकर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिन कारणों से राज्यपाल को हटाया जा सकता है उन्हें संविधान में रखना अनावश्यक है ।

संसार के लोकतंत्रात्मक देशों में, विशेषकर उन देशों में जहां पर संघीय ढांचा है, संविधान का अध्ययन बड़ा रोचक रहा है । अमरीका का संविधान पढ़ने से पता चलता है कि अमरीका में राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है । अतः मेरा निवेदन यह है कि भारत भी एक संघीय राज्य ही है इसलिये हमें भी वैसी ही व्यवस्था यहां करनी चाहिये । इस समय राज्यपाल की जो स्थिति है वह तो अंग्रेजों के समय की एक विरासत ही है ।

आगे मेरा निवेदन यह है कि मेरे विधेयक में सरकार को हटाने के लिये जिन उपबन्धों की कल्पना की गई है उन के अनुसार स्थानीय विधान मंडल में दो-तिहाई बहुमत और राज्य सभा में भी दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है । मेरे विचार से इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्यपाल की निन्दा करना सम्भव नहीं है परन्तु फिर भी इन उपबन्धों को रखना इसलिये आवश्यक समझा गया है ताकि राज्यपाल अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके । ऐसे उपबन्ध के न होने से वह विधान सभा और लोगों की इच्छा की अवहेलना करने लग जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं यह सुझाव देता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे और उसे स्वीकार करे ।

श्री हो० मा० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र श्री प्र०के० देव ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से संविधान में राज्यपाल की स्थिति पर गम्भीरता से विचार करने का यह उपयुक्त समय है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी उस से यह स्पष्ट हो गया था कि केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्यपाल के पद का होना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य विशेष में केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। परन्तु हाल ही में जो घटनायें हुई हैं उस से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल के पद का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है। इस से हमें पता चला है कि राज्यपाल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हाथ का खिलौना होता है। यह जानकर हमें बहुत दु:ख हुआ है कि राज्यपाल ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि वह केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि हमें इस पद को बनाये रखना है तो हमें उन के लिये ठीक नियम बनाने होंगे।

हम ने बार बार यह देखा है कि विभिन्न राज्यों में राज्यपालों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और बिहार के राज्यपालों के पदों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया है उस का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु चूंकि जनता इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकती कि इस पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये इसलिये हमें उसे सबक सिखाने के लिये कुछ मार्गोपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे। अत: मेरा यह विचार है कि यदि राज्यपाल के पद को समाप्त करना सम्भव नहीं है तो संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि ऐसे राज्यपाल पर, जो कर्त्तव्य का पालन न करे, संविधान का पालन न करे, या संविधान की उपेक्षा करे, अभियोग चलाया जा सकता है।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I am sorry I cannot support the Bill moved by Shri P. N. Deo. I cannot support the argument that because there is a provision in the Constitution that the President can be impeached and so there should be such provision in the case of Governor also. The reason is that the Governor is a nominated person while the President is an elected Head of the State. My learned friend has also signed the Constitution of U.S.A., Canada etc. But I feel that it is no good citing their example because the Governor is not nominated there and is elected.

From the Bill it appears as if the President is not believable. We should feel that the President is not an ordinary man. He is elected by both the Houses of Parliament, Assemblies etc. Moreover there are set rules to appoint the Governor. He cannot pick and choose anyone and appoint him as Governor. Apart from it there is an established convention that whatever party be in power in States, the State Governments are always consulted.

In case this Bill is passed, I think the difficulties of States will multiply instead of coming down. It will help solve no problem. It may also add constitutional difficulties. Hence I am of the opinion that this Bill should be withdrawn.

श्री कंडप्पन (मैसूर): मेरे माननीय मित्र ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह सर्वथा उपयुक्त है। जहां जहां हमारे जैसी संघी लोकतन्त्रीय व्यवस्था है वहां केन्द्र और राज्यों को बराबर के स्तर पर कार्य करना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कांग्रेस के 20 वर्षों के लम्बे शासन में केन्द्र तथा राज्यों में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि राज्यों को केन्द्र की इच्छा के अनुसार चलना पड़ा।

1967 के निर्वाचन के बाद बहुत सी गैर-कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आ गई हैं। इसलिये मेरा यह मत है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पद को बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैर-कांग्रेसी सरकारों को राज्यपालों की वजह से बड़ी कठिनाई हो रही है।

यह बड़े दुःख की बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित व्यक्ति के गुणदोषों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता है। उसकी नियुक्ति राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं की जानी चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है कि हारे हुए कांग्रेसियों को राज्यपाल बना दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि कई राज्यपालों को तो अपने राज्य की समस्याओं का ज्ञान भी नहीं होता है। यह भी अनुभव किया गया है कि कई राज्यपाल कभी कभी जानबूझ कर कई ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिस से राज्य सरकारों को कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि राज्यपाल पर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा एक और सुझाव यह है कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री की स्वीकृति ली जाये। यह बात कही गई है कि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की सलाह लेती है परन्तु देखा गया है कि प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं किया जाता है। मुख्य मंत्रियों की बात को हमेशा नहीं मान लिया जाता है और उसकी अवहेलना की जाती है।

Shri Bhola Nath (Alwar): I feel that most of the speakers who have spoken on the subject just before me have not tried to understand the history of India. Our history reveals that whenever Centre became weak, the integrity of the country was doomed by the provincial heads. I feel that some vested interests are demanding that there should be provision to impeach the Governors, so that the relations between the Centre and States may wither and they may be separated from the Centre. This is a serious matter and needs consideration. The Governor should be vested with all powers and he should be responsible to the President.

Shri Hardayal Deogun (Delhi East): I support this Bill in principle though I feel that some improvements should be there. The working of our Constitution has created certain complications which have got to be resolved. When this Constitution was framed then it was not thought that a time may come when the Government in a State would be of a different party from that of the Government at the Centre. At that time it was supposed that the Governor's office would maintain the necessary link between the Centre and States and thereby preserve the unity and integrity of the country. But at the same time we cannot forget that he was envisaged a constitutional head and an impartial person.

This Bill would not have been introduced had Congress Government at the Centre maintained the sanctity of the office of the Governor and had they not misused it to meet their party end. But it has become quite evident from the events that have taken place recently that the Governor's office has been misused and therefore it has become very necessary to reconsider the matter.

Our judiciary has been made independent of the executive and it has lived upto its reputation. Even then there is provision in the Constitution to

[Shri Hardayal Deogun]

remove them in case of misbehaviour etc. A similar provision can also be made about the Governor.

A provision has been made that the Governor can be impeached by about 30 members of the Legislature. Since the sizes of our Legislatures are different in different States it would be better if a provision is made that one-tenth of the members of the Legislature can bring such a change.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा निवेदन यह है कि मैं इस सभा का कई वर्षों से सदस्य हूं और यहां पर मैंने अनेक विधेयक देखे हैं । परन्तु मैंने ऐसा निरर्थक विधेयक कभी नहीं देखा है। इस विधेयक में बहुत सी अनियमिततायें हैं। कानून जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इस विधेयक को लागू नहीं किया जा सकता । मैं बहुत प्रसन्न होता यदि माननीय सदस्य यह कहते कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिये। परन्तु वह यह नहीं चाहते हैं । वह यह चाहते हैं कि उस पर अभियोग चलाया जाना चाहिये । हमारा देश इस समय अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा है । बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां केवल राज्यपाल ही कुछ स्थिरता बनाये हुए हैं । इसलिये यदि प्रस्तावक यह विधेयक लाते कि राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिये तो हम उसका समर्थन कर सकते थे । बहुत से मामलों में हम ने देखा है कि राज्यपाल का निर्वाचन उचित ही हुआ है। केरल के राज्यपाल श्री विश्वनाथन भारतीय सिविल सेवा के व्यक्ति थे । श्री पावते, पंजाब के राज्यपाल हैं । वह कांग्रेस दल के सदस्य नहीं हैं । वह विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे । अतः राज्यपालों की नियुक्ति उचित ही हुई है ।

विधेयक में राज्यपालों पर अभियोग चलाने का उपबन्ध है। इस में यह कहा गया है कि विधान मण्डल में 30 सदस्य यह लिख कर भेज सकते हैं कि राज्यपाल पर अभियोग चलाया जाना चाहिये। तब उस प्रस्ताव को विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता है । उसके बाद उसे विधान परिषद के पास भेजा जाना चाहिये जहां पर विधान परिषद के सभापति द्वारा नियुक्त की गई समिति इस बात की पुष्टि करेगी कि इस सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः कोई मामला बनता है या नहीं । इन सब बातों को पूरा करने के बाद विधान परिषद् राज्यपाल पर अभियोग चला सकेगी । इस प्रकार उस पर तीन या चार अभियोग चलाये जायेंगे जो एक असम्भव सी बात प्रतीत होती है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय इसे वापिस ले लें क्योंकि यह अनुपयुक्त विधेयक है ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : हमें यह समझ कर कार्य नहीं करना चाहिए कि सरकार जो कुछ भी करती है वह गलत करती है और हमें उसका विरोध करना चाहिए। यह ठीक है कि कभी कभी सरकार अनुचित कार्य भी कर देती है । अभी पिछले वर्ष आम चुनावों के बाद ही राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द ने प्रजातंत्र के विरुद्ध कार्य किया। किन्तु हमें संवैधानिक तरीके नहीं छोड़ने चाहिए । राजस्थान में आज भी यदि आम चुनाव कराये जायें तो कांग्रेस की पराजय निश्चित है ।

भारत में राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति नहीं होते हैं । उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । राज्यपाल राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्ध बनाये रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है । राज्यपाल का कार्य राज्य का कार्य देखना है । यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल

से किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वह राष्ट्रपति या केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से उसकी शिकायत कर सकता है । हमारे सामने राजस्थान और पश्चिम बंगाल की घटनाओं के उदाहरण हैं । हमने इन घटनाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अलग-अलग दो अविशवास प्रस्ताव रखे । राज्यपालों के विरुद्ध शिकायत करने का यह संवैधानिक तरीका है । हम इस प्रकार अपना असंतोष प्रकट कर सकते हैं । यहां पर अमरीका के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां पर गवर्नर निर्वाचत व्यक्ति होता है जब कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

अनेक सदस्यों ने यह विचार भी प्रकट किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य मंत्री कि इच्छानुसार की जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि यह मांग उचित नहीं है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में सरकारें बदली हैं । क्या जितनी बार सरकार बदलती है उतनी ही बार राज्यपाल भी बदलने चाहिए ? इस प्रकार तो शासन चलना ही कठिन हो जायेगा। यह प्रश्न संविधान बनाते समय भी उठा था किन्तु संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्य मंत्रियों की राय से की जाये । श्री के० एम० मुंशी ने संविधान प्रारूप समिति की बैठक में कहा था कि "राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी होता है और केन्द्र और राज्य को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करता है"। इस प्रकार वह भारत संवैधानिक एकता कायम करने में. सहायक होता है । हमें प्रत्येक कार्य समुचित और संवैधानिक तरीके से करना चाहिए ।

हमारा दल इस विधेयक के पक्ष में नहीं है । इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए । इस विधेयक के पारित हो जाने से लोकतंत्र की कड़ियां टूट जायेंगी । यह ठीक है कि कुछ मामलों में निर्णय विवादास्पद हो सकते हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल का पद ही अनुपयुक्त है । इन सब बातों को देखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Rabi Ray (Puri): Sir, the office of Governor is a legacy of British Rule in India and even after the independence we are following the same. The Constitution was not prepared by the elected Members. Had it been prepared by the elected Members, the office of Governor would not have been there. Governors are white elephants. Governors are the puppets of the Central Government and they are not serving any purpose. I think that in a democratic structure of a country there is no necessity for this institution of Governor to continue any longer.

It is something very strange that while our Constitution provides for the impeachment of the President, there is no such provision for the impeachment of the Governor.

The office of the Governor should be abolished. But if the Government are not agreeable to that, they should seriously consider the proposal amending the Constitution in order to make a provision in the Constitution for the impeachment of Governor. A Parliamentary Committee should be appointed to examine this proposal.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के बावजूद भी राज्य-

[श्री क० नारायण राव]

पाल विधान सभा को भंग कर सकता है । हाल की घटनाओं से यही बातें सामने आई हैं । अतः हमें कानून के शब्दों पर नहीं अपितु संविधान की भावना पर अधिक आस्था रखनी चाहिए । देश की सभी राजनीतिक शक्तियों को संविधान के अनुसार अनुशासन में रहना चाहिए जिससे प्रजातंत्रीय शासन सुचारू रूप से चल सके ।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : यद्यपि इस विधेयक के उपबन्धों से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि राज्यपालों को निर्वाचित सदस्यों से अधिक ऊंचा अधिकारी नहीं समझा जाना चाहिए । यह राज्यपाल का पद हमें ब्रिटिश शासन से परम्परा के रूप में मिला है । वर्ष 1935 में इस की व्यवस्था की गई थी । यह हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के बाद केरल में राज्यपाल का शासन कई बार तथा काफी समय तक चलता रहा । यह सब जानते हैं कि राज्यपाल किस प्रकार कार्य करते हैं । यह दुख की बात है कि राज्यपाल के किसी भी कार्य पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठा सकता है । मैं समझता हूं कि कम से कम संसद् को रायपाल पर अभियोग चलाने का अधिकार होना चाएिये ।

राज्यपाल सदा गृह मंत्रालय की इच्छानुसार कार्य करता है । राज्यपाल के पद से देश को या लोकतंत्रीय प्रणाली को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है । राज्यपालों की कार्यवाही पर आपत्ति उठाने औैर उनको पद से हटाने के बारे में कोई व्यवस्था की जानी चाहिये । हमें कम से कम राज्यपाल पर अभियोग चलाने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार होना चाहिए । लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए राज्यपाल का पद समाप्त किया जाना चाहिए ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Constitution is the soul of the Parliamentary Democracy. The Constitution-makers were the people with a far-sighted vision. They have framed the different provisions very carefully. It is not proper for us to change the Constitution frequently for such petty things.

Instead of criticising we should all make efforts to strengthen the Centre. A strong Centre is essential to safeguard the territorial integrity of the country. Our country has in the past suffered defeat at the hands of our enemies because of a weak Central Government.

Actions of the Governors of Rajasthan and West Bengal have been critised. The fact is this that both the Governors have tried to save the democracy in these States.

This Bill will not serve any useful purpose, I, therefore, oppose the Bill.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : यह अद्भुत बात है कि स्वतंत्र दल का एक वरिष्ठ सदस्य इस विधेयक को लाया है और दूसरा सदस्य उसका विरोध कर रहा है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक का लाया जाना न्यायसंगत और आवश्यक था । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

आज स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जा सकता है, एक निर्वाचित सदस्य पर अभियोग चलाया जा सकता है किन्तु राष्ट्रपति द्वारा नामज़द व्यक्ति पर

अभियोग नहीं चलाया जा सकता है यद्यपि उसे राज्य विधान सभा में निर्वाचित सरकार को भंग करने का अधिकार है। लोकतंत्र का संतुलित विकास करने के लिये इस प्रकार की भ्रान्ति को दूर करना होगा।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् की सहायता तथा परामर्श से कार्य करते हैं। इस प्रकार राज्यपाल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का एजेंट होता है। हमारी विधान सभा का गठन निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है इसलिये यह उचित प्रतीत नहीं होता है कि इस निर्वाचित संस्था का ढांचा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के एजन्ट द्वारा बिगाड़ा जाये।

राज्यपाल का पद ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परम्परा का प्रतिरूप है। आज जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे लिये इस परम्परा का पालन करना उचित नहीं है। राज्यपाल के पद का कोई विशष लाभ तो नहीं है किन्तु उस पर व्यय बहुत अधिक होता है; हम लोकतंत्रीय ढांचे को बनाये रखने के नाम पर राज्यपालों पर करोड़ों रुपये व्यय करते हैं। वास्तव में राज्यपाल कुछ कार्य नहीं करते हैं। यह कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है कि विधान सभा में किस दल का बहुमत है। अतः मैं समझता हूं कि राज्यपाल के पद की कोई आवश्यकता नहीं है और यह पद समाप्त किया जाना चाहिये। यदि समाप्त न भी किया जाये तो कम से कम जहां तक हो सके उनकी नियुक्ति के समय विवेक से काम लिया जाये। राज्यपाल की नियुक्ति सभी संबंधित दलों के परामर्श से की जानी चाहिये। राज्यपालों पर अभियोग चलाने के लिये संविधान में उपबन्ध किया जाना चाहिये। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : चर्चा के दौरान यह बात प्रकाश में आई है कि इस विधेयक के समर्थकों के विचारों में भी मतभेद है। प्रस्तावक ने कहा है कि विधेयक में वही व्यवस्था की जा रही है जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये संविधान के प्रारूप में थी। यदि माननीय सदस्य का यही तर्क है तो मैं कहूंगा कि जिस बात को हमारे अंग्रेजों ने विचार करने के बाद स्वीकार नहीं किया था उसी उपबन्ध को, संविधान में संशोधन करके, पेश करने में कौन सी बुद्धिमत्ता है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

कुछ माननीय सदस्य राज्यपाल के पद को समाप्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह ब्रिटिश शासन की परम्परा है। यदि हम यही समझने लगें तो संविधान शब्द भी हमें एक परम्परा के रूप में ही मिला है। अतः मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है।

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद में भी निर्वाचित अप्राधिकारी के बारे में विचार व्यक्त किये गये थे। हमारे अंग्रेजों ने यह कहा था कि एक ही संस्था में दो निर्वाचित अधिकारी नहीं होने चाहिए। उनका तर्क था कि यदि कोई विवाद खड़ा हो जाये तो किसकी बात मानी जायेगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करना बिल्कुल गलत है। उनकी संवैधानिक शक्तियां और उत्तरदायित्व सर्वथा भिन्न होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव

[श्री चव्हाण]

न केवल संसद् सदस्यों द्वारा किया जाता है अपितु विधान सभा के सदस्य भी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

'महाभियोग' शब्द में कुछ आकर्षण दिखायी देता है। महाभियोग किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने का तरीका है। उसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब कोई और तरीका रह ही नहीं जाता है। महाभियोग का तरीका केवल राष्ट्रपति के लिये ही हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिये और कोई तरीका संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति किसी की इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं। किन्तु राज्यपाल राष्ट्रपति के निदेशानुसार कार्य करते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा मंत्रिपरिषद् के अनुसार होती है और मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः यह लोकतंत्र का एक संतुलित तरीका है। ऐसी स्थिति में महाभियोग की व्यवस्था करने से कोई लाभ नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि जहाँ कहीं भी सरकारों को अपदस्थ किया जाता है, उसके लिये राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि वे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि अपदस्थ हुई सरकारों में से आधी से अधिक कांग्रेसी सरकारें हैं। ये सरकारें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपदस्थ हुई हैं। इसके लिये आप राज्यपालों को क्यों उत्तरदायी मानते हैं। किसी सरकार का अपदस्थ होना या बने रहना किसी विधान सभा में किसी दल विशेष के बहुमत पर निर्भर करता है।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : यह ठीक है संविधान के निर्माता इस स्थिति को जानते थे। उनके विचार में राज्यपाल केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि निर्पेक्ष व्यक्ति होना चाहिये था। किन्तु अब अधिकांश राज्यपाल एक विशेष दल से नियुक्त किये जाते हैं। अतः लोगों की धारणा है कि वे पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इससे सहमत नहीं हूं। आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है। मैं समझता हूं कि किसी भूतपूर्व अध्यक्ष को राज्यपाल बनाना कोई अनुचित बात नहीं है। राज्यपाल को किसी दल से लिये जाने से ही उसकी निष्ठा पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

अन्त में यह कहूंगा कि राज्यपाल प्रशासन के संवैधानिक कार्य संचालन में स्थिरता लाने के लिये होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में ठीक ढंग से कार्य हो रहा है और इसलिये इस विधेयक में जिस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

श्री प्र० के० देव : अध्यक्ष महोदय, गत नवम्बर में स्वतंत्र पार्टी ने अपनी परिषद् की सामान्य बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से गठित सरकारों को अपदस्थ करते हैं। इसीलिये मैंने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया था।

स्वतंत्र पार्टी में प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अतः जिन सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध भी किया है, मैं उनका आभारी हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य राज्यपालों के महत्व को बढ़ाना है। वर्ष 1967 के आम चुनावों तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था किन्तु 1967 के बाद राजनीतिक स्थिति में एकदम परिवर्तन आया। विभिन्न मंत्रिमंडल बने और छोटे छोटे दलों ने सरकार चलाने का उत्तरदायित्व संभाला और कांग्रेस दल ने बिना उत्तरदायित्व के शक्ति का प्रयोग किया और इस प्रकार देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। कुछ लोगों का मत है कि इस समूचे ढांचे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस विधेयक को पारित कराना सरल कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिये दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इस विधेयक पर चर्चा बड़ी रोचक रही है। अतः मैं इस विधयक को वापिस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Bill was by leave of the House withdrawn

भारतीम दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 292, 293 आदि का संशोधन)

INDIAN PANEL CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 292, 293 etc.)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने तथा आनुसांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर पर बोलेंगे।

पंजाब में संवैधानिक संकट पर गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSION ON STATEMENT OF HOME MINISTER RE : CONSTITUTIONAL CRISIS IN PUNJAB

अध्यक्ष महोदय : यह एक घंटे की चर्चा है। इस विषय पर हरियाना, पंजाब तथा अन्य राज्यों के अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिये प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिये अधिक समय नहीं दिया जा सकेगा। चर्चा आरम्भ करने वाले माननीय सदस्य दस मिनट ले सकते हैं तथा अन्य सदस्य संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री पे० बेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : इस विषय पर चर्चा के लिये अनुमति देने के लिये मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। इससे हमें अध्यक्ष के अधिकारों तथा कृत्यों पर विचार करने का अवसर मिला है।

[श्री पे० वेंकटा सुब्बया]

श्री एम० एन० कौल तथा श्री एस० एल० शकधर ने हाल में प्रकाशित हुई अपनी पुस्तक में लिखा है कि अध्यक्ष का अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार होता है। उनका यह अधिकार उनकी पूर्ण निष्पक्षता पर निर्भर करता है। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है और उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग एक निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में करना चाहिये।

जब आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो आपने कहा था कि आपका पद आप से अपने काम में निष्पक्ष और न्यायिक होने की अपेक्षा करता है। आपने आश्वासन दिया था कि आप अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा बनाई गई उच्च परम्पराओं तथा इस पद की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करेंगे। इसी के अनुसरण में आपने कांग्रेस दल से, जिस से आपका 34 वर्षों का सम्बन्ध रहा था, त्यागपत्र की घोषणा की थी।

इस मामले में हमें देखना है कि क्या पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष ने इन अपेक्षाओं का पालन किया है। विभिन्न दलों के संयुक्त मोर्चे द्वारा पंजाब में मंत्रिमंडल बनाया गया था और श्री गुरनाम सिंह मुख्य मंत्री बने थे। उन के मंत्रिमण्डल को बाद में अपेक्षित बहु मत प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और 25 नवम्बर, 1967 को श्री लक्ष्मण सिंह गिल मुख्य मंत्री बने। उसी समय बंगाल में अध्यक्ष ने घोष मंत्रिमंडल को अवध करार दिया। लेकिन पंजाब में स्थिति वहां से भिन्न रही क्योंकि अध्यक्ष ने गिल मंत्रिमंडल को वैध तथा संवैधानिक घोषित किया।

घटना-चक्र तेजी से चला और सत्तारूढ़ दल ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दीं और सभा को उस दिन के लिये स्थगित कर दिया। जब अगले दिन वे आये तो विरोधी पक्ष के नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि प्रस्ताव नियम संगत नहीं है और उन्होंने कोई कारण बताये बिना सभा को स्थगित कर दिया। बाद में एक प्रैस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दंगे और अव्यवस्था के कारण उन्हें सभा स्थगित करनी पड़ी। वे पंजाब के प्रक्रिय नियमों के नियम संख्या 105 की शरण ले रहे थे जिस के अन्तर्गत अध्यक्ष सभा में गंभीर अव्यवस्था होने पर सभा को अथवा किसी बैठक को उन के द्वारा बताये जाने वाले समय के लिये स्थगित कर सकता है। उन्होंने ऐसा उस समय किया जब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धन विधेयक और बजट पर चर्चा हो रही थी। इस से स्पष्ट है कि संभवतः उन्होंने ऐसा न केवल कुछ राजनैतिक कारणों से अपितु व्यक्तिगत मनोमालिन्य के कारण भी किया

श्री वासुदेवन नायर (दीरमाडे) : माननीय सदस्य को पंजाब के अध्यक्ष पर आक्षेप नहीं करने चाहिए।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : मैं ने संभवतः शब्द का प्रयोग किया है। पहले दिन तो अध्यक्ष ने अविश्वास के प्रस्ताव की अनुमति दी परन्तु दूसरे दिन विरोधी पक्ष के नेता के व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार कर लिया। पंजाब के दो नेताओं, सन्त फतह सिंह और श्री गुरनाम सिंह के वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है, जिस में उन्होंने राष्ट्रपति के शासन की मांग की थी। इस कठिन स्थिति से निपटने के लिये गृह मंत्री तथा विधि मंत्री को कोई तरीका निकालना था इसलिये प्रश्न यह है कि अध्यक्ष की शक्तियां संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सभा की कार्यवाही चलाने के अनुकूल हैं और क्या वर्तमान संवैधानिक उपबन्ध पर्याप्त हैं?

चूंकि हम इस देश में ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र का अनुसरण करते रहे हैं, हमें ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में हुई घटनाओं की ओर देखना होगा । हाउस आफ कामन्स में 2 मार्च, 1629 को ऐसी ही घटना हुई थी। जब विश्रामाकाश के बाद बैठक आरम्भ हुई, तो अध्यक्ष ने प्रार्थना आदि के तुरन्त पश्चात् सदस्यों को सूचित किया कि महाराजाधिराज ने 10 मार्च तक के लिये स्थगन का आदेश दिया है और इस संदेश के सुनाये जाने के बाद यदि कोई सदस्य बोलेगा, तो वे अध्यक्ष पीठ छोड़ कर चले जायेंगे। जब अध्यक्ष जाने लगे तो होल्स और वेलनटाइन ने दौड़कर उन्हें अध्यक्षपीठ पर बैठाये रखा। फिर इलियट ने सभा के स्थगन के उसके अधिकार पर जोर दिया। अन्त में सभा ने अपने स्थगन के पक्ष में मतदान किया।

हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा निश्चित हुई थी कि सभा को स्थगित करने का अध्यक्ष को स्वयं कोई अधिकार नहीं है । इसी प्रकार की प्रक्रिया यहां पर नियत करने का विचार था परन्तु हमारे संविधान के रचियताओं ने यह ठीक समझा कि सभा को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष को दी जा सकती है । लेकिन प्रथा यह है कि सामान्यतः सभा के नेताओं द्वारा सभा के स्थगित किये जाने का प्रस्ताव रखा जाता है और फिर सदस्यों द्वारा स्वीकार किये जाने पर सभा स्थगित होती है । सभा को अब इस प्रश्न पर विचार करना है कि जब बारबार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या अध्यक्ष को सभा को स्थगित करने का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं ।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये दिल्ली में बुलाये गये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इन सब पहलुओं पर विचार किया जायेगा । मेरा एक सुझाव यह है कि यदि सभा की कार्यवाही प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलानी है, जो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं होनी चाहये, तो हमें कुछ उपबन्ध करने होंगे जो न केवल इस सभा के सदस्यों पर अपितु अध्यक्ष पर भी लागू होने चाहियें । आपके पूर्वाधिकारी श्री अनन्तशयनम अय्यंगार ने भी कहा है कि सभा सर्वोच्च है न कि अध्यक्ष । आगामी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया जाये ताकि हमारे देश में लोकतंत्र का आधार सुदृढ़ हो तथा लोकतंत्र सुचारू रूप से काम कर सके।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य में उल्लिलखित घटनाओं से इस ओर के सदस्यों को बहुत चिन्ता है। यह कहा जा सकता है कि पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी किया है, उस के लिये पर्याप्त कारण थे, जिस प्रकार के पिछली सरकार को हटाया गया, प्रमुख विरोधी दलों ने जिस प्रकार नई सरकार बनाने के बाद उन्हें उत्तरदायित्व का अपना उचित स्थान नहीं लेने दिया गया और जिस प्रकार अध्यक्ष के विरूद्ध गलत समय पर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया ये सब उत्तेजना हो सकती है। लेकिन दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं हो जाती है ।

अन्य लोग और साधारण राजनीतिज्ञ कुछ भी करें, यदि अध्यक्ष राजनीतिक गुटबन्दी की कठपुतली बन जाता है तो हमारे नये लोकतंत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा । यह पहला अवसर नहीं है । बंगाल में भी अध्यक्ष ने जो व्यवहार किया, वह उस के उच्च पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं था यह ठीक ही हुआ है कि उन्हें

[श्री भी० रु० मसानी]

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा अपदस्थ किया गया । आशा है ऐसी तीसरी घटना नहीं होगी । बिहार के अध्यक्ष ने इस प्रकार की स्थिति में सराहनीय कार्य किया ।

मेरे पूर्ववक्ता ने संविधान में संशोधन की संभावना की बात की। मुझे पुरानी संविधान सभा का सदस्य होने के नाते याद है कि हम इस प्रकार की स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस के दो कारण थे। एक तो हमने उत्तराधिकार में ब्रिटिश परम्परा को अपनाया था, जो बहुत उत्तम और उत्कृष्ट हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह अपने दल से सम्बन्ध त्याग देना है और चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तथा कोई भी दल उसका विरोध नहीं करता है। दुर्भाग्य की बात है कि गत 20 वर्षों में हम अपने देश में ऐसी परम्पराओं का विकास नहीं कर सके।

दूसरे हमारे सामने सर्व श्री विट्ठल भाई पटेल, सर अब्दुर रहीम और श्री जी० वी० मावलंकर जैसे उच्च कोटि के पीठासीन अधिकारियों के उदाहरण सामने हैं। हमें यह महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आयेगा जब हमने लोकतंत्र की सामान्य अनुशासन हीनता में अध्यक्ष भी सम्मिलित हो जायेंगे और उन के लिये हमें पुलिस के समान शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा तो यही दृढ़ मत है कि वर्तमान अवस्था में संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हमें आशा करनी चाहिए कि अन्य तरीके कारगर होंगे ।

यदि किसी खेल में, चाहे वह मुक्केबाजी हो अथवा क्रिकेट हो, निर्णयक पक्षपात करने लगे, तो खेल चल नहीं सकता । इसी प्रकार यदि हमारी संसदीय प्रणाली में पीठासीन अधिकारी ऐसा व्यवहार करें, तो संसदीय प्रणाली के समाप्त होने का खतरा है। जहां तक मैं समझता हूं कि मि० मे की पुस्तक में अध्यक्षपीठ को सभा का एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंग बताया गया है । यदि आप इस अंग को, जिसे हम धुरे की कील कहते हैं, हटा दें, तो सारा ढांचा धराशायी हो जायेगा । जैसाकि श्री वेंकटासुब्बया ने कहा आप पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन बुला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में पीठासीन अधिकारियों में इस उच्च पद की मर्यादा और गरिमा की भावना उत्पन्न करना संभव होगा। यदि अध्यक्ष जिसे नियमों का विवेचन करना होता है—स्वयं ही नियमों का उल्लंघन करने लगे, तो नियम रह ही क्या जाते हैं, मैं आशा करता हूं कि पंजाब में कानूनी उपायों से भिन्न तरीकों से गुत्थी सुलझ जायगी और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय घटना की पुनरावृति नहीं होगी।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar): Mr. Speaker, Sir, if the responsible parties do not uphold the dignity of the office of Speaker and try to let him down with a political motive, he is bound to react to it. There is a serious controversy as to whether the law is to prevail over politics or it is to be dominated by political considerations. The ruling party has set no ideal conventions in this regard. I feel if the ruling party had behaved in a responsible manner irrespective of party considerations in accordance with the

laws of the land, the provisions of the constitution would have been acted upon with very much responsibility. The constitutional provisions have been interpreted by the ruling party under political influence suiting its own political conveniences.

I ask the hon. Minister how the position in Punjab is different from Haryana. In one State on grounds of political immorality assembly is dissolved and Governor's rule is imposed while in simlar circumstances in another State a minority Government is installed. Any party before making a hue and cry about the provisions of the constitution, it should act itself with responsibility.

The Speaker has to conduct the proceedings of the House with dignity and decorum. The Speaker of Punjab Assembly displayed great patience and deals with the tense situation in an efficient and psycological manner, which you have very often displayed here in this house. But the ruling party there was determined in its political game to oust the Speaker. The ruling party wanted police for conducting the proceedings of the House. It was the behaviour of the ruling party which forced the Speaker to take this step. There is imperative need for laying down a code of conduct for the politicians. When Shri Gurnam Singh and Dr. Baldev Prakash protested to the statement of the Governor for making efforts to bring about rapproachment among the Speaker, Janta Party and the Congress as it was not his business being the constitutional head, it was contradicted the next day. In fact there was politics behind all this.

The irresponsible political activities of the Congress Party there are not in the interests of Punjab and the constitutional proprieties or the integration of the entire country. Mr. Gill is being used there by the Congress to create a gulf between Sikhs and Non-Sikhs. The ordinance issued by the Governor is against the constitution. If we want to clean our constitutional procedure, we have to amend the constitution. If the situation is to be sacked as the political plane, let the assembly be dissolved and take the verdict of the people as to who commands their confidence and majority. Any other third course will harm the interests of the country.

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल वास्तविक जानकारी तक ही अपना भाषण समिति रखूंगा, जो मैंने विभिन्न समाचारपत्रों में दिये गये कार्यवाही के वृतान्त से इकट्ठी की है। अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य है कि सभा की कार्यवाही सही तथा निष्पक्ष ढंग से चलाये और सभा की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखे।

सभा में समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने अध्यक्ष द्वारा कहे जाने पर बाहर जाने से इन्कार किया। मार्शल को भजा गया परन्तु वह सदस्य बाहर नहीं गये। बाद में अध्यक्ष ने अपना आदेश वापस ले लिया। सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने जलदबाजी में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया क्योंकि वे सभा की मर्यादा को कायम रखने और सभा में अपने आदेशों का पालन करने में असफल रहे हैं। इसके लिये अध्यक्ष ने अनुमति दे दी, विरोधी

[श्री गु० सिं ढिल्लों]

पक्ष के दो सम्मानित सदस्यों ने, भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथाएक भूतपूर्व मंत्री ने अध्यक्ष से सभा को स्थगित करने के लिये कहा। अध्यक्ष ने उनकी सलाह मानकर सभा को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया। आश्चर्य की बात है कि अगले ही दिन पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने इसकी सराहना की है। यह एक अत्यन्त अजीब बात है कि सभा स्थगित करने के बाद अध्यक्ष ने एक प्रैस सम्मेलन बुलाया और कहा कि गिल मंत्रिमंडल को सभा में बहुमत प्राप्त नहीं है वह कॉंग्रेस के हाथ में कठपुतली है। उन्होंने कॉंग्रेस तथा जनता पार्टी के बारे में बहुत सी बातें कहीं, जो उनका काम नहीं है। अध्यक्ष ने सभा में कहा कि सभा उनकी सम्पति है और वे किसी को भी सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगें और यह भली भांति जानते हुए कि वे कठिन समस्या उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि इस महीने से पहले बजट पास होना है उन्होंने सभा को दो महीनों के लिये स्थगित कर दिया। उन्होंने लोगों को फसल बोने की ओर ध्यान देने की सलाह दी। प्रत्येक समाचारपत्र ने अध्यक्ष के आचरण की आलोचना की है और किसी ने भी समर्थन नहीं किया। यह इस सभा के सदस्यों और देश के सभी विधानमंडलों के सदस्यों के लिये एक बड़ा गंभीर मामला है जिस पर हम सब को मिलकर विचार करना चाहिए।

श्री कृष्णमूर्ति (कडुलर) : अध्यक्ष को सभा में लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है। यदि वे कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करें तो उसकी निन्दा की जानी चाहिए चाहे वह बंगाल हो अथवा पंजाब ।

जब 1462 में महाराज चार्ल्ज ने हाउस कामन्स के पाँच सदस्यों को गिरफ्तारी के लिये उन्हें सौंपने के लिये कहा तो, अध्यक्ष ने उत्तर दिया था कि वह तो सभा का सेवक है और उसके निदेशों का पालन करेगा। अध्यक्ष तो सभा का सेवक मात्र है। अध्यक्ष तथा साथ ही राज्यपाल की शक्तियों आदि को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर विचार करना चाहिए। यदि अध्यक्ष कोई गलती करता है, तो सभी नेता और विरोधी पक्ष के नेता को अध्यक्ष से मिल कर उसे समझाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष के प्रति इतना सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया।

आज मैंने समाचार पत्रों में देखा कि सभा का सत्रावसान कर दिया गया है और एक अध्यादेश जारी किया गया है। इससे स्थिति अधिक बिगड़ जायेगी। इसकी अपेक्षा विधान सभा की पुनः बैठक बुलाने के लिये अध्यक्ष को सहमत करना चाहिए। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा। मेरे विचार में यही एक हल है। गृह मंत्री को चाहिए कि राज्यपाल तथा अध्यक्ष की शक्तियों को परिभाषित किया जाये अन्यथा अन्य राज्यों में भी गड़बड़ी होगी. प्रत्येक विधान सभा का अध्यक्ष कानून को अपने हाथ में लेगा और तानाशाही चलेगी तथा लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा।

मैं श्री मसानी के इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं कि नैतिक दृष्टि से अध्यक्ष सभा को स्थगित नहीं कर सकता है परन्तु ऐसा करना निश्चित रूप से उसके अधिकार में है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : श्री वेंकटासुब्बया जैसे कॉंग्रेसी नेताओं से लोकतंत्र और मर्यादाओं आदि के बारे में उपदेश सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। वे इस मामले पर इकतरफा दृष्टिकोण रखते हैं। जब पंजाब के अध्यक्ष ने गिल मंत्रिमंडल को वैध घोषित किया, तो वे इसके लिये बहुत अच्छे अध्यक्ष थे। अब उन पर मर्यादा उल्लंघन किये जाने के आरोप लगाये जा रहे हैं। पंजाब के

भूतपूर्व खाद्य मंत्री, जिनकी सलाह मानने का अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है, ने गिल मंत्रिमंडल की वैधता के बारे में अध्यक्ष का कड़ा विरोध किया था परन्तु अध्यक्ष ने उनके मत को स्वीकार नहीं किया था ।

उचित यह है कि हम पंजाब में हुई घटनाओं का अध्ययन करें। सारी बातों का निचोड़ यह है कि केन्द्रीय सरकार हाल में पंजाब में हुई घटनाओं की जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकती है। गिल मंत्रिमंडल को किसका समर्थन प्राप्त है ? 18 व्यक्तियों ने दल बदला और व सभी मंत्री बन गये। सब जानते हैं कि कांग्रेस ने वहाँ पर किस प्रकार की सरकार को सत्तारूढ़ किया है। सभा का नेता, जिसे बहुमत प्राप्त हो, मर्यादा कायम रख सकता है परन्तु श्री गिल को केवल सतरह दलबदलुओं का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस श्री गिल को आगे करके एक खेल खेल रही है और मैं समझता हुं कि परिस्थितियों से बाध्य में होकर अध्यक्ष को यह निर्णय लेना पड़ा। पंजाब के राज्यपाल द्वारा हाल में जारी किया गया अध्यादेश इस बात का उदाहरण है कि राज्यपाल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के हाथ में एक खिलौना बन गया है।

विधि मंत्री ने घोषणा की कि राज्यपाल को कार्यवाही करनी चाहिये तथा उसके चौबीस घण्टे के अन्दर ही राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया। क्या हमें यह समझाया जा रहा है कि राज्यपाल ने स्वतंत्रता से कार्यवाही की तथा उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया ? राज्यपाल का अध्यादेश अध्यक्ष के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तथा इस देश के संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में यह घटना एक काला धब्बा बन कर रहेगी , अगर अध्यक्ष ने अनुचित कार्यवाही भी की, तो भी स्थिति को सुधारने के लिये, अन्य उपाय हो सकते थे। विधान सभा को कुछ समय के लिये निलम्बित करके सरकार संसद् के समक्ष आ सकती थी तथा बजट पारित करने के पश्चात् विधान सभा के सदस्यों के विचार ले सकती थी आया कि पंजाब में स्थायी सरकार बन सकती है अथवा नहीं। इस अध्यादेश से पंजाब में स्थिति नहीं सुधारी जा सकती बल्कि इसके लिए विधान सभा को भंग करके मध्यवर्ती चुनावों द्वारा पंजाब की जनता को नई सरकार बनाने का अवसर देना चाहिये। यह एक गम्भीर राजनयिक मामला है और आप इसे यूंही नहीं टाल सकते।

श्री रा० ढो० भण्डारे (केन्द्रीय बम्बई) : अध्यादेश की वैधता पर, समय की कमी की कारण कुछ न कह कर मैं श्री मसानी तथा श्री वेंकटासुब्बया के विचारों से सहमत होते हुए मैं पंजाब की विधान सभा के अध्यक्ष की कार्यवाही की चार बातों के आधार पर निन्दा करता हूं। पहले तो यह कि उन्होंने अपने अधिकारों का एक छत्रता तथा स्वच्छन्दता से प्रयोग किया तथा दूसरे वह परम्परानुसार निष्पक्ष भाव से कार्य न कर सके। तीसरे यह कि उन्होंने दलीय व्यक्ति बन कर कार्यवाही की तथा चौथे उन्होंने संविधान की भावनाओं का उल्लंघन किया।

परन्तु एक बात यह भी है यद्यपि अध्यक्ष को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये था। फिर भी विधान-सभा के अधिकारी होने के नाते उनका मामला लोक सभा में नहीं उठाया जा सकता। संविधान मेरे लिए धर्मग्रन्थ है तथा इसकी भावना यही कहती है। यद्यपि उन्होंने कई बार संविधान की भावनाओं का उल्लंघन किया परन्तु फिर भी अध्यक्ष के व्यवहार पर संसद् में चर्चा नहीं हो सकती। यदि अध्यक्ष को हटाना ही था तो संविधान में इसकी काफी गुंजाइश है। कहिये तो पढ़ें ?

[श्री रा डी भण्डारे]

परन्तु अनुच्छेद 179 के अनुसार आवश्यक 14 दिन की पूर्व-सूचना नहीं दी गई तथा उनके विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव समुचित रूप में नहीं रक्खा गया। अध्यक्ष अथवा राज्यपाल पर संविधान के उल्लंघन का दोष लगाते समय हमें यह भी पहले देखना चाहिये कि हम स्वयं संविधान का उल्लंघन नहीं करते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि यह सभा अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकती।

Shri George Fernandes (Bombay South): Not talking about the Speaker of Punjab Assembly. I want to ask a question from the Hon. Minister of Home Affairs who has been giving us lectures on Democracy for several days. I want to know whether it is a proper to run a Government through the Janata Party who does not have a constitution, programme, offices or any officer? How this Janata Party headed by Shri Gill has come into being to rule the Punjab? I want to know as to why the Hon. Minister does not direct his Congress Party there to uproot that Government in Punjab immediately?

Secondly, while talking about the election of the Speaker, I would suggest that as the Speaker, after his election in this post becomes a non-partyman, in the next election he shou'd appear as an independent candidate and no political party should fight that election against him. Thus, he will get an opportunity to behave like a no-partyman. Shri Masani has also mentioned it and an amendment can also be made in the Constitution if so required.

Submitting about Punjab, I may say that I have now in my hands a request from Akali Dal indicating how that Government people there are treating their political rivals. Sardar Major Singh, a personal Secretary to the Shromani Gurudwara Prabandhak Committee was arrested, released and re-arrested several times at very short intervals thereby causing harassment. Mr. Speaker, I suggest that a group of 10—15 Hon. Members be deputed to examine the conducting of law and order by Shri Gill's Cabinet which is a worthless group and who is trying to govern there on the basis of Gundaism.

Instead of discussing about the conduct of Speaker, it will be useful for the sake of Democracy in the country to consider about the law and order situation in Punjab.

श्री श्री निवास मिश्र (कटक): महोदय, स्थिति बड़ी गम्भीर है तथा जब किसी विधान-सभा के अध्यक्ष ने राजनैतिक दल-बन्दी अपनाई, अपने संतुलन को खोया तथा अपने स्वार्थ-भाव को प्राथमिकता दी तो देश के लोकतंत्र के हितों को आघात पहुंचा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता तथा इस मामले पर दल-बदली से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये। संभव है कल अध्यक्ष महोदय किसी विधेयक को पारित घोषित न करें चाहे इसके पक्ष में 100 तथा विपक्ष में केवल 15 मत रहे हों। और भी यदि अध्यक्ष महोदय कहें कि कोई सरकार वैध है तो अदालत उसे अवैध कैसे कर सकती है? यह गम्भीर बात है कि अविश्वास-प्रस्ताव से बचने के लिये अध्यक्ष महोदय सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें। अतः हमें तो यह सोचना है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। हमने ब्रिटिश संविधान का अनुसरण किया है जिसके अनुसार हाउस आफ कामन्स का

अध्यक्ष उस सदन का प्रतिनिधि होता है तथा बादशाह से लोगों के लिए अधिकार प्राप्त करता है। वहाँ के अध्यक्ष की स्थिति ऐतिहासिक रूप से विकसित है। जबकि हम इतने विकसित नहीं है। हमने भी यह अनुसरण किया है कि अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद वह अपने दल से त्याग पत्र दे देता है परन्तु वास्तव में उसकी दल-बन्दी की विचार धारा तो नहीं बदलती तथा जब वह अपने चुनावक्षेत्र में जाता है तो उसको अपने दल की सहायता की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप मामूली बातें कह रहे हैं जो कि असंबंधित हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : हमने ऐसी परम्परा नहीं बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मसानी ने बताया है कि श्री पटेल बिल्कुल स्वतंत्र थे।

श्री श्रीनिवास मिश्र : ऐसे लोग आते ही नहीं या कभी भी स्वतंत्र रूप से आते हैं परन्तु हमने वह परम्परा स्थापित नहीं की है।

हमारे देश में तो यह परम्परा है कि बहु संख्यक दल का सदस्य ही अध्यक्ष चुना जाता है तथा इसके लिये तीन योग्यताएं देखी जाती हैं—वह निष्पक्ष हो, सत्यनिष्ठ हो तथा सज्जन हो। परन्तु कई बार स्वार्थ-पूर्ण सुविधा के लिये इन बातों की भी उपेक्षा की जाती है। अतः इस के चुनाव के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करके कोई परम्परा विकसित की जानी चाहिए। महोदय, आप अध्यक्षों का सम्मेलन बुला रहे हैं उससे बहुत लाभ होगा। आप देखें कि वे अपने अधिकारों का असीमित प्रयोग न कर पायें तथा यदि आवश्यक हो तो संविधान में परिवर्तन किया जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी : (गुना) मुझे सचमुच ही समझ नहीं आता कि इस मामले में राजनीति को क्यों ठूंसा गया है। लोकतांत्रिक सरकारों की अधिकतर परम्परायें इंगलैंड में बनी हैं वहाँ अध्यक्ष के अधिकार सदन द्वारा ही दिये जाते हैं। परन्तु पश्चिमी बंगाल और पंजाब में जो हुआ है उसमें तो अध्यक्ष ने सदन के ही विरुद्ध कार्यवाही की है। यह कार्यवाही न तो सरकार के विरुद्ध तथा न ही कार्यकारिणी के विरुद्ध बल्कि विधान सभा के विरुद्ध थी। अध्यक्ष को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, कल्पना कीजिए कि आप भावुक हो गये तथा कह बैठे कि कांग्रेस की सरकार वैध नहीं है तथा आप सभा स्थगित कर देते हैं; तो क्या होगा? बंगाल तो एक राज्य था अतः राष्ट्रपति-शासन लागू कर लिया गया; परन्तु यदि आप भी ऐसा कर दें तो फिर क्या होगा?

श्री बलराज मधोक : (दिल्ली-दक्षिण) क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि आप जैसे बड़े नेता मुझसे इसकी अपेक्षा न करेंगे।

श्री जी भा० कृपालानी : श्रीमन, क्या पता कब कौन बदल जाये। मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के सदस्य राजनीति को इस मामले में क्यों ला रहे हैं? प्रश्न तो केवल यह है कि अध्यक्ष के अधिकार सदन में क्या हैं तथा बाहर क्या। वह कार्यकारिणी तथा न्यायकारिणी को ले ठीक कर सकता है परन्तु अपने स्थायी सदन को नहीं। परन्तु पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब में अध्यक्षों ने ऐसा ही किया है। यह सरासर अनुचित है तथा संविधान में परिवर्तन करके भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिये सुन्दर परम्परायें स्थापित होनी चाहियें। सभा के अधिकार सर्वोच्च हैं तथा अध्यक्ष तो सभा

[श्री जी० भा० कृपालानी]

की इच्छाओं को पूर्ण करता है। उसे तो सभा का कार्य निश्पक्ष रूप से करना चाहिए तथा विशेष रूप से जब उसके विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव हो तो सभा को स्थगित करना एक सज्जनतापूर्ण व्यवहार नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से राज्यपाल की कार्यवाही सर्वथा उचित थी तथा इस प्रकार उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को नष्ट होने से बचाया। अध्यादेश जारी कर के उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया तथा इस पर सन्देह नहीं किया जा सकता। दूसरे, जनता पार्टी एक स्थायी दल है तथा सरदार लछमन सिंह गिल एक योग्य प्रशासक तथा नेता हैं। जब केरल में श्री पट्टमथानु पिलै सात-आठ सहयोगियों को लेकर सरकार चला सकते हैं तो श्री गिल 18—20 सहयोगियों को साथ ले कर सरकार क्यों नहीं चला सकते ? मैं समझता हूं कि...

श्री जी० भा० कृपालानी : मेरे सुझाव हैं कि उन्हें इसमें राजनीति नहीं भरनी चाहिये।

श्री दी०चं० शर्मा : वास्तविकता यह है कि ऐसे मामलों में संविधानिक नियम तथा प्रक्रियाएं कुछ सहायक सिद्ध नहीं होती। अध्यक्ष को तो कुछ नैतिक-स्तर स्थापित करने चाहियें। सामान्यत: वह साधारण सदस्य से ऊपरी स्तर का होता है तथा सभा में उनका काफी सम्मान और प्रभाव होता है। सब उन की बात मानने का प्रयत्न करते हैं। पंजाब विधान-सभा के अध्यक्ष तो एक रेल गाड़ी की तरह पटरी से उतर गये तथा वहाँ संसदीय लोकतंत्र को बड़ा आघात पहुंचा जो कि बड़ी भयानक बात है। मैं किसी अध्यक्ष की निन्दा नहीं करता क्योंकि कई तो अधिक बुरे भी हैं परन्तु पंजाब में तो अध्यक्ष ने संसदीय लोकतंत्र को बड़ी ही हानि पहुंचाई है।

आप अध्यक्षों का सम्मेलन बुलायें तथा उन्हें बतायें कि भारत में संसदीय लोकतंत्र तथा उसके हितों की रक्षा कैसे हो।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्तिम वक्ता को बुलाता हूं। श्रीमती निर्लेप कौर।

(श्री बलराज मधोक उठते हैं)

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बार नहीं जनाब !

श्री बलराज मधोक : मैं बोलता नहीं बल्कि यह पूछना चाहता हूं कि........।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बाद में। यह विभिन्न मामला है। श्रीमती निर्लेप कौर।

श्री मती निलेप कौर (संगरूर) : आज यहाँ हम पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं तथा यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सभा में यह विषय आ गया है। परन्तु क्या किया जाये ? हमारे आधार ही पोले हैं। यह सब स्थिति कांग्रेस सरकार ने उत्पन्न की है। अध्यक्ष के बारे में तो क्या इस सभा में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी चर्चा हुई है। वर्तमान स्थिति से हम सब चिन्तित हैं जिसे पिछले 20 वर्ष की अवधि में शासक दल ने उत्पन्न की है। हमने राज्यपाल के व्यवहार पर भी यहाँ चर्चा की है तथा आज अध्यक्ष के व्यवहार पर भी कर रहे हैं; तथा अब समय आ गया है कि हम स्वयं पर भी चर्चा करने लगेंगे। अत: जब हम अध्यक्ष, राज्यपाल तथा सर्वोच्च न्यायाधीशों के लिये कुछ सुन्दर परम्परायें स्थापित करना चाहते हैं तो इससे पहले क्या हमें अपने स्वयं के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये। हम स्वयं दूसरों के कार्य में बाधा बनते जा रहे हैं।

पंजाब की स्थिति के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि ग्राम चुनावों के बाद काँग्रेस दल वहाँ अपनी सरकार बना सकता था परन्तु उसने नहीं बनाई क्योंकि उनके पास केवल एक-दो का ही मताधिक्य था। एक-दो के मताधिक्य से काँग्रेस दल वहाँ सरकार नहीं चलाना चाहता क्योंकि भारी मताधिक्य से शासन करने की इसकी पुरानी आदत है। भारी मताधिक्य लेकर ही वह विरोधी-दल से भिड़ना चाहता है। पहले यह दल खरगोशों के साथ शेर की भांति भिड़ा थे परन्तु अब जब खरगोश भेड़िये बन गये हैं तो इस शेर की हिम्मत गायब हो गई है। अतः इस दल ने किनारकशी करके, तमाशाई बनकर, किसी अन्य के माध्यम से विधानसभा के अध्यक्ष की निन्दा कराई परन्तु स्वयं सामने आकर भिड़ने की हिम्मत नहीं की।

श्री जी० भा० कृपालानी : यह सत्य है।

श्रीमती निर्लेप कौर : पंजाब में जो गिलसरकार बनाई गई है वह इस उद्देश्य से नहीं कि उसे स्थायी बनाने का प्रयत्न है बल्कि इसका कोई दूसरा ही उद्दश्य है।

श्री जी० भा० कृपालानी : केवल श्री गिल को मूर्ख बनाने के लिये।

श्रीमती निर्लेप कौर : श्री गिल भी स्थायी व्यक्ति नहीं हैं। मास्टर तारा सिंह से संत फतेह सिंह के पास आये तथा फिर सन्त फतेह सिंह से सरदार गुरनाम सिंह के दल में आये। उनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है . . .

श्री जी० भा० कृपालानी : तभी तो काँग्रेस उसे समर्थन देती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या अब समाप्त करें।

श्री मती निर्लेप कौर : काँग्रेस ने पंजाब की जनता को जो विश्वास दिये थे वे झूठे सिद्ध हुए। मुख्य मंत्री पद पर आकर श्री गिल ने अकाली दल को परेशान करने की ठान ली। श्री गुरनाम सिंह के विरुद्ध दो महीने में उन्होंने 12 दोष मंढ़े। इसे भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली और पंजाब के काँग्रेस दल अपने पुराने अनुभव से सीख लें कि व अकाली दल को न तो समाप्त कर सकें हैं, न कर सकते हैं तथा न कभी कर सकेंगे। मैं उनको यह चेतावनी देना चाहती हूं। यदि पंजाब में न्यायसंगत कुछ होना है तो विधान-सभा को भंग कर के जनता को नई सरकार चुनने का अवसर दिया जाना चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें। अब गृह-कार्य मंत्री बोलें।

श्रीमती निर्लेप कौर : उपसंहार में मैं कहूंगी कि वर्तमान विधानसभा बहुमत की सरकार नहीं बना सकती अतः विधान सभा को भंग करके, चुनावों द्वारा जनता को अपने विचार प्रकट करने दें।

श्री बलराज मधोक : क्या मैं एक प्रश्न करूं। यदि मैं एक को अनुमति दूंगा तो सब को देनी पड़ेगी। गृह-कार्य मंत्री।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, ...

श्री बलराज मधोक : गृह-कार्य मंत्री के आरम्भ करने से पूर्व मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं मानेगा।

श्री बलराज मधोक : गृह मंत्री से पूर्व, बस एक अपील करना चाहता हूं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। सभा में बैठकर क्या हम प्रश्न नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं दूसरों को कैसे रोकूंगा। अनेक सदस्यों की इच्छा है।

श्री बलराज मधोक : अब तक तो हम समाप्त भी कर लेते।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट का प्रश्न नहीं है। मैं जानता हूं कि गृह-कार्य मंत्री को कितनी आवश्यक बैठक में जाना था परन्तु मेरी प्रार्थना पर वह रुके। इसके अतिरिक्त मैं कांग्रेस के सदस्यों की तुलना में विरोधी दल के दुगने सदस्यों को अवसर दे रहा हूं। यदि मैं आप को अनुमति दूं तो रोकूं किसको ? यदि आप सभापति हों तो क्या आप ऐसा करेंगे ? अतः कृपया मुझे कठिनाई में मत डालिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह वाद-विवाद, सभा में दिये गये मेरे एक वक्तव्य के कारण हुआ है तथा मैं सर्वश्री मसानी तथा कृपलानी से सहमत हूं कि अध्यक्ष के व्यवहार के बारे में ही बात करनी चाहिये, राजनीति के विषय पर नहीं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि अध्यक्ष की हर कार्यवाही संविधान की भावना के अनुसार होनी चाहिये तथा उसे राजनैतिक दृष्टि से निष्पक्ष होकर व्यवहार करना चाहिये। मैं कोई निर्णय नहीं देता कि किसी ने गलती की है अथवा नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि बजट अधिवेशन के समय किसी भी दल, विशेषकर शासक दल को, सभा के अध्यक्ष से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिये। यह राजनयिक सूझ-बूझ की बात है। परन्तु यदि अध्यक्ष सभा की आवाज को दबाने का उपकरण सिद्ध होते हैं तो लोकतांत्रिक जीवन में यह एक दुखद दुर्घटना हैं।

एक माननीय सदस्य : बड़ी ही लज्जाजनक।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां। तो फिर इसका हल तो एक ही है और वह है वह गोष्ठी—अध्यक्षों का सम्मेलन—जो कि इसके लिये कुछ परम्पराएं प्रदान करेगा तथा जिसकी आप अध्यक्षता करेंगे। मैं मानता हूं कि संविधान के नियमों आदि के बदलने से ये मामले हल नहीं होंगे। परम्पराओं पर ही चलना होगा।

श्री वसुदेवन नायर : और अध्यादेश ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यपाल ने सभा का सत्रावसान किया है तथा वह किसी भी कार्यवाही को मुख्य मंत्री की सलाह से करता है।

श्री कृष्ण मूर्ति : विधि मंत्री ने कहा था कि अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत एक उपाय है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तो क्या गलत है ? उन्होंने सलाह दी है तथा देनी ही चाहिये। अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की विशेष सुविधा है तथा अध्यादेश का उद्देश्य अध्यक्ष के अधिकारों को सीमित करना है तथा सभा के कार्य करने के अधिकार बढ़ाना है। जब कोई वित्तीय कार्यवाही करनी हो तो सभा स्थगित नहीं की जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta: When the Upper House going on, can you issue ordinances?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अनुच्छेद 209 तथा 213 का संदर्भ देता हूं। आप एक योग्य वकील हैं।

श्री नारायण रड्डी (निजामाबाद) : पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा ही क्यों नहीं किया गया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं ने अन्तर स्पष्ट कर दिया है। यदि आप राज्यपाल का पत्र पढ़ें तो मालूम होगा कि पश्चिमी बंगाल में किन कारणों से ऐसा हुआ। पहले तो अध्यक्ष की कार्यवाही दूसरे विरोधी दल द्वारा सदन में कार्यवाही न करने देना तथा तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि शासक दल में ही फूट पड़ गई थी।

श्री नारायण रड्डी : अध्यादेश जारी क्यों नहीं किया गया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि चाहते तो विधान सभा को चलने देते। परन्तु यह सम्भव न था क्योंकि वहां तो संवैधानिक शासन ही असफल होगया। पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं थी।

उसके पश्चात लोक सभा सोमवार दिनांक 14 मार्च, 1968 / 28 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 18th March, 1968|Phalguna 28, 1889 (Saka).

GMGIPND—LSIII—855 (ai) LS—12-11-68—600.